


भाखड़ा ब्यास  
राष्ट्र गौरव

# वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019



भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड




भाखड़ा ब्यास  
राष्ट्र गौरव

# 46 वीं वार्षिक रिपोर्ट

## 46<sup>th</sup> Annual Report

### 2018-2019



**भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड**  
**Bhakra Beas Management Board**



## VALUES

*Discipline-Hardwork-Operational Excellence*

*and*

*Professionalism*

अनुशासन-कठिन परिश्रम परिचालन श्रेष्ठता  
और व्यावसायिकता

## MISSION

*To keep our systems running*


*efficiently at the minimum cost.*

हमारी प्रणालियों को न्यूनतम लागत पर दक्षतापूर्वक

## VISION

**To lead and be a trendsetter in Power Sector by establishing high standards in Operation & Maintenance, Renovation & Modernisation of Hydel Projects, Transmission System availability, Canal Systems and by exploiting new Hydro Power Potential with optimal utilization of existing infrastructure and resources.**

जल विद्युत परियोजनाओं, पारेषण, नहर प्रणालियों के परिचालन एवं अनुरक्षण तथा नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण में और विद्यमान मूलभूत ढांचे तथा संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए नई जल विद्युत अंतः शक्ति का लाभ उठाने के लिए उच्च मानको की स्थापना में विद्युत क्षेत्र में अग्रणी रहना और एक ट्रेंड सैटर बनना ।



भाखड़ा ब्यास  
राष्ट्र गौरव



भाखड़ा बांध का सामने/नीचे से दृश्य

**Bhakra Dam – Downstream View**



“भाखड़ा नंगल परियोजना में कुछ आश्चर्यजनक है, कुछ विस्मयकारी है, कुछ ऐसा है जिसे देखकर आपके दिल में हिलोरें उठती हैं। भाखड़ा, पुनरुत्थित भारत का नवीन मन्दिर है और यह भारत की प्रगति का प्रतीक है”

जवाहर लाल नेहरू

***Bhakra Nangal Project is something tremendous, something stupendous, something which shakes you up when you see it. Bhakra, the new temple of resurgent India, is the symbol of India's progress.”***

**- Jawahar Lal Nehru**

वर्ष 2018-2019 के दौरान बोर्ड के सदस्य

अध्यक्ष

इंजी. डी.के.शर्मा 01.04.2018 से 31.03.2019

सदस्य/प्रतिनिधि

भारत सरकार

श्री पी.के.सक्सेना 01.04.2018 से 31.03.2019

श्रीमती अर्चना अग्रवाल 01.04.2018 से 24.07.2018

श्री अनिरुद्धा कुमार 24.07.2018 से 31.03.2019

भागीदार राज्य

पंजाब

श्री जसपाल सिंह 01.04.2018 से 01.10.2018

श्री सरवजीत सिंह 01.10.2018 से 31.03.2019

हरियाणा

श्री अनुराग रस्तोगी 01.04.2018 से 31.03.2019

राजस्थान

श्री शिखर अग्रवाल 01.04.2018 से 19.12.2018

श्री नवीन महाजन 19.12.2018 से 31.03.2019

हिमाचल प्रदेश

श्री आर.डी. धीमान 01.04.2018 से 14.05.2018

श्री तरुण श्रीधर 14.05.2018 से 29.09.2018

श्री परबोध सक्सेना 04.10.2018 से 31.03.2019

सदस्य/सिंचाई

श्री एस के शर्मा 01.04.2018 से 26.07.2018

सदस्य/विद्युत

श्री वी.के.कालरा 01.04.2018 से 26.07.2018

## 1.1 बीबीएमबी-उत्पत्ति

- भाखड़ा-नंगल परियोजना का कार्य स्वतंत्रता के तुरंत बाद तत्कालीन पंजाब एवं राजस्थान राज्यों के संयुक्त सहयोग से शुरू किया गया ।
- पंजाब के पुनर्गठन के बाद, भाखड़ा-नंगल परियोजना के प्रशासन, परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अंतर्गत 1 अक्टूबर, 1967 को भाखड़ा प्रबंध बोर्ड का गठन हुआ था ।
- पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के उपबंधों के अनुसार ब्यास परियोजनाओं के कार्य ब्यास निर्माण बोर्ड को सौंपे गए थे । ब्यास परियोजनाओं के पूरा होने पर इन्हें 15 मई, 1976 को भाखड़ा प्रबंध बोर्ड को स्थानान्तरित कर दिया गया और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के उपबंधों के अनुसार इसका नाम बदल कर भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड कर दिया गया ।

## 1.2 कार्य

- भाखड़ा-ब्यास परियोजनाओं का प्रशासन, परिचालन एवं अनुरक्षण।
- भाखड़ा-ब्यास परियोजनाओं से पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों को जल आपूर्ति का नियमन।
- भाखड़ा-ब्यास परियोजनाओं पर उत्पादित विद्युत की आपूर्ति का नियमन।
- हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान राज्य की सरकारों के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कार्य।
- भारत सरकार ने वर्ष 1999 में जल विद्युत परियोजनाओं तथा सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्र में इंजीनियरी और संबद्ध तकनीकी परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने और निष्पादन के अतिरिक्त कार्य सौंपे गए।

### 1.3 विद्युत खण्ड

#### सामान्य समीक्षा

विद्युत खण्ड को बीबीएमबी के विद्युत घरों, पारेषण प्रणाली तथा प्रणाली भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) के प्रशासन, परिचालन एवं अनुरक्षण तथा परामर्शी सेवाओं का कार्य सौंपा गया है।

#### अधिष्ठापित क्षमता

(31.3.2019 की स्थिति अनुसार)

विद्युत घर	क्षमता	मेगावाट
भाखड़ा (दायां किनारा)	5x157	785
भाखड़ा (बायां किनारा)	2x108+3x126	594
गंगूवाल	1x27.99+2x24.20	76.39
कोटला	1x28.94+2x24.20	77.34
देहर	6x165	990
पौंग	6x66	396
	योग	2918.73

#### पारेषण प्रणाली

(31.3.2019 की स्थिति अनुसार)

पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेश-चण्डीगढ़ तथा दिल्ली तक फैली हुई बीबीएमबी पारेषण प्रणाली, उत्तर क्षेत्रीय पावर ग्रिड के साथ एकीकृत रूप में परिचालित होती है। बीबीएमबी की पारेषण प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं:-

वोल्टेज स्तर	उप-केन्द्रों की संख्या	लाइन की लम्बाई (सर्किट किमी)
i) 400 केवी,	03	573.95
ii) 220 केवी,	17	2993.54
iii) 132 केवी,	02	21.72
iv) 66 केवी,	02	115.50
योग	24	3704.71

#### 1.4 सिंचाई खण्ड

##### सामान्य समीक्षा

सिंचाई खण्ड को निम्नलिखित परियोजना घटकों के प्रशासन, अनुरक्षण तथा परिचालन का कार्य सौंपा गया है :

#### I भाखड़ा-नंगल परियोजना

- क) भाखड़ा बांध और जलाशय तथा संबद्ध कार्य, इसमें नंगल कार्यशाला तथा नंगल टाउनशिप चिकित्सालय, विद्यालय, विश्राम गृह इत्यादि शामिल हैं ।
- ख) नंगल बांध तथा नंगल जल-विद्युत चैनल ।

#### II ब्यास परियोजना

##### क) यूनिट-1 (बीएसएल परियोजना)

ब्यास सतलुज लिंक परियोजना, जिसमें पंडोह बांध, पंडोह-बग्गी सुरंग, सुन्दरनगर जल-विद्युत चैनल, बैलेंसिंग रिजर्वायर, सुन्दरनगर-सतलुज सुरंग तथा संबंधित सिविल कार्य तथा सुन्दरनगर और पण्डोह की टाउनशिप चिकित्सालय, विद्यालय, विश्राम गृह इत्यादि शामिल हैं ।

##### ख) यूनिट-II (पोंग स्थित ब्यास बांध)

पोंग स्थित ब्यास बांध जिसमें जलाशय, आउटलेट कार्य, स्पिलवे तथा संबद्ध कार्य और तलवाड़ा टाउनशिप शामिल हैं ।



## 2.1 बोर्ड की वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित बैठकें

1. बोर्ड की दिनांक 24.05.2018 को आयोजित 229वीं बैठक
2. बोर्ड की दिनांक 19.11.2018 को आयोजित 230वीं बैठक
3. बोर्ड की दिनांक 20.02.2019 को आयोजित 231वीं बैठक

## 2.2 बोर्ड की बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

### 2.2.1 बोर्ड की दिनांक 24.05.2018 को आयोजित 229वीं बैठक

#### मद संख्या 229.03

आरआरवीपीएनएल द्वारा राजस्थान फर्टिलाइजर फैक्ट्री (आरएफएफ) के ऊर्जा बकायों का भुगतान नहीं करना।

चर्चा की शुरुआत करते हुए, विशेष सचिव, बीबीएमबी ने दिनांक 20-09-2017 को आयोजित 227वीं बैठक में लिए गए निर्णय और इस मद (227.04) पर राजस्थान की टिप्पणियों से सदस्यों को अवगत कराया।

सदस्य (हरियाणा) की राय थी कि पूर्व में बोर्ड की 212वीं बैठक में बोर्ड के सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णय को संशोधित करना समझदारी नहीं होगी। सदस्य (पंजाब) का भी मानना था कि मामले पर ध्यान देते हुए भाखड़ा नंगल समझौते में कोई संशोधन करना उचित नहीं है। सदस्य (राजस्थान) ने आग्रह किया कि राजस्थान के दृष्टिकोण पर विचार किया जाए क्योंकि यह 212वीं बैठक के निर्णय का विरोध करता रहा है।

सदस्य (हरियाणा) ने राजस्थान द्वारा आरएफएफ के लिए विद्युत के उच्चतर प्रशुल्क के संबंध में विरोध दर्ज कराने की तिथि पूछी और क्या जिस बैठक में 01-01-2013 से 28-02-2018 तक की अवधि के लिए आरएफएफ हेतु प्रशुल्क का अनुमोदन किया गया था, उसमें सदस्य (राजस्थान) उपस्थित थे? संबंधित कार्यालय से संबंध रिकार्ड एकत्रित करने के बाद, विशेष सचिव, बीबीएमबी ने बताया कि कथित प्रशुल्क बोर्ड द्वारा 24-12-2012 को आयोजित अपनी 212वीं बैठक में अनुमोदित किए गए थे जिसमें सदस्य राजस्थान भी उपस्थित थे। उन्होंने आगे बताया कि 212वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि 19-02-2013 को आयोजित 213वीं बैठक में की गई थी जिसमें भी राजस्थान के सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने सूचित किया कि बैठक के दौरान उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार राजस्थान द्वारा उच्चतर प्रशुल्क का विरोध और विद्युत के परित्याग का मामला पहली बार दिनांक 02-11-2015 के पत्र द्वारा दर्ज कराया गया। तथापि, विरोध की तिथि की पुष्टि बीबीएमबी और आरआरवीपीएनएल के बीच परस्पर बातचीत द्वारा की जानी चाहिए।

विचार-विमर्श के बाद और विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

- i) बोर्ड द्वारा दिनांक 20-12-2012 को आयोजित 212वीं बैठक में यथा निर्णित प्रशुल्क दिनांक 01-01-2013 से आरआरवीपीएनएल द्वारा विरोध दर्ज कराने की तिथि तक लागू होगा। विरोध की तिथि का निर्णय बीबीएमबी और आरआरवीपीएनएल के अभिलेखों के अनुसार परस्पर बीबीएमबी और आरआरवीपीएनएल द्वारा किया जाएगा।
- ii) ii) विरोध की तिथि से 20-09-2017 अर्थात् बोर्ड की 227वीं बैठक की तिथि तक की मध्य अवधि के लिए राजस्थान हेतु प्रशुल्क @339 पैसे प्रति किलोवाट घंटा होगा।
- iii) iii) एनएफएल सहित अन्य सभी सामान्य पूल उपभोगताओं के लिए राजस्थान द्वारा विरोध दर्ज कराए जाने की तिथि से 20-09-2017 तक की मध्य अवधि के लिए प्रशुल्क 212वीं बैठक के निर्णय के अनुसार होगा।
- iv) iv) 21-09-2017 से आगे पुराने हिमाचल प्रदेश को छोड़कर सभी सामान्य पूल उपभोगताओं से सीईआरसी द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत क्रय के औसत मूल्य की दर से प्रशुल्क लिया जाएगा। पुराने हिमाचल प्रदेश के प्रशुल्क का निर्णय बोर्ड की अगली बैठक में सदस्य (हिमाचल प्रदेश) की उपस्थिति में किया जाएगा।
- v) पारेषण प्रभारों तथा पारेषण हानियों के संबंध में बकाये बोर्ड की 227वीं बैठक के अनुसार होंगे अर्थात् आरएफएफ विद्युत के लिए पारेषण प्रभार और इसके बकाए प्रभारित नहीं किए जाएंगे, तथापि, राजस्थान को पारेषण हानियों का इसके बकाये सहित भुगतान करना होगा।
- vi) उक्त दरें किन्हीं वैधानिक शुल्कों, करों, चुंगियों तथा सरचार्ज आदि के अलावा होगी जो समय-समय पर यथा लागू अतिरिक्त प्रभारित किए जाएंगे।
- vii) बीबीएमबी उक्त निर्णय के अनुसार संशोधित बिल पेश करेगा। तथापि, आरआरवीपीएनएल बीबीएमबी को तत्काल अन्तरिम भुगतान करेगा।

#### मद संख्या 229.05

बीबीएमबी में संविदा आधार पर नियुक्त चिकित्सकों के समेकित मासिक पारिश्रमिक में बढ़ोतरी और चिकित्सकों की संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए आयु सीमा बढ़ाने के संबंध में।

सचिव, बीबीएमबी ने सूचित किया कि जैसे कि माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने स्वागत भाषण में पहले ही जिक्र किया जा चुका है कि तलवाडा और सुन्दरनगर के बीबीएमबी चिकित्सालयों में चिकित्सकों की भारी कमी है। उन्होंने आगे माननीय सदस्यों को कार्यसूची के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी और सदस्यों को बताया कि चूंकि बीबीएमबी

श्रेणी-I व श्रेणी-II विनियम, 2015 में चिकित्सकों का कोई संवर्ग नहीं है, अतः कार्यसूची में यथा वर्णित कैरियर में प्रगति नहीं होने के कारण चिकित्सकों की संविदा आधार पर भर्ती करना बुद्धिमानी नहीं है। सदस्य पंजाब ने सुझाव दिया कि ऊपरी आयु सीमा 68 वर्ष होनी चाहिए जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की।

विचार-विमर्श के बाद बीबीएमबी में संविदा आधार पर नियुक्त चिकित्सकों के समेकित मासिक पारिश्रमिक में नीचे दी गई सारणी के अनुसार बढ़ोतरी करने और सेवानिवृत्त चिकित्सकों की संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए आयु सीमा बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया बशर्ते कि कार्यसूची में दिए गए प्रस्ताव के अनुसार चिकित्सकों की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष के स्थान पर 68 वर्ष होगी।

क्रम संख्या	संविदा/विशेष योग्यता का प्रकार	वर्तमान पारिश्रमिक	प्रस्तावित पारिश्रमिक
क	सेवानिवृत्त चिकित्सकों के रूप में संविदात्मक रोजगार		
	i) सामान्य संवर्ग के मेडिकल चिकित्सक (सेवानिवृत्त)	60000/- रुपये अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि को आहरित अंतिम वेतन अर्थात (मूल वेतन + एनपीए + जीपी + डीए) में से (समग्र मूल पेंशन + एनपीए + डीए सहित) घटाने के बाद समतुल्य राशि जो भी कम हो	70000/- रुपये अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि को आहरित अंतिम वेतन अर्थात (मूल वेतन + एनपीए + जीपी + डीए) में से (समग्र मूल पेंशन + एनपीए + डीए सहित) घटाने के बाद समतुल्य राशि जो भी कम हो
	ii) विशेषज्ञ चिकित्सक (सेवानिवृत्त)	70000/- रुपये अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि को आहरित अंतिम वेतन अर्थात (मूल वेतन + एनपीए + जीपी + डीए) में से (समग्र मूल पेंशन + एनपीए + डीए सहित) घटाने के बाद समतुल्य राशि जो भी कम हो	80000/- रुपये अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि को आहरित अंतिम वेतन अर्थात (मूल वेतन + एनपीए + जीपी + डीए) में से (समग्र मूल पेंशन + एनपीए + डीए सहित) घटाने के बाद समतुल्य राशि जो भी कम हो
ख	अंशकालिक चिकित्सकों का दो घंटे प्रति दिन के		

	लिए संविदात्मक रोजगार		
	i) सामान्य संवर्ग के चिकित्सक	11500/- रुपये प्रति माह	15000/- रुपये प्रति माह
	ii) विशेषज्ञ चिकित्सक	12500/- रुपये प्रति माह	18000/- रुपये प्रति माह
	अंशकालिक दत चिकित्सकों का दो घंटे प्रतिदिन के लिए संविदात्मक रोजगार	11500/- रुपये प्रति माह	15000/- रुपये प्रति माह

मद संख्या 229.06

बीबीएमबी के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के भत्तों की पात्रता के संबंध में।

सचिव, बीबीएमबी ने माननीय सदस्यों को कार्यसूची के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी।

चर्चा के उपरान्त कार्यसूची में दिए गए प्रस्ताव का एकमत से अनुमोदन कर दिया गया।

मद संख्या 229.08

नंगल बांध/भाखड़ा बांध में फ्लोटिंग सौर विद्युत संयंत्र ।

विशेष सचिव, बीबीएमबी ने माननीय सदस्यों को कार्यसूची के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी।

सदस्य (राजस्थान) ने उच्चतर प्रशुल्क के संबंध में अपनी आशंकाए व्यक्त की।

विचार-विमर्श के बाद, बोर्ड ने सिद्धान्त रूप में: सहमति दे दी। तथापि, निदेश दिए गए कि परियोजना की संभाव्यता और वित्तीय व्यवहार्यता की जांच एवं विस्तृत मूल्यांकन किया जाए और परियोजना कार्य को निर्माण हेतु अवाई किए जाने से पहले बोर्ड को प्रस्तुत किया जाए।

मद संख्या 229.09

बीबीएमबी भूमि तथा सम्पतियों पर पहले से काबिज निजी व्यक्तियों से संबंधित बीबीएमबी की पट्टानीति।

सचिव, बीबीएमबी ने माननीय सदस्यों के कार्यसूची के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी।

सदस्य (पंजाब) ने सूचित किया कि पंजाब सरकार का दृष्टिकोण बीबीएमबी को अग्रेषित किया जा चुका है जिसमें पंजाब सरकार अधिसूची प्राधिकारी अर्थात श्रीमति नीरजा माथुर, तत्कालीन अध्यक्ष, सीईए, नई दिल्ली की रिपोर्ट से सहमत है कि बीबीएमबी द्वारा कब्जे में ली गई और आंबटित भूमि का इसके परियोजना का भाग रहने तक प्रबंधन, प्रशासन एवं नियंत्रण बीबीएमबी द्वारा किया जाता है, चाहे इस पर किसी का भी स्वामित्व हो, और परियोजना की आवश्यकता से अधिक भूमि का स्वामित्व, प्रबंधन, प्रशासन एवं नियंत्रण पंजाब राज्य का होगा। तथापि, सदस्य (पंजाब) ने कहा कि पंजाब सरकार मौजूदा परिदृश्य का उल्लंघन करना अथवा उसमें बाधा डालना नहीं चाहती और मौजूदा व्यवस्था जारी रखना चाहेगी।

सदस्य (पंजाब) से पूछे जाने पर, सचिव, बीबीएमबी ने स्पष्ट किया कि 228वीं बैठक (मद संख्या 228.04) में लिए गए निर्णय पर पूरा ध्यान दिया गया है और बाहरी कानूनी विशेषज्ञ द्वारा पट्टा नीति का प्रारूप तैयार किया गया है जिसमें प्रस्ताव किया है कि सभी पट्टा धारकों के बीच समानता लाने और प्रस्तावित पट्टा नीति को लागू करने में एकरूपता बनाए रखने के लिए पट्टे की अवधि वर्ष 1995 से गणना करते हुए 99 वर्ष की होगी। 99 वर्ष की पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद, स्ट्रक्चर घटा कर पट्टाकृत भूमि बीबीएमबी को वापस मिल जाएगी। वैकल्पिक रूप से यदि बोर्ड को उचित लगे तो 99 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद बोर्ड पेट्टेदार (पट्टा धारियों) के साथ नया पट्टा करार कर सकता है। तथापि, यह पट्टा समस्त बकाया पट्टा राशि के बकायों का 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित भुगतान करने के बाद प्रभावी होगा।

प्रस्तावित पट्टा नीति की अन्य मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:-

क्रम संख्या	मद	विकल्प
i	पट्टे की अवधि	1995 से गणना करते हुए 99 वर्ष ।
ii	आरम्भिक धन	वर्ष 1995 में प्रचलित संबंधित जिला राजस्व प्राधिकारी द्वारा नियत भूमि का प्रीमियम मूल्य जिसकी गणना व्यापारिक क्षेत्र तथा आवासीय क्षेत्र के अनुपात पर विचार करने के बाद की जाएगी।
iii	आरम्भिक मूल के	100% अग्रिम भुगतान

	भुगतान की शर्तें	अथवा 50% अग्रिम और शेष 50% अगले छः वर्षों में 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित भुगतान।
iv	वार्षिक पट्टा धन	<ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रथम तल तक प्रीमियम मूल्य का 2.5% और प्रत्येक पांच वर्ष के बाद 25% की वृद्धि।</li> <li>• द्वितीय तल के लिए प्रीमियम मूल्य का अतिरिक्त 2% और प्रत्येक पांच वर्ष के बाद 25% की वृद्धि।</li> <li>• बेसमेंट के लिए प्रीमियम मूल्य का अतिरिक्त 2% और प्रत्येक पांच वर्ष के बाद 25% की वृद्धि।</li> </ul>
v	पूर्ववर्ती शर्त	समस्त बकाया पट्टा राशि के बकायों का 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित भुगतान

तथापि, सदस्य (पंजाब) ने पट्टा नीति के प्रारूप में यथा प्रस्तावित 99 वर्ष के स्थान पर 33 वर्ष की पट्टा अवधि पर जोर दिया।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, कार्यसूची नोट में दिए गए प्रस्ताव का इस शर्त के साथ अनुमोदन किया गया कि पट्टा नीति आरम्भ में 33 वर्ष के लिए होगी जिसे पट्टाकर्ता द्वारा उपर्युक्त निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर 33 वर्ष के लिए और आगे बढ़ाया जा सकेगा।

मद संख्या 229.14

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड की वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट।

विशेष सचिव, बीबीएमबी ने सूचित किया कि रिपोर्ट पटल पर रखी दी गई है और सदस्यों से अनुरोध है कि पूर्व अनुसार 15 दिन के भीतर अपनी टिप्पणियाँ दे दें। यदि टिप्पणी नहीं प्राप्त होती है तो वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित मान लिया जाएगा।

मद संख्या 229.15

सेवानिवृत्ति के बाद संविदात्मक रोजगार को विशिष्ट मामले में 63 वर्ष की आयु तक विस्तार देने के संबंध में।

विचार-विमर्श के बाद, कार्यसूची में दिए अनुसार प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

2.2.2 बोर्ड की दिनांक 19.11.2018 को आयोजित 230वीं बैठक

मद संख्या 230.03

देहर विद्युत गृह, सलापड़ के लिए चार (04) 60 MVA, 11/400/ $\sqrt{3}$  KV सिंगल फ़ेज जनरेटर ट्रांसफार्मरों की प्राप्ति ।

बोर्ड ने निम्नलिखित स्थिति को नोट किया ।

‘अनुबंध सी-5 में दिए गए सहमत नियम और शर्तों और संशोधित आदेश मूल्य रूपये 23,28,39,711/- के अनुसार देहर विद्युत गृह सलापड़ के लिए मैसर्ज बीएचईएल को, डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, पूर्ति और चार (04) सिंगल फ़ेज 60 MVA, 11/400/ $\sqrt{3}$  KV का वितरण के साथ-साथ फिटिंग, सहायक उपकरण, अनिवार्य सहायक उपकरण का एक सेट, ट्रांसफार्मर ऑयल और इसकी स्थापना, परीक्षण एवं स्थल पर चालू करना और शार्ट सर्किट परीक्षण का आयोजन (प्रथम जनरेटर ट्रांसफार्मर) के लिए क्रय आदेश जारी करना।

मद संख्या 230.04

पौंग विद्युत गृह, तलवाड़ा की यूनिट संख्या 2 के लिए 66 एम डब्ल्यू (निरंतर) क्षमता के कम्पलीट वून्ड स्टेटर का डिजाइन निर्माण, निर्माता के कार्य स्थल पर परीक्षण, आपूर्ति, निर्माण, स्थल पर परीक्षण व चालू करने के बारे में।

बोर्ड ने निम्नलिखित स्थिति को नोट किया।

पौंग विद्युत गृह, तलवाड़ा की यूनिट संख्या 2 के लिए 66एम डब्ल्यू (निरंतर) क्षमता के कम्पलीट वून्ड स्टेटर का डिजाइन निर्माण, निर्माता कार्य स्थल पर परीक्षण, चालू करना, स्थापित करना, आपूर्ति, स्थल पर परीक्षण एवं चालू करने के साथ-साथ एचएस लुब्रीकेंट सिस्टम को चालू करना, परीक्षण, स्थापित करने के लिए मैसर्ज बीएचईएल, चण्डीगढ़ की तय की गई दरों पर मूल्य रूपये 13,40,15,786 (रूपये तेरह करोड़ चालीस लाख पंद्रह हजार सात सौ छियासी) के मूल्य का क्रय आदेश जारी करना। इसमें पैकिंग फारवर्डिंग चार्जिज, ट्रांसपोर्ट एवं ट्रांजिट इंशोरेंस चार्जिज तथा लागू जीएसटी शामिल है।

मद संख्या 230.05

ट्रांसफार्मर की शार्ट सर्किट विदस्टैंड टेस्टिंग।

विशेष सचिव, बीबीएमबी ने सूचित किया कि कार्यसूची अनुमोदन के लिए परिचालित कर दिया गया था और सदस्य/पंजाब, सदस्य/हिमाचल प्रदेश, सदस्य/भारत

सरकार (विद्युत मंत्रालय) और सदस्य/भारत सरकार (जल संसाधन मंत्रालय) ने अपनी सहमति दे दी है।

बैठक के दौरान सदस्य/हरियाणा की आपत्तियों का निवारण किया गया और विचार-विमर्श के बाद कार्यसूची अनुमोदित कर दी गई।

#### मद संख्या 230.06

बीबीएमबी परियाजनाओं के कुशल अनुरक्षण और परिचालन के लिए उत्कृष्ट योगदान की मान्यता में बीबीएमबी कर्मचारियों को वार्षिक प्रोत्साहन की अदायगी

-विस्तृत मसौदा नीति।

विशेष सचिव ने पिछले 3 सालों में बीबीएमबी के प्रदर्शन की कार्यसूची की संक्षिप्त व्याख्या की और यह भी बताया कि कार्यसूची 3 साल बाद प्रस्तुत की गई है। सदस्य/राजस्थान ने यह आपत्ति उठाई कि बीबीएमबी द्वारा प्रस्तावित प्रोत्साहन नीति की जांच होनी चाहिए क्योंकि इसमें कई उलझने हैं।

सदस्य/पंजाब और सदस्य/हरियाणा ने बीबीएमबी में पूर्व में दिए गए प्रोत्साहन की जानकारी ली। सदस्य/भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय) की राय थी कि जिस प्रकार कि अन्य सीपीएसयूज में प्रोत्साहन दिया जाता है उसी प्रकार बीबीएमबी कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। विशेषकर इन तथ्यों को ध्यान रखा जाए कि अधिकारी/कर्मचारी बीबीएमबी में कार्य ग्रहण करने में अनिच्छुक थे।

अध्यक्ष, बीबीएमबी ने पिछले 3 वर्षों के दौरान बीबीएमबी के प्रदर्शन के मददेनजर वर्ष 2017-18 के लिए सहमति देने हेतु सदस्यों पर जोर दिया। सदस्य/भारत सरकार (संसाधन मंत्रालय) ने सुझाव दिया कि प्रोत्साहन नीति सभी भागीदार राज्यों में परिचालित की जाए, तथापि सभी सदस्य वर्ष 2017-18 के प्रोत्साहन पर विचार करें।

अध्यक्ष, बीबीएमबी सदस्य/भारत सरकार (जल संसाधन मंत्रालय) के सुझावों से सहमत हुए। विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्रोत्साहन नीति को डिलिंक किया जाए और सदस्य सभी कार्मिकों को चाहे वह नियमित है या अनुबंध पर (पैस्को के द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के अलावा) और बीबीएमबी के उपस्थित वर्क-चार्ज कर्मचारियों को कार्यसूची में दिए गए प्रस्तावित विस्तृत नियम और शर्तों के आधार पर 20 दिनों का वेतन प्रोत्साहन स्वरूप देने हेतु सहमत हुए।



मद संख्या 230.07

बीबीएमबी में जन शक्ति का पुनर्गठन।

सचिव, बीबीएमबी ने सदस्यों को कार्यसूची के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सूचित किया कि माननीय केन्द्रीय विद्युत राज्य मंत्री द्वारा बीबीएमबी की समीक्षा बैठक में यह इच्छा व्यक्त की कि, बीबीएमबी में मानव शक्ति को और भी कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता कि आरंभ में निम्नलिखित सात कार्यकारी अभियन्ताओं के पदों को चुना गया है और इन्हें निलंबित रखा जाएगा:-

1. कार्यकारी अभियन्ता/भाखड़ा विद्युत मण्डल, बीबीएमबी, नंगल।
2. अधीक्षक/कर्मशाला मण्डल, बीबीएमबी, नंगल।
3. वरिष्ठ अभिकल्प अभियन्ता/जल विनियम, बीबीएमबी, सुन्दरनगर।
4. कार्यकारी अभियन्ता/एचआरडी, पर्यावरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण शैल, बीबीएमबी, तलवाड़ा।
5. कार्यकारी अभियन्ता, सीसी मण्डल, बीबीएमबी, नंगल।
6. कार्यकारी अभियन्ता, सीसी मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत।
7. कार्यकारी अभियन्ता, वर्क्स, कार्यालय मुख्य अभियन्ता/प्रणाली परिचालन, बीबीएमबी, चण्डीगढ़।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित सात कार्यकारी अभियन्ताओं और उप मण्डल अधिकारियों के अतिरिक्त पदों को भी निलंबित रखे जाने का प्रस्ताव है:-

क) उप निदेशक/पीएंडटी सैल, बीबीएमबी, पानीपत।

ख) उप मण्डल अधिकारी/टीएण्डएल के 6 पदों दिल्ली, कुरूक्षेत्र, हिसार, धूलकोट, जगाधरी व बरनाला में एक-एक।

यह निर्णय लिया गया था कि उपर्युक्त पदों को लम्बित रखा जायेगा और बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के पश्चात ही रिवाइव किया जाएगा। उपर्युक्त पदों में से वर्तमान में कुछ भरे हुये हैं अतः प्रस्तावित है कि इन पदों पर तैनात पदधारियों को उपर्युक्त रिक्ति की उपलब्धता होने पर बीबीएमबी में अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाएगा और इन पदों को वर्तमान पदधारियों के स्थानान्तरण/पदोन्नति/सेवानिवृत्ति के पश्चात नहीं भरा जाएगा। समय-समय पर इन मण्डलों में कार्यरत स्टाफ के ज्यादा पदों को अभ्यर्ण करने का प्रयास भी किया जाएगा।

विचार-विमर्श के पश्चात बोर्ड ने निम्नलिखित अनुमोदित किया:-

- 1 उपर्युक्त पदों (7+7) को आगामी आदेशों तक लम्बित रखना ।
- 2 इन पदधारियों को सौंपे गये कार्य का पुर्नवितरण अध्यक्ष, बीबीएमबी के अनुमोदन से किया जायेगा।

मद संख्या 230.08

बीबीएमबी श्रेणी-1 एवं 11 अधिकारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) विनियम, 2015 के संबंध में - संशोधन करना। (संशोधित)

सचिव, बीबीएमबी ने कार्यसूची को स्पष्ट करते हुये सदस्यों को बीबीएमबी श्रेणी-1 एवं 11 अधिकारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) विनियम, 2015 में आपेक्षित संशोधन की मंजूरी लम्बित होने के कारण बीबीएमबी कर्मचारियों की पदोन्नति करने में आ रही कठिनाईयों के बारे में बताया। उन्होने सदस्यों को नियम की स्थिति के साथ-साथ 226वीं बोर्ड की बैठक में हुये विचार-विमर्श जिसमें सदस्य (राजस्थान), सदस्य (पंजाब) विनियमों में निहित खण्ड-2 (ओ) के अधीनस्थ प्रावधान अनुबंध के साथ सहमत थे। लेकिन कार्यसूची को दोबारा विद्युत मंत्रालय एवं जल संसाधन मंत्रालय से सदस्यों की मौजूदगी में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

सदस्य/पंजाब विनियमों के खण्ड 2 (ओ) में अधीन बोर्ड के पास निहित शक्तियों पर चर्चा करते हुए संशोधनों के लिए सहमत थे लेकिन इसे विद्युत मंत्रालय को भेजने की इच्छा जताई थी। इस संबंध में सचिव, बीबीएमबी द्वारा स्पष्ट किया गया था कि प्रस्तावित संशोधन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कैडर संख्या के भीतर है तथा इससे कैडर संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। विनियमों के नियम-4 के अनुसार उन मसलों को मंत्रालय को भेजने की आवश्यकता है, जहां पर कैडर संख्या में कोई बढ़ोतरी हो। चूंकि कैडर संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं है अतः प्रस्तावित संशोधन बोर्ड की क्षमता में आते हैं।

सदस्य/हरियाणा तथा सदस्य/राजस्थान ने बोर्ड के पास निहित शक्तियों पर चर्चा के दौरान इच्छा व्यक्त की कि प्रस्तावित संशोधन पर विधिक राय लेनी चाहिए। इस पर सदस्यों को बताया गया कि बीबीएमबी के मुख्य विधिक सलाहकार से पहले ही विधिक राय ले ली गई है, उनकी राय है कि नियम 2 (ओ) के तहत बोर्ड विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कैडर के भीतर पदों में संशोधन, जोड़ने अथवा हटाने में सक्षम है।

सदस्य/भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय) विनियम 2 (ओ) अधीन निहित शक्तियों और प्रस्तावित संशोधनों से सहमत थे, सदस्य/भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय ने इसका अनुमोदन किया।

बोर्ड के सभी सदस्यों ने विनियम 2 (ओ) के अधीन निहित शक्तियों पर सहमति प्रकट की और तदन्तर कार्यसूची में यथा प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दे दी गई।

### मद संख्या 230.15

ट्रेजर ऑपरेटर ग्रेड-I एवं ट्रेजर ऑपरेटर ग्रेड-II को क्रमशः 10900-34800+ग्रेड पे 5500/- एवं 10900-34800+ग्रेड पे 4000/- का नियमित वेतनमान प्रदान करना।

निदेशक/सुरक्षा ने कार्यसूची और देहर विद्युत घर को सुचारू रूप से चलाने हेतु ट्रेजिंग संचालन तथा गाद प्रबंधन में इन अनुभवी कार्मिकों के महत्व के बारे में बोर्ड के सदस्यों को संक्षिप्त रूप से जानकारी दी।

अध्यक्ष, बीबीएमबी ने सुझाव दिया कि पंजाब सरकार विनियम से हटने के बजाय हमें इन ट्रेजर ऑपरेटर ग्रेड-I एवं ट्रेजर ऑपरेटर ग्रेड-II को परीवीक्षा अवधि के दौरान आरम्भिक 3 वर्ष के लिए किसी अन्य साधन द्वारा कुछ समेकित राशि देकर प्रतिपूर्ति करनी चाहिए।

विचार-विमर्श के पश्चात विशेषज्ञ प्रकृति के कार्य के मददेनजर सदस्य सुझाव से सहमत हुए तथा अध्यक्ष, बीबीएमबी को इस विशेष मामले में परीवीक्षा अवधि के दौरान भुगतान किए जाने वाली प्रतिपूर्ति का निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया।

### मद संख्या 230.16

झण्डुता ब्लॉक, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में पेयजल आपूर्ति स्कीम के लिए बोन्ग्री गांव के पास गोबिन्द सागर झील के दायां किनारे से 800 एमएलडी (3.27 क्यूसिक) जल उत्थापन हेतु अनापति प्रमाण पत्र।

सचिव, बीबीएमबी ने बताया कि कार्यसूची की मद सदस्य/हिमाचल प्रदेश के अनुरोध पर रखी गई है, उन्होंने बोर्ड को जिला बिलासपुर के झण्डुता ब्लॉक में गांव बोन्ग्री के निवासियों की पेयजल जरूरत के बारे बताया। उन्होंने सदस्यों को हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बोर्ड द्वारा इसी तरह की पहले दी गई मंजूरी के बारे में अवगत कराया।

विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात झण्डुता ब्लॉक, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में पेयजल आपूर्ति के लिए बोन्ग्री गांव के समीप गोबिन्द सागर के दायां किनारे से निःशुल्क 8.00 एमएलडी (3.27 क्यूसिक) जल उत्थापन के प्रस्ताव को बोर्ड ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी।

### 2.2.3 बोर्ड दिनांक 20.02.2019 को आयोजित 231वीं बैठक

#### मद संख्या नं.- 231.02

वर्ष 2019-20 का बजट प्राक्कलन और वर्ष 2018-19 का संशोधित बजट प्राक्कलन ।

चर्चा आरम्भ करते हुए, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी ने सूचित किया कि दिनांक 03-01-2019 को बीबीएमबी की बजट उप समिति बैठक में बजट पर चर्चा की गई थी। विस्तृत चर्चा के बाद बजट उप समिति ने वर्ष 2019-20 के बजट प्राक्कलन के लिए रूपये 142954.57 लाख और वर्ष 2018-19 के संशोधित बजट के लिए 126967.16 लाख की सिफारिश की। वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी ने बोर्ड को बजट के बारे में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। अध्यक्ष, बीबीएमबी ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2018-19 के संशोधित प्राक्कलन और वर्ष 2019-20 के बजट प्राक्कलन में अंतर विद्युत खण्ड (राजस्व प्राप्ति को घटाने के बाद और आरएमएण्डयू को सम्मिलित करने) पर हुए राजस्व व्यय है। आरएमएण्डयू प्रावधानों को बढ़ाना प्राथमिकता है, अन्य पूंजी प्रकृति के कार्य और स्थापना लागत आदि। उन्होंने आगे सूचित किया कि शेष 2 यूनिटों का आरएमएण्डयू कार्य वित्तीय वर्ष 2019-20 तक पूर्ण हो जाएगा। जिसके परिणामस्वरूप बीबीएमबी की अधिष्ठापित क्षमता में 36 एमडब्ल्यू क्षमता की बढ़ोतरी होगी। सदस्य (पंजाब) के सवाल पर अध्यक्ष बीबीएमबी ने स्पष्ट किया कि आरएमएण्डयू के द्वारा प्रति एमडब्ल्यू की लागत रूपये 5.5 करोड़ होगी जोकि नई परियोजना के कार्यान्वयन की तुलना में बहुत कम होगी। सदस्य (भारत सरकार ऊर्जा) ने अध्यक्ष, बीबीएमबी के विचारों का यह कहते हुए समर्थन किया कि यह लागत नई परियोजना की लागत की तुलना में बहुत कम है।

चर्चा उपरान्त वर्ष 2019-20 के लिए रूपये 142954.57 लाख का बजट प्राक्कलन और वर्ष 2018-19 के लिए रूपये 126967.16 लाख का संशोधित बजट प्राक्कलन स्वीकृत किया गया।

#### मद संख्या - 231.04

बीबीएमबी द्वारा भाखड़ा नंगल परियोजना के सामान्य पूल उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति: एनएफएल की 25% दरों पर पुराने एचपी (10एमडब्ल्यू सामान्य पूल शेयर) के प्रशुल्क पर चर्चा।

चर्चा आरम्भ करते हुए, विशेष सचिव ने सूचित किया कि बोर्ड ने अपनी दिनांक 24-05-2018 को आयोजित 229वीं बैठक में यह निर्णय लिया है कि सीईआरसी द्वारा समय-समय पर जैसा कि अधिसूचित किया गया है कि पुराने एचपी को छोड़कर 21-09-2017 से सभी सामान्य पूल उपभोक्ताओं से राष्ट्रीय स्तर पर औसत विद्युत खरीद लागत (एपीपीसी) प्रभार्य होगा। यह निर्णय लिया गया था कि पुराने एचपी के प्रशुल्क पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। मसले पर 230वीं बैठक के दौरान चर्चा की गई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड की आगामी बैठक में चर्चा के लिये विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

तदनुसार बोर्ड की 230वीं बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार ने बोर्ड के अवलोकन हेतु एजेंडा प्रस्तुत किया। सदस्य/एचपी ने सूचित किया कि एजेंडा में दिये गए विवरण अनुसार पूर्व में 1996 से 2017 तक पुराने एचपी का प्रशुल्क एनएफएल की 18.98% से 25% दरों की सीमा में है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एचपी के लोगों द्वारा सामना की जाने वाली अव्यवस्था, पीड़ा और कठिनाइयों के कारण पूर्व सहमति और स्वीकृत पद्धति के मददेनजर हिमाचल प्रदेश के वार्षिक टैरिफ को मंजूरी देने के लिए अधिक वैद्य होगी जोकि ऑल इंडिया एवरेज पावर के 25% पर 10 एमडब्ल्यू के पुराने हिमाचल प्रदेश सामान्य पूल हिस्से के लिए है। क्रय लागत (एपीपीसी) दर 01-01-2018 से दिनांक 21-09-2017 के अनुसार जिस तारीख से बोर्ड ने अपनी 229वीं बैठक में अन्य सामान्य पूल उपभोक्ताओं के लिए कम दर तय की है।

सदस्य (पंजाब) ने पुराने हिमाचल प्रदेश पर प्रस्तावित रियायती प्रशुल्क के कारण राज्यों पर पड़ने वाले वित्तीय भार के बारे में अवगत कराने की इच्छा प्रकट की। यह सूचित किया गया कि रियायती प्रशुल्कों का सभी भागीदार राज्यों पर कुल वार्षिक लगभग 1.5 करोड़ वित्तीय बोझ पड़ेगा।

सदस्य (भारत सरकार-विद्युत) ने कहा कि उक्त अपर्याप्त वित्तीय निहितार्थ को ध्यान रखते हुए, वर्तमान हिमाचल प्रदेश की रियायती दरों की सहमत कार्यप्रणाली को जारी रखा जाए। सदस्य (हरियाणा) के प्रतिनिधि ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाए, क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात दिनांक 27-09-2011 को अपने निर्णय की घोषणा की थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के परिणामी अधिसूचना के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि भागीदार राज्यों को हिस्सा आंबटन सामान्य पूल उपभोक्ताओं को छोड़कर है। और सामान्य पूल आपूर्ति पर बोर्ड द्वारा अलग से विचार किया जाएगा।

विचार-विमर्श के पश्चात सभी सदस्यों ने 01-01-2018 से आगे औसत विद्युत खरीद लागत (एपीपीसी) दर के 25% पर 10 एम डब्ल्यू के हिमाचल प्रदेश सामान्य पूल हिस्से पर शुल्क लगाने पर सहमति व्यक्त की, क्योंकि सदस्य (हरियाणा) बैठक में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह निर्णय कार्यवृत्त की पुष्टि होने पर लागू किया जाएगा।

#### मद संख्या-231.14

‘द कुटलहर ट्रिजम डेवलमेंट सोसाइटी’ के पक्ष में अंदरोली, डाकखाना-रायपुर, तहसील बंगाना, जिला-ऊना (हिमाचल प्रदेश) को भाखड़ा जलाशय और आस-पास के 1 कि.मी. क्षेत्र में जल संबंधी पर्यटन और साहसिक खेल गतिविधियों के लिए बीबीएमबी से अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र।

निदेशक/सुरक्षा ने सदस्यों को कार्यसूची के बारे में बताया। उन्होंने सूचित किया कि सर्वप्रथम उपायुक्त-कम-अध्यक्ष, द कुटलहर ट्रिजम डेवलप्मेंट सोसाइटी, ऊना से अंदरोली गांव के पास भाखड़ा बांध जलाशय में जल संबंधी पर्यटन और साहसिक खेल गतिविधियों के लिए अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ। इसके बाद प्रधान सचिव, एमपीपी व विद्युत, हिमाचल प्रदेश, सरकार से अंदरोली गांव के पास भाखड़ा बांध जलाशय में जल संबंधी पर्यटन और साहसिक खेल गतिविधियों के लिए अनुमति/अनापत्ति प्रदान करने का अनुरोध उनके दिनांक 28-01-2019 के पत्र द्वारा प्राप्त हुआ। यह भी अनुरोध किया गया है कि इसे हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से बोर्ड की बैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तावित की जाने वाली कार्यसूची की मद समझा जाए।

अध्यक्ष, बीबीएमबी ने सूचित किया कि जिला आयुक्त, ऊना व्यक्तिगत रूप से उनके पास मसले पर चर्चा करने आए और यह सुनिश्चित किया कि आरएल 1700 मीटर नीचे बीबीएमबी की भूमि पर किसी प्रकार का कोई स्थाई निर्माण नहीं किया जाएगा। आगे उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि गतिविधियां केवल निर्धारित क्षेत्र के भीतर ही सीमित कर देंगे। अध्यक्ष, बीबीएमबी ने सूचित किया कि केवल हिमाचल प्रदेश, सरकार से प्राप्त अनुरोध पर ही बोर्ड में चर्चा हेतु विचार किया जाएगा, के बारे में जिला आयुक्त को सूचित कर दिया गया था।


विस्तृत चर्चा उपरान्त कार्यसूची में दिए गए प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

### 3.1 बीबीएमबी की जनशक्ति

दिनांक 31.03.2019 को सम्पूर्ण बीबीएमबी के लिए कुल स्वीकृत पदों तथा नियुक्त कार्मिकों की संख्या निम्नानुसार है:-

स्थापना की श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिक
समूह क	883	491
समूह ख	1793	972
समूह ग	4707	3349
समूह घ	4688	3453
योग	<b>12071</b>	<b>8265</b>

#### बीबीएमबी की जनशक्ति (कार्यपालक एवं अ-कार्यपालक) BBMB's Manpower (Executives and Non-Executives)



### 3.2 बीबीएमबी सचिवालय

अध्यक्ष, भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड, बोर्ड के मुख्य कार्यपालक हैं और दो पूर्णकालिक सदस्य, अर्थात् सदस्य (सिंचाई) और सदस्य (विद्युत) उनकी सहायता करते हैं।

#### क. स्टाफ की संख्या

दिनांक 31.3.2019 को बीबीएमबी सचिवालय, चण्डीगढ़ तथा उप सचिव/समन्वय कार्यालय, नई दिल्ली सहित केन्द्रीय कार्यालय में संस्वीकृत एवं नियुक्त स्टाफ की संख्या निम्नानुसार है:-

स्थापना की श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिक
समूह-क	82	59
समूह-ख	91	66
समूह-ग	156	105
समूह-घ	108	72
योग	437	302

ख. अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आबंटन (दिनांक 31.3.2019 को बीबीएमबी सचिवालय के विभिन्न अनुभागों में कार्यरत):-


श्रेणी	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	हिमाचल प्रदेश	केन्द्र सरकार	अन्य	पंजाब पावर	हरियाणा पावर	राजस्थान	एचपीएसईबीए	बीबीएमबी			
											नियमित	संविधा	तदर्थ	योग
समूह-क	8	14	4	0	0	0	8	6	0	8	11	-	11	59
समूह-ख	9	14	1	0	0	0	7	7	0	5	23	-	23	66
समूह-ग	15	3	4	0	0	0	9	1	0	1	72	-	72	105
समूह-घ	19	10	1	0	0	0	4	0	1	0	37	-	37	72
योग	51	41	10	0	0	0	28	14	1	14	143		143	302



### 3.3 सिंचाई खण्ड

सिंचाई खण्ड के तीन परियोजना स्थलों का नेतृत्व मुख्य अभियन्ता/भाखड़ा बांध, नंगल, मुख्य अभियन्ता/ब्यास बांध, तलवाड़ा और मुख्य अभियन्ता/ब्यास सतलुज लिंक, सुन्दरगनर करते हैं। जल नियमन मामलों के लिए निदेशक/जल नियमन, नंगल उत्तरदायी हैं।

#### बीबीएमबी (सिंचाई खण्ड) की संगठनात्मक व्यवस्था Organisational Set-Up Of BBMB (Irrigation Wing)



क. स्टाफ की संख्या

दिनांक 31.3.2019 को नियमित स्थापना के स्वीकृत पदों तथा नियुक्त स्टाफ की संख्या निम्नलिखित है:-

स्थापना की श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिक
समूह-क	308	172
समूह-ख	752	386
समूह-ग	2578	1973
समूह-घ	3239	2450
योग	6877	4981

ख. अधिकारियों/कर्मचारियों का आबंटन (दिनांक 31.3.2019 को विभिन्न संगठनों से नियुक्त)

ग.


श्रेणी	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	द्विमाचल प्रदेश	केन्द्र सरकार	अन्य	पंजाब पावर	हरियाणा पावर	राजस्थान	एचपीएसईबीए	बीबीएमबी			
											नियमित	संवैधा	तदर्थ	योग
समूह-क	82	29	15	6	0	0	1	0	1	26	12	NA	12	172
समूह-ख	134	76	1	6	0	0	5	2	0	16	146	NA	146	386
समूह-ग	791	20	7	13	0	0	15	11	3	27	1086	NA	1086	1973
समूह-घ	759	32	5	0	0	0	3	0	0	0	1651	NA	1651	2450
योग	1766	157	28	25	0	0	24	13	4	69	2895		2895	4981

### 3.4 विद्युत खण्ड

बीबीएमबी के विद्युत खण्ड के अंतर्गत तीन मुख्य अभियन्ता अर्थात: मुख्य अभियन्ता/पारेषण प्रणाली, चण्डीगढ़, मुख्य अभियन्ता/उत्पादन, नंगल और मुख्य अभियन्ता/प्रणाली परिचालन, चण्डीगढ़ क्रमशः पारेषण, उत्पादन तथा प्रणाली परिचालन खण्ड का नेतृत्व करते हैं।

#### बीबीएमबी विद्युत खण्ड की संगठनात्मक व्यवस्था

#### Organisational set up of BBMB (Power Wing)



क. स्टाफ की संख्या

दिनांक 31.3.2019 को नियमित स्थापना के स्वीकृत पदों तथा नियुक्त स्टाफ की संख्या निम्नलिखित है:-

स्थापना की श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिक
समूह-क	458	231
समूह-ख	811	410
समूह-ग	1822	1177
समूह-घ	1248	873
योग	<b>4339</b>	<b>2691</b>

ख. अधिकारियों/कर्मचारियों का आबंटन (दिनांक 31.3.2019 को विभिन्न संगठनों से नियुक्त)

श्रेणी	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	हिमाचल प्रदेश	केन्द्र सरकार	अन्य	पंजाब पावर	हरियाणा पावर	राजस्थान	एचपीएसईबीए	बीबीएमबी				
											नियमित	संविधा	तदर्थ	योग	कुल योग
समूह-क	2	4	1	1	0	0	82	74	35	23	9	NA	9	231	
समूह-ख	3	22	0	1	0	0	79	69	27	13	196	NA	196	410	
समूह-ग	96	8	1	0	0	0	94	50	20	1	907	NA	907	1177	
समूह-घ	70	1	0	0	0	0	16	10	13	0	763	NA	763	873	
योग	171	35	2	2	0	0	271	203	95	37	1875		1875	2691	


### 3.5 वित्त, लेखे तथा लेखा परीक्षा

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी बोर्ड के “निजी खाता लेखा” के परिचालन के लिए तथा लेखों से सम्बन्धित आवश्यक अनुदेश जारी करने के लिए प्रधान अधिकारी हैं। वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी का कार्य तिहरा है, अर्थात्:

- क) सभी वित्तीय मामलों में बोर्ड का वित्तीय सलाहकार ।
- ख) बोर्ड की आय तथा व्यय लेखे संकलित करने के लिए मुख्य लेखा अधिकारी तथा
- ग) बोर्ड के वित्तीय लेन-देन की आन्तरिक लेखा-परीक्षा तथा संवीक्षा के लिए मुख्य आन्तरिक लेखा-परीक्षक ।

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी बीबीएमबी की संगठनात्मक व्यवस्था

#### **Organisational Set-Up Of FA & CAO, BBMB**



क. स्टाफ की संख्या

दिनांक 31.03.2019 को नियमित स्थापना के स्वीकृत पदों तथा नियुक्त कार्मिकों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

स्थापना की श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिक
समूह-क	35	29
समूह-ख	135	110
समूह-ग	156	94
समूह-घ	92	58
योग	418	291

ख. अधिकारियों/कर्मचारियों का आबंटन (दिनांक 31.03.2019 को विभिन्न संगठनों से नियुक्त)

श्रेणी	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	हिमाचल प्रदेश			अन्य	पंजाब पावर	हरियाणा पावर	राजस्थान पावर	एचपीएसईबीएल	बीबीएमबी			
				डिप्टी कमिश्नर	केबल ऑफिसर	अन्य						नियमित	संवैधानिक	तदर्थ	योग
समूह-क	2	12	0	2	2	0	8	2	0	0	1	NA	1	29	
समूह-ख	25	26	0	4	2	1	19	6	0	1	26	NA	26	110	
समूह-ग	26	1	1	0	0	0	17	1	2	0	46	NA	46	94	
समूह-घ	18	7	0	0	0	0	6	0	0	0	27	NA	27	58	
योग	71	46	1	6	4	1	50	9	2	1	100		100	291	

### भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड की वित्तीय समीक्षा

- पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 79(1) के अंतर्गत अधिनियम की धारा 79 में उल्लेखित कार्यों के प्रशासन, परिचालन और अनुरक्षण हेतु भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा 79 की उप धारा 5 के अनुसार तत्कालीन पंजाब के उत्तराधिकारी राज्यों की सरकारों और राजस्थान राज्य के लिए हमेशा भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के अपने कार्यों के निर्वहन हेतु सभी अपेक्षित खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यक निधि जुटाना अपेक्षित है। बोर्ड वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के परामर्श से भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड नियमों के नियम 11 के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट आकलन के साथ-साथ चालू वर्ष के लिए संशोधित बजट आकलन तैयार करता है।
- सिंचाई खण्ड के राजस्व खर्च का वित्तपोषण भागीदार राज्यों, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों अर्थात् बीबीएमबी द्वारा सहमत अनुपातों में उनके अपने निजी संसाधनों से किया जाता है। इसी प्रकार, विद्युत खण्ड का राजस्व खर्च, आंशिक रूप में सामान्य पूल उपभोक्ताओं से की गई प्राप्तियों से और शेष में भागीदार पावर यूटीलिटीज़ द्वारा सहमत अनुपात में उनके अपने संसाधनों से पूरा किया जाता है।
- भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अपनी दिनांक 31.10.2011 की अधिसूचना सं.2/13/96-बीबीएमबी (वाल्यूम-VI) के द्वारा दिनांक 01.11.2011 से भाखड़ा-नंगल और ब्यास परियोजनाओं से विद्युत खण्ड के ऊर्जा के आबंटन के हिस्से में संशोधन किया है।
- विद्युत खण्ड की राजस्व प्राप्तियों के हिस्से को घटाने के बाद भागीदार राज्य सरकारों/भागीदार पावर यूटीलिटीज़ के वर्ष 2018-19 के बजट पर आधारित दायित्व निम्नानुसार निश्चित किए गए हैं:-

(लाख ₹ में)


पंजाब	14432.08	पीएसपीसीएल	21358.28
हरियाणा	9420.47	एचवीपीएनएल	18223.10
राजस्थान	12480.25	आरआरवीपीएनएल	12760.35
		एचपीएसईबी लिमिटेड	3186.55
		यूटी, चण्डीगढ़	1551.16

- भागीदार राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों द्वारा दी गई अग्रिम राशि भारत सरकार के पब्लिक अकाउंट में खोले गए वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के निजी खाता लेखे (पीएलए) में जमा कराई जाती है। जब भी खर्चा किया जाता है

तो राज्य सरकार/राज्य भागीदार पावर यूटीलिटीज़ का आनुपातिक हिस्सा, राज्य सरकारों/भागीदार पावर यूटीलिटीज़ के लेखों में ब्यौरा देने हेतु सम्बन्धित महालेखाकार/भागीदार पावर यूटीलिटीज़ को भेज दिया जाता है।

1. भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड का पीएलए जो समीक्षाधीन पूरे वर्ष के दौरान घनात्मक रहा वह 31 मार्च 2019 को 7785.25 लाख के जमा बकाया के साथ बंद हुआ।
2. लेखांकन की पीडब्ल्यूडी प्रणाली का अनुकरण किया जा रहा है और वर्ष के दौरान लेखांकन नीति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है।
3.
  - i) नोशनल परिचालन खर्च ₹ 82237.58 लाख  
(विद्युत खण्ड को प्रभार्य)
  - ii) विद्युत उत्पादन(मि.यू) 10079.92 एमयू  
उत्पादित यूनिटें (एक्स-बस)
4. ऊर्जा का प्रति यूनिट नोशनल परिचालन खर्च 81.58 पैसे  
(उत्पादन एवं पारेषण)
5. ऊर्जा बिक्री से प्राप्त राजस्व : 39727.41 लाख ₹  
जमा की गई राशि:
  - i) पी.एस.पी.सी.एल = 17389.51 लाख ₹
  - ii) एच.वी.पी.एन.एल. = 12656.48 लाख ₹
  - iii) आर.आर.वी.पी.एन.एल = 6085.05 लाख ₹
  - iv) एचपीएसईबी लिमिटेड = 2418.89 लाख ₹
  - v) यूटी, चण्डीगढ़ = 1177.48 लाख ₹






वर्ष 2018-19 में ऊर्जा विक्री राजस्व का पाई चार्ट

6. जल बिक्री से राजस्व तथा अन्य विविध प्राप्तियां: ₹ 1786.77 लाख जमा की गई राशि:

- (i) पंजाब सरकार = 758.22 लाख ₹  
(ii) हरियाणा सरकार = 505.47 लाख ₹  
(iii) राजस्थान सरकार = 523.08 लाख ₹




वर्ष 2018-19 के दौरान जल बिक्री राजस्व का पाई चार्ट

7. पूंजीगत व्यय (लाख ₹ में)

	पंजाब सरकार	हरियाणा सरकार	राजस्थान सरकार	कुल
भाखड़ा	64.77	43.18	19.38	127.33
ब्यास (अवशिष्ट कार्य)	1.31	1.10	3.21	5.62

8. भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड का खर्च (वर्कस तथा स्थापना)।



वर्ष  
Year

₹ in Crores

व्यय	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कार्य	136.10	129.33	154.71	162.71	226.51
स्थापना	753.70	846.30	856.41	903.75	990.45

## 4.1 विद्युत खण्ड

### 4.1.1 (क) लाभानुभोगी

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की दिनांक 31.10.2011 की अधिसूचना सं.2/13/96-बीबीएमबी (वालयूम-VI) के द्वारा नियत आबंटन के अनुसार दिनांक 01.11.2011 से निम्नलिखित लाभानुभोगी राज्य बीबीएमबी परियोजनाओं से विद्युत प्राप्त कर रहे हैं:-

- क) पंजाब
- ख) हरियाणा
- ग) राजस्थान
- घ) हिमाचल प्रदेश
- ड.) संघीय क्षेत्र, चंडीगढ़

(ख) सामान्य पूल उपभोक्ता

क.	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नया नंगल	1.02 लाख यूनिट/दिन
ख.	पुराना हिमाचल प्रदेश	1.2 लाख यूनिट/दिन
ग.	राजस्थान में उर्वरक कारखाने के लिए बिजली की आपूर्ति	5.0 लाख यूनिट/दिन
घ.	संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़	1.0 लाख यूनिट/दिन जमा 10 लाख यूनिट/दिन की विशेष सहायता
ड.	नंगल, तलवाड़ा और बीएसएल कॉम्प्लैक्स में सिंचाई शाखा को परियोजना आपूर्तियां	

### 4.1.2 राजस्व प्राप्तियां और खर्च

विद्युत खण्ड के राजस्व खर्च प्रधानतः सामान्य पूल उपभोक्ताओं की राजस्व प्राप्तियों से किए जाते हैं। सामान्य पूल उपभोक्ता की राजस्व प्राप्तियों से राजस्व खर्चों के बढ़ जाने की स्थिति में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अन्तर्गत किए गए उपबन्धों के अनुसार भागीदार राज्य बिजली बोर्ड/पावर यूटीलिटिज द्वारा इन अतिरिक्त खर्चों को वहन किया जाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियां, वसूले गए अग्रिम और किए गए खर्च और शेष राशि की स्थिति निम्नानुसार है:

क	राजस्व प्राप्तियां	
	राजस्व प्राप्तियों के ब्यौरे निम्नानुसार है:	(लाख ₹
	में)	

1	भाखड़ा	38936.55
---	--------	----------

2	ब्यास पारेषण लाइनें	211.65
3	देहर विद्युत संयंत्र, सलापड़ (अन्य प्राप्ति)	110.91
4	देहर विद्युत संयंत्र (विद्युत की बिक्री)	13.18
5	पौंग विद्युत संयंत्र, तलवाड़ा (अन्य प्राप्ति)	3.33
6	पौंग विद्युत संयंत्र (विद्युत की बिक्री)	16.75
7	भाखड़ा आईबी से प्राप्त को जोड़िए	301.35
8	यूनिट नं. 1 बीएसएल, सुन्दरनगर से प्राप्त को जोड़िए	135.33
9	यूनिट नं.2 पौंग डैम, तलवाड़ा से प्राप्त को जोड़िए।	(-)1.64
	योग	39727.41

ख राजस्व व्यय

वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व खर्चों के आंकड़े निम्नलिखित हैं:-

(लाख ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	कार्य	स्थापना	कुल
परिचालन एवं अनुरक्षण				
1.	भाखड़ा बायां किनारा विद्युत संयंत्र/उत्पादन	4236.55	5598.50	9835.05
2.	भाखड़ा बायां किनारा विद्युत संयंत्र /पारेषण	565.15	3293.28	3858.43
3.	भाखड़ा दायां किनारा विद्युत संयंत्र /उत्पादन	412.17	3691.57	4103.74
4.	भाखड़ा दायां किनारा विद्युत संयंत्र /पारेषण	830.75	9792.22	10622.97
5.	ब्यास पारेषण लाइनें	892.95	7467.82	8360.77
6.	देहर विद्युत संयंत्र	2021.68	3847.86	5869.54
7.	पौंग विद्युत संयंत्र	293.57	648.99	942.56
8.	भाखड़ा सिंचाई शाखा से प्राप्त को जोड़िए	1322.97	16074.24	17397.21
9.	ब्यास परियोजना के यूनिट नं. 1 (ब्यास सतलुज लिंक, सुन्दरनगर) से प्राप्त को जोड़िए	2011.73	15922.75	17934.48
10.	ब्यास परियोजना के यूनिट नं. 2 (पौंग डैम, तलवाड़ा) से प्राप्त को जोड़िए	197.12	3115.71	3312.83
	योग	<b>12784.64</b>	<b>69452.94</b>	<b>82237.58</b>
नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन (आर,एम एण्ड यू)				
11	भाखड़ा बायां किनारा विद्युत घर का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन	6390.45	--	6390.45

	योग (आर, एम एण्ड यू)	6390.45	--	6390.45
	कुल व्यय (विद्युत खण्ड) (परिचालन एवं अनुरक्षण + नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन)	19175.09	69452.94	88628.03

ग पूंजीगत व्यय

पूंजीगत लेखा शीर्ष कोई पूंजीगत व्यय बुक नहीं किया गया है। तथापि, वर्ष के दौरान नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन योजनाओं से संबंधित व्यय का बयौरा ऊपर दिया गया है।

#### 4.1.3 राजस्व प्राप्तियों और खर्चों की भागीदारी

विद्युत खण्ड की राजस्व प्राप्तियां और खर्चें भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज़ के बीच निम्नवर्णित अनुसार बांटे गए हैं:-

##### क. भाखड़ा कॉम्पलैक्स

राजस्व प्राप्तियां और खर्चें जिसमें आर, एम एण्ड यू खर्चें भी शामिल हैं, भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज़ के बीच निम्नलिखित अनुपात में बांटे गए हैं:

क्रम.सं.	राज्य विद्युत यूटिलिटी	प्रतिशत
1.	आर.आर.वी.पी.एन.एल.	15.22%
2.	पी.एस.पी.सी.एल.	51.80%
		(आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
3.	एच.वी.पी.एन.एल	37.51%
		(आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
4.	एच.पी.एस.ई.बी.एल.	7.19%
		(आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
5.	विद्युत विभाग, यूटी., चण्डीगढ़।	3.50%
		(आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)

ख) ब्यास परियोजना

(i) ब्यास परियोजना यूनिट-I (देहर विद्युत संयंत्र)

देहर विद्युत संयंत्र से कुल राजस्व प्राप्तियां/खर्च विद्युत और सिंचाई खण्डों के बीच 94:6 के अनुपात में बांटे जाते हैं। विद्युत क्षेत्र की 94% की शुद्ध राजस्व प्राप्तियां/खर्च भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज के बीच निम्नलिखित अनुपात में बांटे गए हैं:-

क्रम.सं.	राज्य विद्युत यूटिलिटी	प्रतिशत
1.	आर.आर.वी.पी.एन.एल.	20%
2.	पी.एस.पी.सी.एल.	51.80% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
3.	एच.वी.पी.एन.एल	37.51% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
4.	एच.पी.एस.ई.बी.एल.	7.19% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
5.	विद्युत विभाग, यूटी., चण्डीगढ़।	3.50% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)

(ii) ब्यास परियोजना यूनिट-II (पौंग बांध)

पौंग विद्युत संयंत्र से कुल राजस्व प्राप्तियां/खर्च को सिंचाई और विद्युत खण्डों में 76.5 और 23.5 अनुपात में बांटा जाता है। विद्युत क्षेत्र की 23.5% शुद्ध राजस्व प्राप्तियां/खर्च का भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज के बीच निम्नलिखित अनुपात में बांटा जाता है:-

क्रम.सं.	राज्य विद्युत यूटिलिटी	प्रतिशत
1.	आर.आर.वी.पी.एन.एल.	58.5%
2.	पी.एस.पी.सी.एल.	51.80% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
3.	एच.वी.पी.एन.एल	37.51% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)

4.	एच.पी.एस.ई.बी.एल.	7.19% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
5.	विद्युत विभाग, यूटी., चण्डीगढ़।	3.50% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)

(iii) ब्यास पारेषण लाइनें

दिनांक 01.11.2011 से भागीदार पावर यूटिलिटीज के बीच हिस्से का पुनःआबंटन निम्नानुसार किया गया:-

क्रम.सं.	राज्य विद्युत यूटिलिटी	प्रतिशत
1.	आर.आर.वी.पी.एन.एल.	23.80%
2.	पी.एस.पी.सी.एल.	28.72% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
3.	एच.वी.पी.एन.एल	60.59% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
4.	एच.पी.एस.ई.बी.एल.	7.19% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
5.	विद्युत विभाग, यूटी, चण्डीगढ़।	3.50% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)

4.1.4 भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज पर बकाया ओ एण्ड एम प्रभार

विवरण	पीएसपीसी एल	एचवीपी एनएल	आरआरवीपी एनएल	एचपीएसई बीएल	यूटी, चण्डीगढ़	योग
01.04.2018 को बकाया राशि	13852.94	452.15	283.64	141.85	195.24	14925.82
वर्ष के दौरान वसूल की गई राजस्व प्राप्तियां	17389.51	12656.48	6085.05	2418.89	1177.48	39727.41
वर्ष के दौरान	19970.43	14758.94	10683.85	2609.96	1349.08	49372.26



भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज द्वारा रिलीज की गई अग्रिम राशि						
कुल उपलब्ध राशि	23507.00	26963.27	16485.26	4887.00	2331.32	74173.85
वर्ष के दौरान किए गए खर्च	32729.77	26236.36	16213.49	4747.13	2310.84	82237.59
दिनांक 31.03.2019 को उपलब्ध शेष राशि	<b>9222.77</b>	<b>-726.91</b>	<b>-271.77</b>	<b>-139.87</b>	<b>-20.48</b>	<b>8063.74</b>

दिनांक 31 मार्च, 2019 को भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज से राजस्व खर्च में इनके हिस्से की वसूली योग्य राशि की स्थिति निम्नानुसार दी गई है:-

#### 4.1.5 दिनांक 31.03.2019 को बकाया राशि का संक्षिप्त विवरण

(-) अग्रिम

(+) वसूली योग्य राशि

(लाख ₹ में)

क्रम संख्या	राज्य विद्युत यूटिलिटी	कुल ओ एण्ड एम प्रभार	कुल आर एम एण्ड यू प्रभार	कुल बकाया राशि
1.	पीएसपीसीएल	9222.77	1145.47	10368.24
2.	एचवीपीएनएल	-726.91	829.51	102.60
3.	आरआरवीपीएनएल	-271.77	912.21	640.44
4.	एचपीएसईबीएल	-139.87	159.14	19.27
5.	संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़	-20.48	174.49	154.01
	योग	<b>8063.74</b>	<b>3220.82</b>	<b>11284.56</b>

#### 4.1.6 बिजली की बिक्री के लिए सामान्य पूल उपभोक्ताओं से बकाया राशि

वर्ष के दौरान मैसर्ज राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नया नंगल, पुराना हिमाचल प्रदेश, संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़, राजस्थान उर्वरक कारखाना और भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड का सिंचाई खण्ड, सामान्य उपभोक्ता रहे थे। संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़ और हिमाचल प्रदेश (नया) ने तत्कालीन पंजाब राज्य के उत्तराधिकारी होने के आधार पर परियोजना से विद्युत सप्लाई प्राप्त की। विभिन्न सामान्य पूल उपभोक्ताओं तथा अन्य के विरुद्ध 31 मार्च, 2019 को निम्नानुसार राशियाँ बकाया थीं:

(-) अग्रिम

(+) वसूली योग्य राशि

क्र.सं.	की गई उर्जा बिक्री	लाख ₹ में
1.	मैसर्ज राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नया नंगल -ऊर्जा -पानी की बिक्री	1.00
2.	राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के माध्यम से राजस्थान उर्वरक कारखाना	17763.30
3.	जम्मू एवं कश्मीर	679.69
4.	सिंचाई खण्ड नंगल	0.59
5.	ब्यास सतलुज लिंक परियोजना	20.03
6.	ब्यास परियोजना	3.09
7.	संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़, (निर्धारित आबंटन 3.5 प्रतिशत)	12328.86
8.	संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़ (विशेष सहायता) 10 लाख/दिन	2030.63
9.	संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़ (एक लाख/दिन)	203.06
10.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड(पुरानी पूर्ती )	69.54
	योग	<b>33099.79</b>

#### 4.1.7 अन्य बकाया राशि

##### क) पूल कृत पारेषण हानियां

क्र.सं.	विवरण	लाख ₹ में
1.	पी.एस.पी.सी.एल.	- 2.89
2.	एच.वी.पी.एन.एल.	0.01
3.	उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड	0.01
4.	संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़	0.01
5.	जम्मू एवं कश्मीर	2.43
	योग	- 0.43

##### ख) वहीलिंग प्रभार (समयपुर)

क्र.सं.	विवरण	लाख ₹ में
1.	उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड	-2.72
2.	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीईएसयू)	13.06
3.	जम्मू और कश्मीर	1111.82
	योग	1122.16

##### ग) वहीलिंग प्रभार (बैरासूल)

क्र.सं.	विवरण	लाख ₹ में
1.	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीईएसयू)	102.91
2.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल)	316.85
	योग	419.76

##### घ) केन्द्रीय विद्युत शुल्क

क्र.सं.	विवरण	लाख ₹ में
1.	संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़	59.33
2.	ब्यास सतलुज लिंक परियोजना	3.01
	योग	62.34

##### ड) 132 केवी, देहर-शिमला लाइन पर नियंत्रण उपकरण का अनुरक्षण प्रभार

क्र.सं.	विवरण	लाख ₹ में
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड	4.43
	योग	4.43

कुल योग

₹ 34708.05 लाख में

#### 4.1.8 ऊर्जा आबंटन/बिक्री

सामान्य पूल उपभोक्ताओं को विद्युत के विक्रय द्वारा राजस्व एकत्र किया जा रहा है जबकि राज्य बिजली बोर्डों को ऊर्जा हर एक परियोजना में उनके हिस्से के अनुसार आबंटित की जाती है। राज्य विद्युत यूटीलिटीज के साथ-साथ सामान्य पूल उपभोक्ताओं को किए गए आबंटन का विवरण निम्नलिखित है:-

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

परियोजना	पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़	अन्य सामान्य पूल उपभोक्ता	योग
भाखड़ा कॉम्प्लैक्स	2054.41	1487.66	712.00	285.16	138.81	669.79	5347.83
देहर	1299.08	940.70	626.97	180.31	87.78	12.11	3146.95
पोंग	315.88	228.74	859.61	43.85	21.34	9.47	1478.89
कुल योग	<b>3669.37</b>	<b>2657.10</b>	<b>2198.58</b>	<b>509.32</b>	<b>247.93</b>	<b>691.37</b>	<b>9973.67</b>

- आंकड़े एनआरपीसी द्वारा जारी आईए में दर्शाई गई शैड्यूल एनर्जी पर आधारित होते हैं ।
- बीबीएमबी विद्युत घरों द्वारा भेजी गई कुल ऊर्जा 10079.92 एमयू है और भागीदार राज्यों/लाभार्थियों को बुक की गई ऊर्जा 9973.67 एमयू है । भागीदार राज्यों/लाभार्थियों को बुक की गई वास्तविक ऊर्जा और ऊर्जा के अन्तर को विचलन निवटान तंत्र (डीएसएम) के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि बीबीएमबी के उत्पादन केन्द्र जून 2016 से एबीटी के दायरे में आ गए हैं ।

## 4.2 सिंचाई खण्ड

### 4.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ और खर्च

राजस्व एवं पूंजीगत खर्चों के संबंध में समेकित मासिक लेखे राज्य लेखों में समायोजित करने के लिए सम्बन्धित महालेखाकारों को भेजे जाते हैं। मासिक प्राप्तियाँ/खर्चों की प्रतियाँ, भारत सरकार, राज्य सरकारों और भागीदार राज्यों के मुख्य अभियन्ताओं को भेजी जाती हैं ताकि उन्हें इन खर्चों के प्रवाह से अवगत कराया जा सके और बोर्ड के लिए वित्त की व्यवस्था की जा सके। आहरित चेकों तथा भेजी गयी रकम के मासिक वर्गीकृत लेखे, लेखा नियन्त्रक, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय को भेजे जाते हैं।

## क राजस्व प्राप्तियाँ

वर्ष के अंतर्गत वसूल की गई राजस्व प्राप्तियाँ 1786.77 लाख ₹ हैं। प्रचलित प्रथा के अनुसार, सिंचाई खण्ड से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों का भागीदार राज्य सरकारों को भुगतान मार्च के महीने में किया जाता है।

## ख राजस्व खर्च

कुल राजस्व खर्च, निम्न पैरा 4.2.2 में वर्णित ढंग से सिंचाई और विद्युत खण्ड में विभाजित किया जाता है। जारी की गई निधियों के साथ-साथ किए गए खर्च की भागीदार राज्यवार स्थिति नीचे दी गई है:-

(-) अग्रिम

(+) वसूली योग्य राशि

(लाख ₹ में)

विवरण	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	योग
<b>भाखड़ा कॉम्पलैक्स</b>				
दिनांक 01.04.2018 को प्रारम्भिक शेष	<b>426.27</b>	<b>3318.30</b>	<b>-150.88</b>	<b>3593.69</b>
वर्ष के दौरान जारी की गई राशि	8790.96	6198.33	2755.71	17745.00
उपलब्ध कुल धन राशि	8364.69	2880.03	2906.59	14151.31
वर्ष के दौरान खर्च	9118.64	5878.66	2698.21	17695.51
31.03.2019 को अंतिम शेष राशि	<b>753.95</b>	<b>2998.63</b>	<b>-208.38</b>	<b>3544.20</b>
<b>ब्यास परियोजना</b>				
दिनांक 01.04.2018 को प्रारम्भिक शेष	<b>-907.68</b>	<b>-2471.78</b>	<b>-1387.40</b>	
वर्ष के दौरान जारी की गई राशि	4509.04	3201.67	6999.94	
उपलब्ध कुल धन राशि	5416.72	5673.45	8387.34	
वर्ष के दौरान खर्च	4224.21	2816.14	8331.73	
31.03.2019 को अंतिम शेष राशि	<b>-1192.51</b>	<b>-2857.31</b>	<b>-55.61</b>	
31.03.2019 को भाखड़ा और ब्यास में उपलब्ध कुल शेष राशि	<b>-438.56</b>	<b>141.32</b>	<b>-263.99</b>	

#### 4.2.2 राजस्व प्राप्तियाँ और खर्च की हिस्सेदारी

##### क. भाखड़ा

सकल प्राप्ति/खर्च सिंचाई तथा विद्युत खण्ड के बीच 50:50 अनुपात में बांटी जाती है।

निवल सिंचाई प्राप्ति खर्च को आगे राज्य सरकारों में निम्नलिखित अनुपात में बांट दिया जाता है:-

राजस्थान	15.22%	यूनिट नं.1
	19.06%	यूनिट नं. 2 और 3
पंजाब	60%	} राजस्थान का हिस्सा घटाने के पश्चात
हरियाणा	40%	

##### ख. ब्यास परियोजना यूनिट नं.1 (ब्यास सतलुज लिंक)

ब्यास परियोजना यूनिट नं.1, ब्यास सतलुज लिंक परियोजना की कुल राजस्व प्राप्ति/खर्च सिंचाई तथा विद्युत के बीच 6:94 के अनुपात में बांटी जाती है। भागीदार राज्य सरकारों के बीच निवल सिंचाई प्राप्तियाँ/खर्च की हिस्सेदारी निम्नलिखित अनुपात में की जाती है:-

राजस्थान	15%
हरियाणा	34%
पंजाब	51%

##### ग. ब्यास परियोजना यूनिट-II (पोंग बांध)

सिंचाई खण्ड की कुल प्राप्ति/खर्च सिंचाई और विद्युत के बीच 76.5:23.5 के अनुपात में बांटा जाता है। निवल 76.5 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियाँ/खर्च भागीदार राज्य सरकारों के बीच निम्नलिखित अनुपात में बांटे जाते हैं:-

राजस्थान	58.5%
पंजाब	24.9%
हरियाणा	16.6%

#### 4.2.3 परियोजनाओं का पूंजीगत खर्च

##### क. भाखड़ा परियोजना

बोर्ड का पूंजीगत खर्च अतिरिक्त भण्डार मशीनरी की बिक्री से हुई आय से चलाया जाता है क्योंकि इस खर्च के लिए भागीदार राज्य सरकारों/भारत सरकार द्वारा लेखे के पूंजीगत शीर्ष के अधीन कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया जाता है। भागीदार राज्यवार स्थिति निम्नानुसार है:-

4700 - मेजर सिंचाई पर पूंजीगत लागत

(लाख ₹ में)

	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	योग
01.04.2018 को प्रारम्भिक शेष राशि	-801.81	-534.55	-239.58	-1575.94
वर्ष के दौरान खर्च	64.77	43.18	19.38	127.33
राज्य सरकारों द्वारा बीबीएमबी को भुगतान योग्य कुल राशि	-737.04	-491.37	-220.20	-1448.61

4801 - विद्युत परियोजना- हाइडल उत्पादन बायां विद्युत संयंत्र (एलपीपी)

(लाख ₹ में)

01.04.2018 को प्रारम्भिक शेष राशि	-31.84	- 21.22	- 9.52	- 62.58
वर्ष के दौरान खर्च	--	--	--	--
राज्य सरकारों द्वारा बीबीएमबी को भुगतान योग्य कुल राशि	-31.84	- 21.22	- 9.52	- 62.58

4801 - विद्युत परियोजना -हाइडल उत्पादन दायां विद्युत संयंत्र (आरपीपी)

(लाख ₹ में)

01.04.2018 को प्रारम्भिक शेष राशि	66.29	44.24	14.68	125.21
वर्ष के दौरान खर्च	--	--	--	--
राज्य सरकारों द्वारा बीबीएमबी को भुगतान योग्य कुल राशि	66.29	44.24	14.68	125.21
राज्य सरकारों द्वारा बीबीएमबी को भुगतान योग्य राशि का कुल योग (एलपीपी+आरपीपी)	34.45	23.02	5.16	62.63

#### ख. ब्यास परियोजना

ब्यास परियोजना का पूंजीगत खर्च, पहले भारत सरकार द्वारा भागीदार राज्य सरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता से पूर्ण किया जाता था। परियोजना की अवशिष्ट देयताओं को कार्यरूप देने के लिए अब भागीदार राज्य सरकारों द्वारा अपनी योजना लागत में से या अपने निजी संसाधनों से निधियों की व्यवस्था की जाती है। शेष खर्चों की राज्यवार स्थिति निम्नानुसार है:-

4700 एवं 4801 - ब्यास परियोजना का पूंजीगत खर्च

(लाख ₹ में)

	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	योग
01.04.2018 को प्रारम्भिक शेष राशि	337.52	262.75	438.11	1038.38
वर्ष के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त राशि	--	--	--	--
वर्ष के दौरान खर्च	1.31	1.10	3.21	5.62
राज्य सरकारों द्वारा बीबीएमबी को भुगतान योग्य कुल राशि (सिंचाई और विद्युत)	338.83	263.85	441.32	1044.00

#### 4.3 भागीदार राज्य सरकारों से बकाया राशि की स्थिति (31.03.2019 के अनुसार)

(-) अग्रिम

(+) वसूली योग्य राशि

(लाख ₹ में)

विवरण	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	योग
परिचालन एवं अनुरक्षण प्रभार	-438.56	141.32	-263.99	-561.23
बीसीबी (अवशिष्ट कार्य)	338.83	263.85	441.32	1044.00
योग	-99.73	405.17	177.33	482.67



#### 4.4 अंशदायी भविष्य निधि (31.3.2019 की स्थिति अनुसार)

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के तदर्थ/नियमित/वर्कचार्ज कर्मचारी भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड अंशदायी एवं सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा संचालित बोर्ड की सामान्य भविष्य निधि/पेंशन योजना अथवा अंशदायी भविष्य निधि योजना में अभिदान के हकदार हैं। आधे न्यासी प्रबंधक वर्ग का और शेष आधे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न निर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड कर्मचारी अंशदायी एवं सामान्य भविष्य निधि के शेष की स्थिति निम्नलिखित है:-

(लाख ₹ में)

क्र. सं.	प्रतिभूतियों/इन्स्ट्रुमेंट्स का नाम	रूपये
1.	केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	9982.30
2.	भारत सरकार का विशेष जमा योजना खाता	6678.99
3.	आधार आवास वित्त लिमिटेड	450.00
4.	आदित्य बिरला फाइनांस	400.00
5.	आन्ध्र बैंक बॉन्ड	400.00
6.	आन्ध्र प्रदेश राज्य विकास ऋण खाता	2119.80
7.	बजाज वित्त लिमिटेड बॉन्ड	300.00
8.	बिहार राज्य विकास ऋण	1,130.00
9.	कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड	700.00
10.	छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डीसी लिमिटेड	1,000.00
11.	क्रेडिला वित्त सेवाएँ प्राइवेट लिमिटेड	100.00
12.	दीवान हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड	650.00
13.	निर्यात आयात बैंक बॉन्ड	140.00
14.	एडलिवेस फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	600.00
15.	भारतीय खाद्य निगम बॉन्ड	1000.00
16.	गुजरात राज्य विकास ऋण खाता	200.00
17.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड बॉन्ड	500.00
18.	हरियाणा राज्य विकास ऋण	500.00
19.	हीरो वित्त निगम लिमिटेड	600.00
20.	हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड बॉन्ड	450.00
21.	आई.डी.बी.आई बैंक लिमिटेड बॉन्ड	820.00
22.	इण्डिया बुल्ज वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	310.00
23.	भारतीय रेलवे वित्त निगम बॉन्ड	300.00
24.	औद्योगिक विकास वित्त निगम बॉन्ड	900.00

25.	आईएल एंड एफ.एस.वित्तीय सेवाएं	700.00
26.	आईएल एण्ड एफ.एस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड	1,550.00
27.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण खाता	900.00
28.	कृष्णा भाग्य निगम लिमिटेड	250.00
29.	कर्नाटका एसडीएल	900.00
30.	एल एड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कम्पनी लिमिटेड बॉन्ड	480.00
31.	एल एड टी आवास वित्त लिमिटेड	200.00
32.	महाराष्ट्र राज्य विकास ऋण खाता	780.00
33.	मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण खाता	60.90
34.	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा वित्तीय सेवा लिमिटेड	300.00
35.	नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन(नीपको लिमिटेड)	200.00
36.	पटेल केएनआर हैवी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	1,000.00
37.	पीएनबी आवास वित्त लिमिटेड बॉन्ड	630.00
38.	पी.एन.बी. परपेचुअल बॉन्ड	350.00
39.	विद्युत वित्त निगम लिमिटेड बॉन्ड	2,550.00
40.	पंजाब वित्त निगम बॉन्ड	40.00
41.	पंजाब राज्य विकास निगम ऋण लेखा	1,800.00
42.	पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम बॉन्ड	600.00
43.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	700.00
44.	राजस्थान राज्य विकास ऋण खाता	1,700.00
45.	रिलायंस कैपिटल लिमिटेड बॉन्ड	900.00
46.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड बॉन्ड	1,640.06
47.	सिक्किम राज्य विकास ऋण खाता	20.00
48.	सिन्टैक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड	600.00
49.	एसबीआई कार्ड एवं भूगतान	1,000.00
50.	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बॉन्ड	8.40
51.	स्टील ऑथॉरटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड	200.00
52.	तमिलनाडु उदय बाँड	2,040.00
53.	तमिलनाडु बिजली बोर्ड बॉन्ड	80.00
54.	तमिलनाडु विद्युत वित्त एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास लिमिटेड	150.00
55.	तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण कॉरपोरेशन	500.00
56.	टाटा कैपिटल वित्त लिमिटेड	500.00

57.	टाटा मोटर वित्त लिमिटेड	100.00
58.	टाटा स्टील लिमिटेड बॉन्ड	200.00
59.	टूरिज्म फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	132.00
60.	यूको बैंक बॉन्ड	140.00
61.	उत्तर प्रदेश राज्य विकास ऋण खाता	3,400.00
62.	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	800.00
63.	पश्चिम बंगाल राज्य विकास ऋण खाता	1,175.00
	योग	59,507.45
	म्यूटअल फंड	
64.	BOIAXAMIDCAP equity's Debt Fund	25.00
65.	भारत 22 ईटीएफ एमएफ	150.00
66.	भारतीय स्टेट बैंक ब्लू चिप फंड ग्रोथ	580.00
67.	एसबीआई मैगनम लांग टर्म फण्ड	100.00
68.	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ग्रोथ	345.00
69.	आईएलएण्ड एफएस इंफास्ट्रकचर डैप्ट फंड सीरीज़ 3 ए	200.00
70.	रिलायंस रेगुलर सेविंग फण्ड्स	140.00
71.	रिलायंस टीओपी 200	25.00
72.	कोटेक ईटीएफ फंड	50.89
73.	कोटेक सिलेक्ट फोक्स म्यूटयूअल फण्ड	100.00
74.	कोटेक सिलेक्ट गिल्ट इन्वेस्टमेंट फंड	200.00
75.	एचडीएफसी गिल्ट फंड	100.00
76.	यूटी आई गिल्ट फंड	200.00
77.	मोतीलाल ओसवाल 35 सीपीए मल्टीकैप फंड (एमएफ)	100.00
78.	कोटेक स्टैंडर्ड मल्टीकैप फंड	100.00
79.	रिलायंस लार्ज कैप फंड	50.00
80.	सीपीएससी ईटीएफ (रिलायंस) म्यूटअल फंड	250.00
81.	एचडीएफसी टॉप-100 फंड	50.00
82.	एसबीआई निफ्टी इन्डेक्स फंड	25.00
83.	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इन्डेक्स फंड	50.00
84.	रिलायंस इन्डेक्स फंड	50.00
	कुल म्यूटअल फंड	2,890.89
	कुल निवेश 31.03.2019 तक	62,398.34
	चालू बचतों का बैंकों में बकाया	1310.64
	कुल योग	63,708.98

#### 4.5 लेखा परीक्षा

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के विभिन्न मण्डलों/कार्यालयों की आन्तरिक लेखा परीक्षा बोर्ड के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी द्वारा की जाती है। वैधानिक लेखा परीक्षा महालेखाकार, लेखा परीक्षा, पंजाब द्वारा की जाती है। बोर्ड के 03/2019 तक के लेखों की लेखा परीक्षा महालेखाकार, लेखा परीक्षा, पंजाब द्वारा की जाती है।

#### 4.6 निजी बही खाता लेखा (पीएलए)

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 79(5) के उपबन्धों के अन्तर्गत, बीबीएमबी को अपने कार्यों, जिनमें क्रमशः सिंचाई खण्ड (बांधों, नहरों और अन्य सिविल संरचनाओं) और विद्युत खण्ड (विद्युत संयन्त्र, पारेषण नेटवर्क, आदि) के लिए परिचालन एवं अनुरक्षण प्रभार शामिल हैं, का निर्वहन करने के लिए अपेक्षित सभी खर्चों को पूरा करने हेतु भागीदार राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों द्वारा आवश्यक निधियों की व्यवस्था कराना आवश्यक है। क्योंकि बीबीएमबी के पास परिचालन एवं अनुरक्षण प्रभारों को पूरा करने के लिए अपनी कोई कार्य पूंजी नहीं है इसलिए दिनांक 14.02.1967 को सचिव, सिंचाई एवं विद्युत, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा आयोजित बैठक में सरकार की पुस्तिकाओं में खोले जाने वाले निजी बही खाता लेखा (पीएलए) में इन निधियों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें भागीदार राज्य अपने सम्बन्धित बजट में प्रावधान करने के उपरांत अपने हिस्से के अनुसार उचित राशि का अंशदान करेंगे। 31.03.2019 को निजी बही खाता लेखा में ₹ 7785.25 लाख शेष थे।

#### 4.7 बीबीएमबी प्रणाली की परिचालन एवं अनुरक्षण लागत

वर्ष के दौरान बीबीएमबी की सैद्धान्तिक उत्पादन और पारेषण की लागत क्रमशः ₹ 593.95 करोड़ और ₹ 228.42 करोड़ बुक की गई। सैद्धान्तिक उत्पादन कार्यों के लिए ओ एण्ड एम लागत 58.92 पैसे/किलोवाट घंटे तथा पारेषण लागत 22.66 पैसे/किलोवाट घंटे निकलती है। सामान्य पूल उपभोक्ताओं से प्राप्तियों की गणना करने के उपरांत भागीदार राज्यों (पारेषण सहित) को वितरित ऊर्जा की लागत 45.80 पैसे/किलोवाट घंटे निकलती है।

## 5.1 विद्युत खण्ड

बीबीएमबी के विद्युत घरों से विद्युत उत्पादन करने और विभिन्न भागीदारों/लाभानुभोगियों को इसे पारेषित करने का कार्य बोर्ड के विद्युत खण्ड के अधीन है। प्रणाली के एकीकृत परिचालन के लिए विद्युत प्रणाली की रियल टाइम मॉनीटरिंग की आवश्यकता है ताकि प्रणाली में फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और लोडिंग पर प्रभावी नियन्त्रण रखा जा सके तथा उत्पादन संसाधनों का इष्टतम प्रयोग किया जा सके। ये कार्य चण्डीगढ़ में स्थापित किए गए स्टेट ऑफ दी आर्ट प्रणाली भार प्रेषण केन्द्र के माध्यम से विद्युत विनियम निदेशालय द्वारा निष्पादित किए जाते हैं।

### 5.1.1 ऊर्जा उत्पादन

वर्ष 2018-19 के दौरान बीबीएमबी के विद्युत उत्पादक केन्द्रों का कुल उत्पादन 10190.26 मिलियन यूनिट (जिसमें गंगूवाल एवं कोटला विद्युत घरों का अनुमानित 1.365 मिलियन यूनिट का उत्पादन शामिल है) हुआ था, जो वर्ष 2018-19 के लिए सीईए द्वारा निर्धारित किए गए 9425 मिलियन यूनिट के वार्षिक उत्पादन लक्ष्य से 8.12% अधिक है। वर्ष 2018-19 के दौरान बीबीएमबी के प्रत्येक विद्युत घर का वार्षिक ऊर्जा उत्पादन चित्र 1 में दर्शाया गया है। वर्ष 2009-2010 से 2018-19 तक के वर्षों के दौरान वार्षिक लक्ष्य और वास्तविक ऊर्जा उत्पादन चित्र 2 में प्रदर्शित किया गया है।

### 5.1.2 शीर्ष उत्पादन

बीबीएमबी भागीदार राज्यों की शीर्ष मांग को पूरा करने का पूर्ण प्रयास करता है। मानसून, सर्दी, नरम सर्दी और गर्म मौसम की अवधियों में बीबीएमबी बिजली घरों का विशिष्ट उत्पादन वक्र चित्र-3 में दर्शाया गया है।

### 5.1.3 विद्युत घरों की उपलब्धता

वर्ष 2018-19 के दौरान भाखड़ा बायां किनारा और भाखड़ा दायां किनारा विद्युत घरों का वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणक क्रमशः 99.43% और 99.98% था। पोंग विद्युत घर में उपलब्धता 94.27% थी। देहर विद्युत घर पर उपलब्धता 99.79% थी। गंगूवाल और कोटला विद्युत घरों का वार्षिक उपलब्धता गुणक क्रमशः 98.42% और 99.16% था। बीबीएमबी के विद्युत घरों का संयंत्र उपलब्धता गुणक चित्र 4 में दर्शाया गया है। बीबीएमबी विद्युत घरों की कुल उपलब्धता 97.95% थी।

### 5.1.4 ऊर्जा पारेषण

बीबीएमबी बिजली घरों से (विभिन्न भागीदार/लाभग्राही राज्यों को) 10079.92 मिलियन यूनिट ऊर्जा पारेषित की गई और भागीदारों/लाभग्रहियों को 9973.67 मिलियन यूनिट ऊर्जा बुक की गई। जैसा कि चित्र 5 में दर्शाया गया है। चूंकि बीबीएमबी के उत्पादन केन्द्र जून, 2016 से एबीटी के तहत आ गए हैं, अतएव बाहर भेजी गई ऊर्जा तथा भागीदार राज्य / लाभ ग्रहियों को बुक की गई ऊर्जा की गणना विचलन समाधान तंत्र (डीएसएम) के अन्तर्गत की गई है। बीबीएमबी विद्युत घरों में अतिरिक्त खपत 27.066

मिलियन यूनिट (0.266%) हुई है और ट्रांसफॉर्मेशन हानियां 81.909 मिलियन यूनिट (0.804%) रही है।

#### 5.1.5 पारेषण प्रणाली की उपलब्धता

वर्ष 2018-19 के दौरान बीबीएमबी की पारेषण प्रणाली की उपलब्धता 99.69% रही।

#### 5.1.6 नंगल हाइडल चैनल (एनएचसी) से आनन्दपुर साहिब हाइडल चैनल (एसएचसी) तक पानी का प्रत्यावर्तन (डाइवर्शन)

बोर्ड की 23.12.2003 को आयोजित 184वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जब कभी गंगवाल और/अथवा कोटला विद्युत घर(घरों) पर कोई मशीन बन्द होती है/हैं, तब पंजाब और हरियाणा की सिंचाई की मांग पूरा करने के बाद फालतू पानी नंगल हाइडल चैनल (एनएचसी) के माध्यम से आनन्दपुर साहिब हाइडल चैनल (एसएचसी) को प्रत्यावर्तित किया जाएगा। आगे प्रत्यावर्तन के कारण गंगवाल/कोटला विद्युत घरों में उत्पादन की जो हानि होगी उसकी क्षतिपूर्ति पंजाब राज्य बिजली बोर्ड द्वारा की जाएगी और उत्पादन की हानि की गणना करने के बाद आनन्दपुर साहिब हाइडल प्रोजेक्ट पर उत्पादन में हुई बाकी वृद्धि को बीबीएमबी और पीएसईबी के बीच बराबर बांट दिया जाएगा। जल के प्रत्यावर्तन के कारण गंगवाल तथा कोटला विद्युत घरों में उत्पादन का कुल क्रेडिट गंगवाल/कोटला विद्युत घरों के डीमंड उत्पादन के रूप में समझा जाएगा।


उपरोक्त के अनुसरण में वर्ष 2018-19 के दौरान गंगवाल और कोटला विद्युत घरों पर डीमंड उत्पादन निम्नानुसार है:-

(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में)

अवधि	गंगवाल तथा कोटला में उत्पादन की हानि (एमयू)	एसएचपी में अधिक उत्पादन (एमयू)	डीमंड उत्पादन (एमयू)	बीबीएमबी को लाभ (एमयू)
04/18 से 03/19	0.00	02.73	1.365	1.365

बीबीएमबी के विद्युत-घरों में वार्षिक सकल उर्जा उत्पादन वर्ष 2018-19  
**ANNUAL GROSS ENERGY GENERATION AT BBMB POWER HOUSES  
 2018-2019**

चित्र-1  
 Figure - 1




योग : 10190.26 मिलियन यूनिट  
**Total : 10190.26MU**

गंगूवाल एवं कोटला विद्युत घरों से कुल उत्पादन में डीमड उत्पादन के रूप में 1.365 मिलियन यूनिट शामिल हैं।  
 Total Generation from Ganguwal & Kotla PHs includes 1.365 MU as Deemed Generation.

वर्ष 2009-10 से 2018-19 के दौरान वार्षिक ऊर्जा उत्पादन के सम्बन्ध में लक्ष्य/उपलब्धियां

चित्र-2

**TARGET/ACHIEVEMENTS IN RESPECT OF ANNUAL ENERGY GENERATION DURING THE YEARS 2009 -10 TO 2018-19**




वर्ष  
Year



वर्ष 2018-19 के दौरान बीबीएमबी के प्रतीकात्मक दैनिक उत्पादन वक्र  
 TYPICAL DAILY GENERATION CURVES OF BBMB DURING 2018-19


चित्र-3  
 Fig. 3



वर्ष 2018-19 के दौरान बीबीएमबी के विद्युत-घरों का संयन्त्र उपलब्धता  
गुणक (आर,एम एण्ड यू अवधि रहित)

चित्र - 4  
Figure 4

**PLANT AVAILABILITY FACTOR OF BBMB POWER HOUSES DURING  
THE YEAR 2018-19 (EXCLUDING R,M&U PERIOD)**




संयन्त्र उपलब्धता गुणक (पी.ए.एफ.) प्रतिशतता =  $\frac{\text{वर्ष में कुल घंटे} - (\text{अनिवार्य बंदी के घंटे} + \text{आर,एम एण्ड यू अवधि को छोड़ कर योजित बंदी के घंटे} + \text{आर,एम एण्ड यू अवधि})}{\text{वर्ष में कुल घंटे} - \text{आर,एम एण्ड यू अवधि के घंटे}} \times 100$

Plant Availability Factor (PAF) %age =  $\frac{\text{Total hrs in a year} - (\text{Forced outage hrs} + \text{Planned outage hrs excluding R,M\&U period} + \text{R,M\&U period})}{\text{Total hrs in a year} - \text{R,M\&U period in hours}} \times 100$

वर्ष 2018-19 के दौरान बीबीएमबी विद्यत-घरों से भागीदार/लाभानभोगियों को पारेषित ऊर्जा  
ENERGY TRANSMITTED TO PARTNERS/BENEFICIARIES FROM BBMB PHs DURING 2018-2019

चित्र-5  
Figure - 5



## 5.2 सिंचाई खण्ड

### 5.2.1 जलाशयों की स्थिति

जलाशयों का नियन्त्रण एवं परिचालन तथा विभिन्न भागीदार राज्यों/लाभानुभोगियों को पानी का नियमन और वितरण, बीबीएमबी के सिंचाई खण्ड के अधीन है।

#### - भाखड़ा जलाशय

- क) भाखड़ा जलाशय की भराई दिनांक 02 जून, 2018 को आरम्भ की गई जब जलाशय का स्तर ईएल 1490.83 फीट (454.40 मीटर) था।
- ख) दिनांक 21.05.2018 से 20.05.2019 तक बीएसएल प्रणाली के माध्यम से प्रत्यावर्तन सहित कुल अन्तर्वाह 14.108 एमएएफ/17.402 बीसीएम था।
- ग) दिनांक 21.05.2018 से 20.05.2019 तक बीएसएल प्रणाली के माध्यम से प्रत्यावर्तन 3.934 एमएएफ/4.853 बीसीएम था।
- घ) 17 अक्टूबर, 2018 को अधिकतम जल स्तर ईएल 1669.28 फीट (508.80 मीटर) प्राप्त किया गया था।

#### - पौंग जलाशय

- क) पौंग जलाशय की भराई 28 जून 2018 को आरम्भ की गई जब जलाशय का स्तर ईएल 1278.93 फीट (389.82 मीटर) था।
- ख) दिनांक 21.05.2018 से 20.05.2019 तक कुल अंतर्वाह 8.431 एमएएफ/10.400 बीसीएम था।
- ग) 1 अक्टूबर, 2018 को अधिकतम जलस्तर ईएल 1392.55 फीट (424.45 मीटर) प्राप्त किया गया था।

### 5.2.2 जल आपूर्तियों और जल लेखे का नियमन

जल लेखा तैयार करने के लिए वर्ष को दो अवधियों में बांट दिया जाता है अर्थात् भराई अवधि 21 मई से 20 सितम्बर तक और रिक्तीकरण अवधि 21 सितम्बर से अगले वर्ष की 20 मई तक। भराई और रिक्तीकरण अवधि के लिए जल लेखे अलग-अलग तैयार किए जाते हैं। एक अवधि की अधिकता/कमी को अगली अवधि में नहीं ले जाया जाता। 21.05.2018 से 20.05.2019 तक की अवधि के लिए रावी-ब्यास जल के साथ-साथ सतलुज के जल में से इन राज्यों द्वारा प्राप्त किए गए जल की अधिकता/कमी सहित भागीदार राज्यों को वितरण/हिस्से और सुपुर्दगी तथा दिल्ली जल बोर्ड को दिया गया जल, चित्र 6 से 13 में दर्शाया गया है। इन चार्टों में अंकित किए गए आंकड़े भागीदार राज्यों को समय-समय पर परिपत्रित किए गए जल लेखों से लिए गए हैं।

भाखड़ा और पौंग जलाशयों से जल छोड़ने का निर्णय तकनीकी समिति (जिसमें अध्यक्ष, बीबीएमबी की अध्यक्षता में बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य, भागीदार राज्य बिजली बोर्डों/राज्य पारेषण यूटिलिटी के तकनीकी सदस्य/निदेशक तथा सिंचाई विभागों के मुख्य अभियन्ता शामिल होते हैं) द्वारा, सिंचाई और विद्युत की आवश्यकताओं, जलाशय के स्तर और अंतर्वाह को ध्यान

में रखते हुए, मासिक बैठकों में लिया जाता है ।

विभिन्न भागीदार राज्यों का हिस्सा वितरण और विभिन्न अन्तर्राज्यीय सम्पर्क बिन्दुओं पर सतलुज और रावी-ब्यास जल से वितरित किए जाने वाले जल तथा जलाशयों से अनुमोदित जल निर्माण के सम्बन्ध में नहरी तार/बेतार सन्देश के द्वारा भागीदार राज्यों के सम्बन्धित अधिकारियों को 10 दिनों के अन्तर से सूचित किया जाता है ।

भराई/रिक्तीकरण अवधि के दौरान भागीदार राज्यों को की गई जल आपूर्ति निम्नानुसार है:-

1. सतलुज और रावी-ब्यास जल से पंजाब को की गई जल आपूर्ति - चित्र 6 एवं चित्र 7
2. सतलुज और रावी-ब्यास जल से हरियाणा को की गई जल आपूर्ति - चित्र 8 एवं चित्र 9
3. सतलुज और रावी-ब्यास जल से राजस्थान को की गई जल आपूर्ति - चित्र 10 से चित्र 12
4. दिल्ली जल बोर्ड को की गई जल आपूर्ति - चित्र 13

दिनांक 21.05.2018 से 20.05.2019 तक राज्यों को कुल जल आपूर्ति निम्नानुसार की गई है:- (सभी आंकड़े मिलियन एकड़ फीट में)

राज्य	सतलुज	रावी-ब्यास	योग
पंजाब	4.244	5.427	9.671
हरियाणा	3.594	2.046	5.641
राजस्थान	1.030	7.666	8.696
दिल्ली जल बोर्ड	0	0.294	0.294
<b>योग</b>	<b>8.868</b>	<b>15.433</b>	<b>24.302</b>


चित्र 6 Fig. 6

दिनांक 21.5.2018 से 20.9.2019 तक की अवधि के लिए सतलुज जल से पंजाब को सप्लाई किए गए जल की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका

Statement showing position of water supplies to Punjab out of Satluj water for the period from 21.5.2018 to 20.05.2019


Filling Period (21..05.2018 to 20.09.2018)

भराई अवधि (21.05.2018 से 20.09.2018)



Depletion period (21.09.2018 to 20.05.2019)

रिक्तीकरण अवधि (21.09.2018 से 20.05.2019)



Note (1) All figures are in cusec days.

(2) The deliveries have been made as per requirements decided in Technical Committee Meeting.


नोट:-

1. सभी आंकड़े क्यूसेक दिनों में ।
2. सभी सुपुर्दगियां आवश्यकता अनुसार तकनीकी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार ।

दिनांक 21.5.2018 से 20.05.2019 तक की अवधि के लिए रावी ब्यास से पंजाब को सप्लाई किए गए जल की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका


Statement showing position of water supplies to Punjab out of Ravi-Beas waters for the period from 21.5.2018 to 20.05.2019

Filling Period (21.05.2018 to 20.09.2018)  
भराई अवधि (21.05.2018 से 20.09.2018)



Depletion period (21.09.2018 to 20.05.2019)  
रिक्तीकरण अवधि (21.09.2018 से 20.05.2019)





Note:- (1) All figures are in cusec days.

(2) The deliveries have been made as per requirements decided in Technical Committee Meeting

(3) The deliveries to Punjab also include some supplies made d/s Ropar which have already been booked to Punjab at Ropar.


नोट:-

1. सभी आंकड़े क्यूसेक दिनों में ।
2. सभी सुपुर्दगियां आवश्यकता अनुसार तकनीकी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार ।
3. पंजाब को की गई सुपुर्दगियों में रोपड़ के डाउनस्ट्रीम को की गई कुछ आपूर्तियां भी शामिल हैं जो पंजाब को रोपड़ पर पहले ही बुक की जा चुकी है।


चित्र 8 Fig. 8

दिनांक 21.5.2018 से 20.05.2019 तक की अवधि के लिए सतलुज जल से हरियाणा को सप्लाई किए गए जल की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका

Statement showing position of water supplies to Haryana out of Satluj waters for the period from 21.5.2018 to 20.05.2019



Depletion period (21.09.2018 to 20.05.2019)  
रिक्तीकरण अवधि (21.09.2018 से 20.05.2019)



**Note(1) All figures are in cusec days.**

**(2) The deliveries have been made as per requirements decided in Technical Committee Meeting.**

नोट:-

1. सभी आंकड़े क्यूसेक दिनों में ।
2. सभी सुपुर्दगियां आवश्यकता अनुसार तकनीकी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार ।


चित्र 9 Fig. 9

दिनांक 21.5.2018 से 20.05.2019 तक की अवधि के लिए रावी-ब्यास जल से हरियाणा को सप्लाई किए गए जल की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका


Statement showing position of water supplies to Haryana out of Ravi-Beas water for the period from 21.5.2018 to 20.05.2019

Filling Period (21.05.2018 to 20.09.2018)

भराई अवधि (21.05.2018 से 20.09.2018)



रिक्तीकरण अवधि (21.9.2018 से 20.5.2019)  
Depletion Period (21.9.2018 to 20.5.2019)



**Note(1) All figures are in cusec days.**

**(2) The deliveries have been made as per requirements decided in Technical Committee Meeting.**


**नोट:-**

1. सभी आंकड़े क्यूसेक दिनों में ।
2. सभी सुपुर्दगियां आवश्यकता अनुसार तकनीकी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार ।


दिनांक 21.5.2018 से 20.05.2019 तक की अवधि के लिए सतलुज जल की हरियाणा के रास्ते राजस्थान को हुई सप्लाई की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका

Statement showing position of water supplies to Rajasthan via Haryana out of Satluj water for the period from 21.5.2018 to 20.05.2018

भराई अवधि (21.5.2018 से 20.9.2018)  
Filling Period (21.5.2018 to 20.9.2018)



रिक्तीकरण अवधि (21.9.2018 से 20.5.2019)  
Depletion Period (21.9.2018 to 20.5.2019)



**Note (1) All figures are in cusec days.**

**(2) The deliveries have been made as per requirements decided in Technical Committee Meeting.**

नोट:-


1. सभी आंकड़े क्यूसेक दिनों में ।
2. सभी सुपुर्दगियां आवश्यकता अनुसार तकनीकी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार ।

दिनांक 21.5.2018 से 20.05.2019 तक की अवधि के लिए सतलुज जल की पंजाब के रास्ते राजस्थान को हुई सप्लाई की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका

Statement showing position of water supplies to Rajasthan via Punjab


out of Satluj water for the period from 21.5.2018 to 20.05.2019

भराई अवधि (21.5.2018 से 20.9.2018)  
Filling Period (21.5.2018 to 20.9.2018)



रिक्तीकरण अवधि (21.9.2018 से 20.5.2019)  
Depletion Period (21.9.2018 to 20.5.2019)





**Note(1) All figures are in cusec days.**

**(2) The deliveries have been made as per requirements decided in Technical Committee Meeting.**

नोट:-

1. सभी आंकड़े क्यूसेक दिनों में ।
2. सभी सुपुर्दगियां आवश्यकता अनुसार तकनीकी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार ।


चित्र 12 Fig. 12

दिनांक 21.5.2018 से 20.05.2019 तक की अवधि के लिए रावी-ब्यास जल से राजस्थान को हुई जल आपूर्ति की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका

Statement showing position of water supplies to Rajasthan out of Ravi-Beas water for the period from 21.5.2018 to 20.05.2019


भराई अवधि (21.5.2018 से 20.09.2018)

Filling Period (21.5.2018 to 20.9.2018)



रिक्तीकरण अवधि (21.9.2018 से 20.5.2019)

Depletion Period (21.9.2018 to 20.5.2019)



Note(1) All figures are in cusec days.


नोट:-

1. सभी आंकड़े क्यूसिक दिनों में ।


दिनांक 21.5.2017 से 20.9.2018 तक की अवधि के लिए दिल्ली जल बोर्ड को की गई जल आपूर्ति की स्थिति दर्शाने वाली विवरणिका

Statement showing position of water supplies made to Delhi Jal Board for the period from 21.5.2018 to 20.09.2018

भराई अवधि (21.5.2018 से 20.09.2018)  
Filling period (21.5.2018 to 20.09.2018 )



रिक्तीकरण अवधि (21.9.2018 से 20.5.2019)  
Depletion period (21.9.2018 to 20.5.2019 )



नोट(1)

सभी आंकड़े क्यूसिक दिनों में ।

Note(1)

All figures are in cusec days.

### 5.3 उपकेन्द्र का स्वचालन और रिमोट ऑपरेशन

बीबीएमबी ने अपनी पारेषण प्रणाली के उपकेन्द्रों का स्वचालन कर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। संगरूर में 220 के.वी. उपकेन्द्र (बरनाला से 40 कि.मी.) से रिमोट संचालन के साथ बरनाला में पूरी तरह से स्वचालित 220 के.वी. उपकेन्द्र चालू किया गया। उपकेन्द्र का नियंत्रण कक्ष अब मानव रहित है और कोई कर्मचारी शिफ्ट ड्यूटी में तैनात नहीं है। लाभ में ओ एण्ड एम लागत की कमी, प्रणाली की विश्वसनीयता में बृद्धि, डाउनटाईम में कमी, संचालन की रिमोट से निगरानी इत्यादि शामिल है। इसी प्रकार का कार्य हिसार, चरखी दादरी, बल्लभगढ़ तथा समयपुर स्थित उपकेन्द्रों पर भी आरम्भ किया गया है।

### 5.4 रूफ टॉप सौर ऊर्जा स्थल

बीबीएमबी ने जालंधर, नरेला, दिल्ली के 220 के.वी. उपकेन्द्रों और चण्डीगढ़ के कार्यालय भवनों पर 435 के डबल्यू पी के ग्रिड से, जुड़ी रूफ टॉप सौर परियोजनाओं की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त नंगल और तलवाड़ा में ग्राउंड माउंटेड और फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्रों के कार्यावयन के अलावा बीबीएमबी के विभिन्न परियोजना स्थलों तथा केन्द्रों पर 1.5 एम डबल्यू पी रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

### 5.5 सुरक्षा/तकनीकी लेखा परीक्षा

बीबीएमबी विद्युत घरों और पारेषण प्रणाली की प्रणाली को मजबूत करने और तकनीकी उन्नयन हेतु, बीबीएमबी अपने उपकेन्द्रों/स्विचयार्ड की तृतीय पक्ष संरक्षण लेखा परीक्षा और विद्युत घरों की तकनीकी लेखा परीक्षा कराता है।

### 6.1 विद्युत खण्ड

वर्ष 2018-19 के दौरान बीबीएमबी के विद्युत घरों का सामान्य नेमी अनुरक्षण करने के अतिरिक्त विभिन्न विद्युत घरों/पारेषण प्रणाली पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए गए:-

#### 6.1.1 भाखड़ा विद्युत घर

##### क. यूनिटों का अनुरक्षण

यूनिट नं	अनुरक्षण की अवधि		अभिकथन
	से	तक	
1.	28.05.2018	03.07.2018	मौजूदा गवर्नर को नए डिजीटल गवर्नर के साथ बदलने सहित वार्षिक अनुरक्षण।
	26.02.2019	17.03.2019	वार्षिक अनुरक्षण।
4.	01.04.2018	07.05.2018	मौजूदा गवर्नर को नए डिजीटल गवर्नर के साथ बदलने सहित वार्षिक अनुरक्षण।

5.	27.10.2018	17.11.2018	अर्धवार्षिक अनुरक्षण ।
6.	01.04.2018	23.05.2018	मौजूदा गवर्नर को नए डिजीटल गवर्नर के साथ बदलने सहित वार्षिक अनुरक्षण ।
	26.03.2019	11.04.2019	वार्षिक अनुरक्षण
7.	12.12.2018	31.12.2018	मध्यावधि अनुरक्षण
8.	15.10.2018	09.04.2019	प्रधान अनुरक्षण
9.	11.01.2019	29.01.2019	पूर्णावधि अनुरक्षण
10.	25.02.2019	18.03.2019	मध्यावधि अनुरक्षण

### (ख) मुख्य कार्य

1. अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता भाखड़ा कॉम्प्लैक्स तथा टाऊनशिप मंडल, नंगल के लिए एम.एस. चौखाट, एम.एस. गेट्स, ट्री गार्ड्स, एम.आई.रेलिंग, वाशबेसिन की ब्रेकट्स, वुडन चेयर्स, एम,एस.एंगल ब्रास स्पेंडल्स तथा कूड़ेदान इत्यादि का निर्माण किया गया।
2. अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता भाखड़ा मैकेनिकल डिविजन, नंगल के लिए एम.एस.फ्लेंग्स, शैडर, नट एण्ड बोल्ट्स, एम एस पाइप रेलिंग, ब्रेक ब्लॉक, रबर सील, ट्री गार्ड्स, एंकर शैडर, नट बोल्ट,, एम.एस. पाइप रेलिंग, ब्रेक ब्लॉक, रबर सील, ट्री गार्ड्स, एंकर पिन, एंकर व्लेट्स, फिश व्लेट्स, पाइप रेलिंग, शाफ्ट स्लीव स्टड, ब्रेकट्स तथा एम.एस. फ्रेमज इत्यादि का निर्माण किया ।
3. अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, नंगल बांध मंडल, नंगल के लिए एम.एस. एंगल, लॉकिंग प्लेट्स, रोलर पिन, बोल्ट, ट्री गार्ड, वुडन चेयर, स्टील अलमीरा, रबर सील, बुश प्लंबर ब्लॉक, नट, टेबल ब्रेकेट्स इत्यादि का निर्माण किया।
4. अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता भाखड़ा बांध मंडल, नंगल के लिए ट्री गार्ड, वुडन चेयर्स, बैरीगेट्स, स्टील अलमीरा, एम.एस. फ्रेम इत्यादि का निर्माण किया ।
5. अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, आर एम एण्ड एस आर मंडल, नंगल टाऊनशिप के लिए स्टील अलमीरा, बुश इत्यादि का निर्माण किया ।
6. अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, जल विनियम मंडल, नंगल के लिए स्टील अलमीरा इत्यादि का निर्माण किया ।
7. अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, प्रापण: केन्द्रीय/भंडार तथा निपटान मंडल, नंगल के लिए वुडन चेयर, स्टील अलमीरा, भार पुल का निर्माण किया ।
8. मुख्य अभियंता, भाखड़ा बांध, अधीक्षण अभियंता/मुख्यालय के लिए वुडन चेयर्स का निर्माण ।
9. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, नंगल टाऊनशिप के लिए पदग्राही बोर्ड इत्यादि का निर्माण ।
10. अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता टाऊनशिप मंडल, बीबीएमबी, तलवाड़ा के लिए स्टील के कूड़ेदान का निर्माण ।

11. अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, आर एम मण्डल, बीबीएमबी, तलवाड़ा के लिए सूचना पट्ट का निर्माण ।
12. अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, यांत्रिक मंडल, बीबीएमबी तलवाड़ा के लिए रबर सील, जी.एम.रोड इत्यादि का निर्माण ।
13. निदेशक/अभिकल्प, बीबीएमबी, नंगल के लिए स्टील अलमीरा, वुडन चेयर का निर्माण।
14. उप मुख्य अभियंता, मैकेनिकल सर्कल, नंगल के लिए सैंटर टेबल वुडन चेयर का निर्माण।
15. अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता/विद्युत एण्ड कार्यशाला मण्डल, सुन्दरनगर के लिए पेनटून जी.एम बुश पाईप, वायर शीव पुली, ब्रास बुश इत्यादि का निर्माण ।
16. अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता/विद्युत मण्डल, बीबीएमबी, तलवाड़ा के लिए मीटर बोक्स इत्यादि का निर्माण ।
17. अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता/विद्युत एण्ड यांत्रिक मंडल, बीबीएमबी, पण्डोह के लिए नट एण्ड बोल्ट का निर्माण ।
18. अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, एसटीपी एण्ड डी मण्डल, बीबीएमबी विद्युत खंड नंगल के लिए नट एण्ड बोल्ट, स्टील प्लेट्स, शाफ्ट शियर पिन, एम एस प्लेट्स, गन मैटल शीट, एम एस ऐंगल, ग्लैंड प्लेट्स, चैनल के साथ टॉवर इत्यादि का निर्माण ।
19. आवासीय अभियंता, भाखड़ा विद्युत घर के लिए कूड़ेदान, स्टील अलमीरा, एमएस गेट, टाइलिंग कूड़ेदान का निर्माण ।
20. आवासीय अभियंता, गंगूवाल तथा कोटला विद्युत घर के लिए प्लेट्स में ड्रिलिंग, वुडन चेयर इत्यादि का निर्माण ।
21. अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, ओएण्डएम मण्डल, बीबीएमबी, विद्युत खंड गंगूवाल के लिए व्हील शाफ्ट ब्रास, नट एण्ड बोल्ट, रबर सील बुश, शाफ्ट असेम्बली इत्यादि का निर्माण ।
22. आवासीय अभियंता, देहर विद्युत घर सलापड़ के लिए गाइड वेन्स, ग्रीस अडॉप्टर, ड्रिलिंग प्लेट्स, ब्रास सील, गाइड वेन्स के बुश हाऊसिंग की रिपेयर एवं निर्माण ।
23. अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, ओएण्डएम मण्डल, बीबीएमबी कुरुक्षेत्र के लिए एम.एस. लैडर का निर्माण ।
24. अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, ओएण्डएम मण्डल, बीबीएमबी (विद्युत खंड) जालंधर के लिए एमएस एंगल का निर्माण ।



## 6.1.2 गंगूवाल और कोटला विद्युत घर

### क. यूनिटों का अनुरक्षण

यूनिट नं	अनुरक्षण की अवधि		अभिकथन
	से	तक	
<b>गंगूवाल</b>			
1	20.04.2018	24.04.2018	तिमाही अनुरक्षण
2	26.09.2018 16.11.2018	29.09.2018 23.11.2018	तिमाही अनुरक्षण वार्षिक अनुरक्षण
3	10.04.2018 13.11.2018 24.11.2018 04.03.2019	20.04.2018 16.11.2018 & 03.12.2018 09.03.2019	वार्षिक अनुरक्षण अर्धवार्षिक अनुरक्षण वार्षिक अनुरक्षण
<b>कोटला</b>			
1	07.04.2018 24.11.2018 04.03.2019	17.04.2018 27.11.2018 09.03.2019	वार्षिक अनुरक्षण तिमाही अनुरक्षण वार्षिक अनुरक्षण
2	29.09.2018 12.11.2018	01.10.2018 24.11.2018	अर्धवार्षिक अनुरक्षण वार्षिक अनुरक्षण
3	22.04.2018	27.04.2018	वार्षिक अनुरक्षण

### ख. मुख्य कार्य

#### गंगूवाल एवं कोटला विद्युत घर

1. गंगूवाल तथा कोटला के दोनों नियंत्रण कक्षों में 04 नए एसी उपलब्ध कराए गए ।
2. गंगूवाल की यूनिट नं. 2 तथा कोटला विद्युत घर की यूनिट नं0 3 के डिवाटरिंग वाल्व बदले गए ।
3. कोटला विद्युत घर में 132 केवी कोटला रोपड़ सर्किट नं0 2 के आर फेज़ सी टी को बदला गया ।
4. 132 केवी कोटला-रोपड़ सर्किट नं0 2 केवी फेज़ पीटी को बदला गया ।
5. गंगूवाल विद्युत घर की यूनिट नं0 3 के डिवाटरिंग वाल्व को बदला गया ।
6. गंगूवाल विद्युत घर की यूनिट नं0 2 के डिवाटरिंग वाल्व को बदला गया ।
7. गंगूवाल विद्युत घर में बस-2 के आर फेज़ पीटी को बदला गया ।

### 6.1.3 पौंग विद्युत घर

#### क. यूनिटों का अनुरक्षण

यूनिट नं	अनुरक्षण की अवधि		कथन
	से	तक	
1	28.05.2018 26.02.2019	03.07.2018 14.07.2019	मौजूदा गवर्नर को नए डिजीटल गवर्नर के साथ बदलने सहित मशीन का वार्षिक अनुरक्षण । वार्षिक अनुरक्षण ।
4	01.04.2018	07.05.2018	मौजूदा गवर्नर को नए डिजीटल गवर्नर के साथ बदलने सहित मशीन का वार्षिक अनुरक्षण ।
5	27.10.2018	17.11.2018	अर्ध वार्षिक अनुरक्षण
6	01.04.2018 26.03.2019	23.05.2018 17.03.2019	मौजूदा गवर्नर को नए डिजीटल गवर्नर के साथ बदलने सहित मशीन का वार्षिक अनुरक्षण । वार्षिक अनुरक्षण ।

#### ख. मुख्य कार्य

1. मै0 ओटीआईएस, चण्डीगढ़ द्वारा पौंग विद्युत घर में पेनस्टॉक आपातकालीन गेट शाफ्ट पी-1, पी-2 तथा पी-3 पर स्थापित 03 नं. ओटीआईएस मेक पैसेंजर एलिवेटर के आधुनिकीकरण का कार्य आरम्भ किया गया था ।
2. पैनस्टॉक आपातकालीन गेट शाफ्ट पी-1, पी-2 तथा पी-3 के 03 नए एलिवेटर्स का निर्माण एवं परीक्षण के उपरान्त नए एलिवेटर्स को सफलतापूर्वक चालू किया गया ।
3. यूनिट नं. 4,6 तथा 01 के मौजूदा गवर्नर्स को नए माइक्रोप्रोसेसर आधारित डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक हाइड्रॉलिक गवर्नर्स जो आरजीएमओ/एफजीएमओ तथा स्काडा संगत विशेषताएं रखते हैं, को एक एक करके बदलने का कार्य मै0 एन्ड्रिटज हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है ।
4. निर्माण के उपरान्त, यूनिट नं.4 और 6 के नए गवर्नर्स का परीक्षण और कमीशनिंग सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज़ किया गया और सफलतापूर्वक लोड पर रखा गया ।
5. कार्यकारी अभियंता मण्डल, रुड़की द्वारा यूनिट नं.2 के डीटी गेट के 04 नं. अंडर वाटर गाइड ट्रेक्स की मुरम्मत/बदलने का काम शुरू किया गया ।

6. एजेंसी द्वारा कार्य 08.04.2018 को शुरू किया गया था और 02.07.2018 तक जारी रहा । पानी में लघु दर्शिता के कारण दिनांक 03.07.2018 को काम रोक दिया गया । दृश्यता बहाल होने पर दिनांक 21.11.2018 को काम शुरू किया गया और दिनांक 07.01.2019 को पूरा किया गया । कार्य आदेश के अनुसार ईएल 1058 फीट (तल) से ईएल 1091 फीट (जल स्तर) पर लगभग 132 फीट (33 X 4) विरुद्ध 100, पुराने मौजूदा क्षतिग्रस्त गाइड्स को सफलतापूर्वक नए के साथ बदला गया ।
7. मै0 रोकवेल पंप्स एण्ड मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 03 नं0 सबमरसीबल पम्पों की स्थापना का कार्य किया गया । 03 नं0 सबमरसिबल पम्पों का अंतिम परीक्षण तथा संचालन सफलतापूर्वक किया गया ।
8. क्रय आदेश क्रं624/पीएचडी/पोंग दिनांक 16.11.2013 के अनुसार मै0 बीएचईएल के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 28.06.2018 को यूनिट नं0 1 में आटो बैक वाश ड्रपलैक्स स्ट्रेनर की स्थापना का कार्य किया गया । यूनिट नं0 1 के नए आटो बैक वाश ड्रपलैक्स स्ट्रेनर को सफलतापूर्वक चालू किया गया ।
9. क्रय आदेश संख्या 671/पीएचडी/पोंग 309 दिनांक 13.02.2017 के अनुसार मै0 अडवांस इन्ट्रप्राइजिज, चण्डीगढ़ द्वारा दिनांक 17.05.2018 के नए एसी प्लांट का कार्य शुरू किया गया । फर्म द्वारा नए एसी प्लांट को सफलतापूर्वक चालू किया गया ।
10. क्रय आदेश संख्या 678/पीएचडी/पोंग 310 दिनांक 16.08.2017 के अनुसार मै0 सी डबल्यु जी वाटर ट्रीटमेंट प्राइवेट लिमिटेड, पंचकुला द्वारा दिनांक 17.05.2018 को अल्म डोजर, वाल्व और अन्य पाइपों की फिटिंग सहित 05 नं0 वाटर प्रैशर फिटिंज का कार्य शुरू किया गया । फर्म द्वारा नए पीने के पानी के ट्रीटमेंट प्लांट को सफलतापूर्वक स्थापित एवं चालू किया गया ।
11. जांच करने पर ईएल 1138 फीट फ्लोर पर कंक्रीट से 200 एम एम डाय पेनस्टॉक फिलिंग वाईपास पाइप लाइन डी/एस साइड इनसाइड बोनट कवर चैम्बर में रिसाव देखा गया । दिनांक 02.08.2018 से 06.08.2018 तक दोष को सफलतापूर्वक सुधार लिया गया ।
12. स्टेटर अर्थ फाल्ट के तहत दिनांक 17.09.2018 को मशीन बंद हुई । जांच करने पर यह पाया गया कि न्युट्रल आउटगोइंग टर्मिनल के पास वाई फेज मेन पैरलर पाथ बस सेक्शन पर भारी फ्लैश हुआ, जिसने आर एण्ड बी फेज की निकटवर्ती बसों को नुकसान पहुंचाया और इन्सुलेशन और वैक लाइट स्पोर्टिंग ब्लॉक दोषपूर्ण सेक्शन नीचे दिए गए हैं:-  
स्थानीय कार्यशाला में तांबे के फ्लैटों से बनाई गई नई बसों के साथ लाल, पीले और नीले फेजों के क्षतिग्रस्त बस सेक्शन को बदल दिया गया । आवश्यक

- मुरम्मत कार्य करने के उपरान्त यूनिट को दिनांक 26.09.2018 को 19.30 बजे सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज किया गया था ।
- 13 क्रय आदेश संख्या 694/पीएचडी/पौंग 31 दिनांक 07.09.2018 तथा 66/पीआर 1545 दिनांक 05.06.2017 के अनुसार मै0 बीएचईएल नै दिनांक 21.02.2019 को पौंग विद्युत घर की यूनिट नं0 2 के मुख्य स्टेटर को बदलने तथा प्रधान अनुरक्षण का कार्य अपने हाथ में लिया ।
  - 14 75 एमवीए जनरेटर, यूनिट नं0 4 के ट्रांसफार्मर, यूनिट सहायक ट्रांसफार्मर, सहायक बोर्ड डी4डीए, टीजी पैनल तथा 220 केवी एस एफ-6 सर्किट ब्रेकर तथा इसके सहायक उपकरणों का प्रधान अनुरक्षण तथा 221 तथा 222 दोनों आइसोलेटर्ज को बदला गया ।
  - 15 दिनांक 08.01.2019 से 08.02.2019 तक यूनिट नं0 6 पर मै0 एबीबी के 75 एमवीए जनरेटर ट्रांसफार्मर को मै0 बीएचईएल मेक के पुराने और प्रयुक्त 67 एमवीए 11/220 केवी जनरेटर ट्रांसफार्मर के साथ बदला गया ।
  - 16 24.12.2018 से अब तक यूनिट नं0 6 के 11/220 केवी 75 एमवीए जनरेटर ट्रांसफार्मर, डिफ्रेंशियल रिले तथा गैस रिले स्टेज-II, (आंतरिक गडबड) को ठीक कर संचालित किया गया ।
  - 17 पौंग विद्युत घर पर केबल गैलरी के खंड VI तथा VII में गैलवेनाइज्ड चैनल सेक्शन को अतिरिक्त सहायता के साथ मौजूदा केबल रैक्स को मजबूती प्रदान की गई ।
  - 18 पौंग विद्युत घर के अंतर्गत शैड नं0 3 तथा 4 में वाटर सप्लाई तथा सेनेटरी फिटिंग सहित फ्लोर टाइल्स उपलब्ध करके लगाई गई ।

#### 6.1.4 देहर विद्युत गृह

##### क. यूनिटों का अनुरक्षण

यूनिट नं	अनुरक्षण की अवधि	कथन
1	28.01.2019 से लगातार	प्रधान अनुरक्षण
2	06.09.2018 to 08.01.2019 15.11.2018 से 08.01.2019	स्टेटर वाईडिंग इंटर-टर्न-फाल्ट की रेक्टिफिकेशन वार्षिक अनुरक्षण
3	25.02.2019 से 22.03.2019	वार्षिक अनुरक्षण
4	23.01.2019 से 18.02.2019	वार्षिक अनुरक्षण

5	25.01.2018 से 19.07.2018 05.03.2018 से 25.08.2018 16.10.2018 से 05.11.2018	क्षतिग्रस्त स्टेटर की पुनः सुधार एवं मुरम्मत प्रधान अनुरक्षण वार्षिक अनुरक्षण
6	19.03.2018 से 26.04.2018	वार्षिक अनुरक्षण
रोटरी वाल्व एम/सी 1 एवं 2	28.01.2019 से लगातार	प्रधान अनुरक्षण
बट्टरफ्लाई नं0 1 कंट्रोलिंग एस/सी 1 एवं 2	28.01.2019 से 01.04.2019	प्रधान अनुरक्षण

#### 6.1.5 भाखड़ा बायां किनारा विद्युत घर का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन (आर,एम एण्ड यू)

पुराने विद्युत घरों का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन ना केवल मशीनों को नया जीवन देता है अपितु राष्ट्र की आवश्यकताओं को कम लागत पर क्लीन पीकिंग पावर उपलब्ध कराने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

बीबीएमबी ने अपनी हाइड्रो उत्पादक इकाईयों के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन का महत्वाकांक्षी कार्य शुरू किया है। नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन द्वारा बीबीएमबी ने पहले ही 329 मैगावाट की वृद्धिशील क्षमता जोड़ ली है। वर्तमान में बीबीएमबी ने भाखड़ा बायां किनारा विद्युत घर की 5 नं. मशीनों (प्रत्येक का 108 मेगावाट से 126 मेगावाट) के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन का कार्य शुरू किया है। तीन यूनिटों का पहले ही 108 से 126 मेगावाट उन्नयन किया जा चुका है और अन्य दो यूनिटों का अप्रैल 2020 तक उन्नयन कर दिया जाएगा, जिस से अतिरिक्त क्षमता 36 मेगावाट प्राप्त होगी (कुल 365 मेगावाट)। मैसर्ज सुमितोमो कारपोरेशन जापान के कनसोर्टियम के साथ अनुबंध कर लिया गया है। आर, एम एण्ड यू की कुल लागत लगभग 489.77 करोड़ रूपए होगी (जिसमें बीबीएमबी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले उपकरण जैसे कि जनरेटर, ट्रांसफार्मर, न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन स्कीम और आईडीसी के अतिरिक्त बैंक/वित्त/विधिक प्रभार आदि)।

दिनांक 18 जुलाई, 2013 को आरएमएण्डयू की सफलता उपरांत प्रथम इकाई (यूनिट-2) को चालू किया गया। उसी प्रकार दूसरी इकाई (यूनिट नं0 5) जिसका दिनांक 11.04.2011 से आरएमएण्डयू के अंतर्गत कार्य चल रहा था, दिनांक 02.10.2013 को चालू कर दिया गया। तीसरी इकाई (यूनिट नं0 4) को दिनांक 05.08.2015 को आरएमएण्डयू के उपरान्त चालू कर दिया गया।

यूनिट नं0 5 की जनरेटर शाफ्ट को सीपीआरआई, बेंगलोर की रिपोर्ट के आधार पर नए स्पाइडर रिम और अन्य संबंधित भागों के साथ दिनांक 14.10.2016 को आदेशित नए जनरेटर शाफ्ट (जैसा कि पहले मै0 एड्रिज हाइड्रो को आर्डर किया गया था) मै0 एड्रिज हाइड्रो, आस्ट्रिया द्वारा भाखड़ा बांध विद्युत घर के यूनिट नं0 5 के मौजूदा कम्पोनेंट्स के साथ बदल दिया गया ।

विभिन्न गतिविधियों के साथ शाफ्ट, स्पाइडर, रिम और अन्य संबंधित भागों को बदलने का काम 21.10.2016 को आरम्भ किया गया और दिनांक 15.06.2018 को कमर्शियल रन पर रखा गया था । यूनिट 126 मेगावाट के उत्पादन के साथ चल रहा है।

अगला विद्युत घर यूनिट यानि यूनिट नं0 3 आर एम एण्ड यू कार्य के लिए अप्रैल, 2019 के प्रथम सप्ताह में बंद किया जाएगा । यूनिट नं0 3 की स्टेटर असेंबली कार्य 22 जनवरी, 2019 को शुरू किया गया तथा मई, 2020 तक चालू किया जाएगा। अंतिम 5वीं यूनिट (विद्युत घर यूनिट नं0 1) के आर एम एण्ड यू का कार्य चौथे यूनिट (विद्युत घर यूनिट नं0 3) के चालू होने पर आधारित होगा । यदि इस यूनिट को मई 2020 के माह में बंद कर दिया जाता है तो जनवरी 2021 तक आर एम एण्ड यू कार्य पूरा होने का अनुमान है ।

### 6.1.6 पारेषण प्रणाली

बीबीएमबी उपकेन्द्रों और पारेषण लाइनों का सामान्य कार्य निष्पादन संतोषजनक रहा। किए गए मुख्य कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

#### i) विद्युत ट्रांसफार्मर्स

- 400 केवी उपकेन्द्र, पानीपत में 400/220 केवी, 150 एमवीए ट्रांसफार्मर टी-3 की गैसकेट को बदला गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, कुरुक्षेत्र में पुराने 10/12.5 एमवीए, 132/11 केवी ट्रांसफार्मर को डिस्मेटल किया गया तथा नए 16/20 एमवीए, 132/11 केवी ट्रांसफार्मर को चालू किया गया । इस कार्य को न्यूनतम अवधि अर्थात 18.03.2019 से 22.03.2019 तक पूरा किया गया ।

#### ii) सर्किट ब्रेकर्स

- 220 केवी उपकेन्द्र, धूलकोट में 66/33 केवी, 20 एमवीए टी/एफ टी-1 के पुराने 01 नं0 33 केवी ओसीबी (एचईएल मेक) को नए वीसीबी (बीएचईएल मेक) से बदला गया ।
- 66 केवी उपकेन्द्र, चण्डीगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र फेज़-1 सर्किट की वीसीबी की क्षतिग्रस्त 33 केवी लिम्ब को सम्पूर्ण यूनिट से बदला गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, जमालपुर में 220 केवी जमालपुर-गंगूवाल सर्किट-2 के पुराने 01 नं0 220 केवी एस एफ-6 सर्किट ब्रेकर (एबीबी मेक) को नए एस एफ-6 ब्रेकर (सीजीएल मेक) से बदला गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, जमालपुर में 220 केवी जमालपुर-जालंधर सर्किट-2 के पुराने 01 नं0 220 केवी एस एफ-6 सर्किट ब्रेकर (एबीबी मेक) को नए एस एफ-6 ब्रेकर (सीजीएल मेक) से बदला गया ।
- 400 केवी उपकेन्द्र, भिवानी में 220 केवी भिवानी-चरखी दादरी सर्किट-3 के 01 नं0 245 केवी एस एफ-6 सर्किट ब्रेकर को बदला गया ।
- 400 केवी उपकेन्द्र, भिवानी में 220 केवी भिवानी-चरखी दादरी सर्किट-4 के 01 नं0 220 केवी एस एफ-6 सर्किट ब्रेकर को बदला गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़ में 66/33 केवी ट्रांसफार्मर के 36 केवी वीसीबी को बदला गया ।

#### iii) करंट ट्रांसफार्मर्स (सीटीज)

- 220 केवी उपकेन्द्र, बरनाला में 220 केवी संगरूर- बरनाला सिंगल सर्किट के क्षतिग्रस्त 220 केवी सीटी (टेल्क मेक) को नए सीटी (टेल्क मेक) से बदला गया ।
- 66 केवी उपकेन्द्र, चण्डीगढ़ में 66/33 केवी, 20 एमवीए ट्रांसफार्मर टी-3 पर 01 नं0 नया 66 केवी सीटी (माइक्रोप्लास्ट मेक) चालू किया गया।

- 220 केवी उपकेन्द्र, जमालपुर में 66 केवी जमालपुर- चण्डीगढ़ रोड फीडर के पुराने 03 नं0 66 केवी सीटी (एई मेक) को नए सीटी (मेहरू मेक) से बदला गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, जमालपुर में 220 केवी बस कप्लर के पुराने 01 नं0 220 केवी सीटी को नए सीटी (एबीबी मेक) से बदला गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, जमालपुर में 220 केवी बस सेक्शनलाइजर के क्षतिग्रस्त 01 नं0 220 केवी सीटी (टेलक मेक) को नए सीटी (टेलक मेक) से बदला गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, जमालपुर में असामान्य टेन डेल्टा वैल्यू के कारण विभिन्न फीडरों के 05 नं0 132 केवी सीटी (बीएचईएल, टेलक, वरसाजवा पोलैंड मेक) को बदला गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बरनाला में 220 केवी बरनाला- लहरा मोहब्बत एस/सी पर 03 नं0 245 केवी सीटी (एबीबी मेक) चालू किया गए ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, संगरूर में 220 केवी संगरूर-हिसार सर्किट-1 एवं 2 तथा 220 केवी बस कप्लर के पुराने 09 नं0 245 केवी सीटी (एशिया मेक) को बदला गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, जमालपुर में बस कप्लर-2 के पुराने 01 नं0 220 केवी सीटीज (टेलक मेक) को नए सीटी (एबीबी मेक) से बदला गए ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, जमालपुर में बस कप्लर-1 एवं 2 के पुराने 02 नं0 220 केवी सीटीज (टेलक मेक) को नए सीटीज (एबीबी मेक तथा हेप्टा केयर पावर मेक) से बदला गए ।
- 400 केवी उपकेन्द्र पानीपत में 26 नं0 220 केवी सीटी को नए सीटी से बदला गए।
- 220 केवी उपकेन्द्र दिल्ली में 03 नं0 72.5 केवी सीटी को नए सीटी से बदला गया।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में 220 केवी बस कप्लर पर 01 नं0 245 केवी (येलो फेज) सीटी को बदला गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, समयपुर में 220 केवी बस कप्लर के (रेड, ब्लू तथा येलो फेज) 03 नं0 245 केवी सीटी को बदले गये।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, समयपुर में 220 केवी समयपुर-बल्लभगढ़ सर्किट-1 के रेड तथा येलो फेज के 02 नं0 245 केवी सीटीज बदले गये ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, समयपुर में 220 केवी समयपुर-बल्लभगढ़ सर्किट-1 पर ब्लू फेज के 01 नं0 245 केवी सीटी को बदला गया।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, समयपुर में बस सैक्शनलाइजर पर ब्लू फेज के 01 नं0 220 केवी सीटी को बदला गया।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, समयपुर में 220 केवी समयपुर-बल्लभगढ़ सर्किट-1 पर येलो फेज के 01 नं0 245 केवी सीटी को बदला गया।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़ में 220 केवी समयपुर-बल्लभगढ़ सर्किट-1 पर रेड तथा ब्लू फेज के 02 नं0 245 केवी सीटी बदले गये।



- 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी हिसार में राहगढ़ रोड 33 केवी एचटीएम फीडर में रेड तथा ब्लू फ्रेज के 02 नं0 33 केवी सीटी बदले गये।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, समयपुर में 220 केवी समयपुर-चरखी दादरी सर्किट पर रेड तथा येलो फ्रेज के 02 नं0 245 केवी सीटी बदले गये ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, समयपुर में बस कप्लर-। पर येलो फ्रेज के 01 नं0 245 केवी सीटी को बदला गया।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़ में 220 केवी समयपुर-बल्लभगढ़ सर्किट III पर रेड, ब्लू तथा येलो फ्रेज के 03 नं0 245 केवी सीटी को बदला गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़ में 220 केवी बल्लभगढ़-चरखी दादरी सर्किट पर रेड, येलो तथा ब्लू फ्रेज के 03 नं0 245 केवी सीटी को बदला गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़ में बस कप्लर पर ब्लू फ्रेज 1 नं0 245 केवी सीटी को बदला गया।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़ में 220 केवी बल्लभगढ़-समयपुर सर्किट 1 पर रेड फ्रेज 01 नं0 245 केवी सीटीज को बदला गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, चरखी दादरी में 220 केवी भिवानी-चरखी दादरी सर्किट-IV पर 01 नं0 245 केवी सीटी को बदला गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में 220 केवी बल्लभगढ़-बीटीपीएस सर्किट-। पर रेड फ्रेज के 01 नं0 245 केवी सीटी को बदला गया था ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में 220 केवी बल्लभगढ़-बीटीपीएस सर्किट-। पर रेड और ब्लू फ्रेज के 02 नं0 245 केवी सीटी को बदला गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में 220 केवी बल्लभगढ़-पलवल सर्किट-। पर 03 नं0 66 केवी के सीटी बदले गये।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में बस कप्लर-। पर 02 नं0 (रेड और ब्लू फ्रेज) 245 केवी सीटी को बदला गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, चरखी दादरी में 220 केवी भिवानी-चरखी दादरी सर्किट-। पर रेड फ्रेज 01 नं0 245 केवी को सीटी बदला गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, हिसार में 220 केवी हिसार- संगरूर सर्किट-। पर रेड और ब्लू फ्रेज के 02 नं0 220 केवी सीटी को बदला गया ।

#### iv) सीवीटी/पीटीज

- 220 केवी उपकेन्द्र, जमालपुर में 220 केवी भाखड़ा-जमालपुर सर्किट-। पर 03 नं0 नए पीटीज (सीजीएल मेक) उपलब्ध कराए गये।
- 220 केवी उपकेन्द्र, कुरुक्षेत्र में 01 नं0 पुराने 245 केवी सीवीटी को नए 220 केवी पीटी से बदला गया ।

- 220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में 220 केवी बल्लभगढ़-बीटीपीएस सर्किट-11 पर ब्लू फ्रेज के 01 नं0 245 केवी सीवीटी को पीटी से बदला गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में बस-2 पर 03 नं0 33 केवी पीटी बदले गये।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में बस-1 पर 03 नं0 33 केवी पीटी बदले गये।

#### v) लाइटनिंग एरेस्टोर्ज (एलएज)

- 220 केवी उपकेन्द्र, जमालपुर में 220/132 केवी, 100 एमवीए ट्रांसफार्मर टी-2 का क्षतिग्रस्त 120 केवी एलए (सीजीएल मेक) को नए एलए (ओबल्म मेक) से बदला गया।
- 220 केवी उपकेन्द्र, जमालपुर में 220/132 केवी, 100 एमवीए ट्रांसफार्मर टी-3 का क्षतिग्रस्त (132 केवी) 120 केवी एलए (ओबल्म मेक) को पुराने और प्रयुक्त एलए (जय श्री मेक) से बदला गया।
- 220 केवी उपकेन्द्र, जमालपुर में 220 केवी भाखड़ा-जमालपुर सर्किट-2 का उच्च आई आर वैल्यू के कारण 01 नं0 198 केवी एल ए (सीजीएल मेक) को पुराने और प्रयुक्त किए गए एलए (लैम्को मेक) से बदला गया।
- 220 केवी उपकेन्द्र, जमालपुर में 220 केवी भाखड़ा जमालपुर सर्किट-1 तथा 220 केवी जमालपुर-गंगूवाल सर्किट-11 के क्षतिग्रस्त 02 नं0 198 केवी एलए (सीजीएल मेक) को नए एलए (अलस्टॉम तथा लैम्को मेक) से बदला गया।
- 220 केवी उपकेन्द्र, जमालपुर में 220 केवी गंगूवाल-जमालपुर सर्किट-1 का क्षतिग्रस्त 198 केवी एलए (सीजीएल मेक) को नए एलए (लैम्को मेक) से बदला गया।
- 220 केवी उपकेन्द्र, कुरुक्षेत्र के क्षतिग्रस्त 02 नं0 120 केवी एलए बदले गये।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में 66 केवी रेलवे सर्किट-11 पर येलो फ्रेज के 01 नं0 एलए को बदला गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में 66 केवी बल्लभगढ़-हैदराबाद सर्किट पर रेड तथा ब्लू फ्रेज के 02 नं0 एलए बदले गए ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, हिसार में 220 केवी हिसार-चिरावा सर्किट पर क्षतिग्रस्त येलो फ्रेज एलए को बदला गया ।

#### VI) आइसोलेटर्स

- 220 केवी उपकेन्द्र, बरनाला में 220 केवी बरनाला-लहरा मोहब्बत सिंगल सर्किट लाइन पर 03 नं0 245 केवी आइसोलेटर्स (जीआर पावर मेक) तथा 01 नं0 अर्थ स्विच (जीआर पावर मेक) चालू किए गए ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, समयपुर में 220 केवी समयपुर-बल्लभगढ़ सर्किट-1 पर 01 नं0 220 केवी बस आइसोलेटर बदला गया ।

- 220 केवी उपकेन्द्र, समयपुर में 220 केवी समयपुर-बल्लभगढ़ सर्किट-॥ पर 01 नं0 220 केवी बस-। आइसोलेटर बदला गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में 220 केवी बल्लभगढ़-सोहाना सर्किट-। पर 01 नं0 बस-। आइसोलेटर बदला गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में 220 केवी बल्लभगढ़-बीटीपीएस सर्किट-। पर 01 नं0 लाइन आइसोलेटर तथा 02 नं0 बस आइसोलेटर बदले गए ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में 220 केवी बल्लभगढ़-बीटीपीएस सर्किट-॥ पर 01 नं0 लाइन आइसोलेटर तथा 01 नं0 बस आइसोलेटर बदले गए ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में 220/66 केवी ट्रांसफार्मर पर 02 नं0 आइसोलेटर बदले गए ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में 220 केवी बल्लभगढ़-समयपुर सर्किट-॥ पर 01 नं0 लाइन आइसोलेटर बदला गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में 220 केवी बल्लभगढ़-पलवल सर्किट-। पर 01 नं0 बस आइसोलेटर बदला गया ।

#### vii) संरक्षण एवं परीक्षण

- 220 केवी उपकेन्द्र, जमालपुर में 220 केवी, भाखड़ा-जमालपुर सर्किट-I तथा 2 के 02 नं0 खराब माइकाँम पी-442 न्युमेरिकल प्रोटेक्शन स्कीम को पुराने और प्रयुक्त माइकाँम पी 442 न्युमेरिकल प्रोटेक्शन स्कीम (अरेवा मेक) से बदला गया।
- 220 केवी उपकेन्द्र, हिसार में 220 केवी हिसार-इंडस्ट्रीयल एरिया-। पर राजोआ डीपी स्कीम को माइकाँम पी-442 से बदला गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में 66 केवी पर रेलवे सर्किट-। की सिपरोटेक रिले को माइकाँम पी-430 रिले (न्यूमेरिकल टाइप) से बदला गया।
- 220 केवी उपकेन्द्र, नरेला में 220 पानीपत-नरेला सर्किट-।, ॥ तथा ॥॥ के न्यूमेरिकल डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम को मै0 अरेवा एवं मै0 एबीबी को मेन-। तथा मेन-॥ प्रोटेक्शन स्कीम के अलग-2 मेक की डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम के साथ बदला गया ।

#### viii) ब्रेकज की मरम्मत

- 220 केवी उपकेन्द्र, संगरूर में 66 केवी बस कॅप्लर, 66 केवी संगरूर-रंगिया सर्किट तथा 66 केवी इन्कमिंग सर्किट के 03 नं. 66 केवी एस एफ-6 ब्रेकज की मरम्मत की गई।
- 220 केवी उपकेन्द्र, संगरूर में 220 केवी बस कॅप्लर, 220 केवी संगरूर-जमालपुर सर्किट-। एवं ॥ तथा 220 केवी संगरूर-हिसार सर्किट -I एवं II के 05 नं. 220 केवी एसएफ-6 के ब्रेकज की मरम्मत की गई।
- 400 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, पानीपत में 400 केवी एसएफ-6 के ब्रेकर X-3, X-4, X-5 तथा X-6 की मरम्मत की गई।

#### ix) डिपॉजिट कार्य

- पंचकुला-यमुनानगर खंड (राष्ट्रीय राजमार्ग-73) (एन एच ए आई का डिपॉजिट कार्य) को फोर लेनिंग के कारण स्पैन नं0182-186/सीजे एण्ड 202-203/सीजे एण्ड 159-160/सीजे के बीच 220 केवी गंगूवाल- जगाधरी लाइन (चंडीगढ़- जगाधरी खंड) का परिवर्तन किया ।
- कुराली के समीप एनएच-21 के (न्यू एन एच-205) खरड-कुराली खंड की 4 लेनिंग के कारण 220 केवी गंगूवाल-धूलकोट डबल सर्किट के स्पैन नं0 195-196 का परिवर्तन किया ।
- सोधपुर (अंबाला) के समीप एनएच-65 के अंबाला-कैथल खंड की 4 लेनिंग के कारण 220 केवी गंगूवाल-धूलकोट डबल सर्किट के स्पैन नं0 362-365 का परिवर्तन किया।
- 66 केवी चण्डीगढ़-किशनगढ़ लाइन के 01 नं0 66 केवी टावर (बीडी टाइप) को माडर्न हाऊसिंग कॉम्प्लैक्स मनीमाजरा, यूटी चण्डीगढ़ के पास अंबाला- कालका खंड के 44/2-3 कि.मी पर लेवल क्रॉसिंग नं0 126.20 के बदले पुल के कारण शिफ्ट की गई ।
- मौजूदा रेलवे लाइन के विद्युतीकरण और दोहरीकरण के कारण 220 केवी पानीपत-चरखी दादरी लाइन के नए टावर नं0 327 ए तथा 328 के निर्माण का कार्य पूरा किया गया ।

#### x) सिविल कार्य

- चंडीगढ़ की एसएलडीसी परिसर में ग्राउंड फ्लोर मार्ग तथा बैठक कक्ष का आर एण्ड आर किया गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, जमालपुर में मौजूदा मैटल्ड रोड की रिकार्पेटिंग की गई ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, धूलकोट में कालोनी रोड के किनारे कर्ब और चैनल बनाकर क्षतिग्रस्त वर्म का आर एण्ड आर किया गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बरनाला के नियंत्रण कक्ष में 02 नं0 डब्ल्यू सी एवं बाथरूम में जल आपूर्ति तथा सैनिटरी फिटिंग का आर एण्ड आर किया गया ।
- एसएलडीसी परिसर, बीबीएमबी, चण्डीगढ़ में कालोनी की सड़को के किनारे कर्ब, पक्की टाइलें और चैनल बिछाकर वर्म उपलब्ध कराया गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, धूलकोट की न्यू आवासीय कालोनी में क्षतिग्रस्त सीमेट कंक्रीट फ्लोर को एंटी स्किड फ्लोर टाइल्स से बदला गया ।
- एसएलडीसी परिसर, चण्डीगढ़ में पौधों की नर्सरी का विकास किया गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बरनाला में मौजूदा मैटल्ड सड़क की रिकार्पेटिंग की गई ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, धूलकोट की न्यू बीबीएमबी कालोनी की क्षतिग्रस्त सड़क के गड्डों को भरकर मरम्मत करके मौजूदा सड़कों की रिकार्पेटिंग की गई ।

- 220 केवी उपकेन्द्र, संगरूर के नियंत्रण कक्ष में मौजूदा लाइनिंग फिक्सर सहित फाल्स सीलिंग को नए एल ई डी फिक्सर सहित फाल्स सीलिंग से बदला गया ।
- धूलकोट में अधीनस्थ विश्राम गृह का आर एण्ड आर किया गया ।
- एसएलडीसी परिसर में मुख्य अभियंता/पारेषण प्रणाली, अधीक्षण अभियंता/मुख्यालय, निदेशक/पीएण्डसी तथा निदेशक/पीएण्डडी (पारेषण प्रणाली) के कार्यालयों में लकड़ी के कप बोर्ड तथा शोकेस का आरएण्डआर किया गया ।
- एसएलडीसी परिसर, चण्डीगढ़ में कम्प्यूटर ब्लॉक के प्रथम तल पर 02 अतिरिक्त बाथरूम उपलब्ध कराए गए ।
- 400 केवी देहर-पंचकुला लाइन के टावर सं.121 तथा 291 की टावर फाउंडेशन प्रोटेक्शन का कार्य पूरा किया गया ।
- इस मंडल के अंतर्गत विभिन्न उपकेन्द्रों के मौजूदा भवनों तथा चरखी दादरी इत्यादि के नवीकरण, बदलाव तथा मरम्मत का कार्य किया गया ।

#### xi) विविध कार्य

स्वचालन के दौरान 220 केवी उपकेन्द्रों के निम्नलिखित उपकरण चालू/बदले गए:-

- फोर वे सीएण्डआर पैनल (एबीबी मेक)
- 03 नं0 उपकेन्द्र ऑटोमेटिड पैनल
- 12 नं0 पुराने सीटीज (टेलक मेक) को नए सीटीज (एबीबी मेक) से बदला गया ।
- 08 नं0 आइसोलेटर्ज (एफएण्डएस मेक) तथा 02 नं0 लाइन आइसोलेटर्ज अर्थ स्विच के साथ (एफ एण्ड एस मेक) को नए 08 नं0 लाइन आइसोलेटर्ज कम अर्थ स्विच (जीआर मेक) से बदला गया ।
- 08 नं0 कैमरा उपलब्ध करवाए गए (04 नं0 स्विच यार्ड, 02 नं0 नियंत्रण कक्ष, 01 नं0 नियंत्रण कक्ष भवन तथा 01 नं0 मुख्य द्वार) ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, जमालपुर में 220/66 केवी, 100 एमवीए ट्रांसफार्मर टी-1 तथा टी-2 पर 02 नं0 नाईट्रोजन इंजेक्शन तथा अग्नि रोधक प्रणाली उपलब्ध कराई गई ।
- 400 केवी, उपकेन्द्र, पानीपत में 220 केवी यार्ड के कन्वेंशनल/एंटी फॉग डिस्क इन्सुलेटर्ज की 151 नं0 स्ट्रिंग को पॉलीमार इन्सुलेटर्ज से बदला गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, दिल्ली के 220 केवी यार्ड में पुराने 41 नं0 कन्वेंशनल डिस्क इन्सुलेटर्ज को पॉलीमार इन्सुलेटर्ज से बदला गया ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, दिल्ली में नया 27.5 केवीए डीजी सेट चालू किया गया।
- 220 केवी उपकेन्द्र, समयपुर में बस-। ए पर 36 नं0 सी वेज क्लैम्प बदले गए ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, समयपुर में बस-।। ए पर 10 नं0 सी वेज क्लैम्प बदले गए ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, समयपुर में 44 टन (4 यूनिट) एसी चालू किये गए ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, समयपुर में बस-।। बी पर 12 नं0 सी वेज क्लैम्प बदले गए ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, समयपुर में बस। बी पर 14 नं0 सी वेज क्लैम्प बदले गए

- 220 केवी उपकेन्द्र, समयपुर में बस। ए पर 11 नं0 सी वेज क्लैम्प बदले गए ।
- 66 केवी उपकेन्द्र, चण्डीगढ़ में 04 नं0 2 टन क्षमता के सप्लिट एसी स्थापित कर चालू किए गए ।
- 220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में 02 नं0 हाइ वॉल माउंटेड सप्लिट एसी स्थापित कर चालू किए गए ।

#### xii) 220 केवी उपकेन्द्र का स्वचालन

बीबीएमबी ने अपनी पारेषण प्रणाली के उपकेन्द्रों के स्वचालन में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पूर्ण रूप से स्वचालित 220 केवी उपकेन्द्र, बरनाला को 220 केवी उपकेन्द्र (बरनाला से 40 किलोमीटर) संगरूर से रिमोट संचालन के साथ चालू किया गया । यह उपकेन्द्र अब नियंत्रण कक्ष के साथ मानव रहित है और कोई भी कर्मचारी शिफ्ट ड्युटी में तैनात नहीं है । ओएण्डएम लागत में कमी प्रणाली की विश्वसनीयता में बृद्धि, डाउनटाइम में कमी, संचालन की रिमोट निगरानी इत्यादि इसके लाभों में शामिल है । इसी प्रकार का कार्य हिसार, चरखी दादरी, बल्लभगढ़ तथा समयपुर स्थित उपकेन्द्रों पर भी शुरू किया गया है।

#### xiii) रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र

बीबीएमबी ने जालंधर, जमालपुर, नरेला, दिल्ली के 220 केवी उपकेन्द्रों तथा चण्डीगढ़ कार्यालय भवनों पर 435 के डब्ल्यू पी के ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की हैं । नंगल और तलवाड़ा में ग्रांड माउन्टेड और फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्रों के कार्यान्वयन के अतिरिक्त बीबीएमबी के विभिन्न परियोजना स्थलों और उपकेन्द्रों पर 1.5 एम डब्ल्यू पी के रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं ।

## 6.2 सिंचाई खण्ड

### 6.2.1 भाखड़ा नंगल परियोजना

#### क. भाखड़ा बांध

1. भाखड़ा बांध के आंतरिक एवं वाह्य निकाय में अधिष्ठापित विभिन्न उपकरणों/यंत्रों का डाटा विश्लेषण हेतु लिया गया और उसे निदेशक/अभिकल्प, बीबीएमबी, नंगल के कार्यालय में प्रसंस्करण एवं विश्लेषण के लिए भेजा गया ।
2. वर्ष के दौरान भाखड़ा बांध के भूगणितीय सर्वेक्षण का कार्य किया गया जिसमें बांध के अपस्ट्रीम तथा डाऊनस्ट्रीम दोनों तरफ के तय किए गए बिन्दुओं के प्रेक्षण, पारगमन अवलोकन लॉकिंग कार्य का विश्लेषण ट्रेन्स विश्लेषण का कार्य किया गया।
3. बागवानी उपमंडल के अंतर्गत भाखड़ा बांध की बाईं तथा दाईं सीमा पर वृक्षारोपण के लॉन स्प्रेडिंग अनुरक्षण का कार्य प्रगति पर है।

4. भाखड़ा बांध के दोनों तरफ बाईं ओर तथा दाईं ओर से लेकर डिस्चार्ज बोर्ड ओलिण्डा तक प्रीमिक्स कारपेट का कार्य पूरा किया गया ।
5. भाखड़ा बांध के पम्प हाउस नेहला की कंक्रीट की सड़क का निर्माण ।
6. ओलिण्डा पुल से सलांगड़ी गांव तक सड़क के साथ सरेन का निर्माण
7. भाखड़ा में कर्मचारियों के लिए कारपेंटरी शॉप, टिम्बर रोपवे, यूक्लिड शॉप तथा गवालथाई बैरियर पर शौचालय ब्लॉक का निर्माण प्रगति पर है ।
8. ओलिण्डा के अग्निशमन केन्द्र पर स्टाफ रूम के निर्माण का कार्य प्रगति पर है ।
9. भाखड़ा बांध कालोनी की पुलिस बैरेक्स और सीआईडी इंस्पेक्टर आवास की चारदीवारी के निर्माण का कार्य प्रगति पर है ।
10. भाखड़ा बांध के विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों के लिए चैक पोस्ट के साथ पक्का मोर्चा का निर्माण प्रगति पर है
11. परियोजना को अग्नि सुरक्षा व अन्य सम्बद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए सम्पूर्ण वर्ष 02 नं. दमकल केन्द्र एक ओलिण्डा (भाखड़ा) व दूसरा नंगल में क्रियाशील रहे।

#### ख नंगल बांध एवं नंगल हाइडल चैनल (एनएचसी)

नंगल बांध, एनएचसी और इसके सम्बद्ध कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण किया गया और अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक निम्नलिखित मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य किए गए:-

1. नंगल हाइडल चैनल का आर डी-0 से आर डी-200337 तक का सामान्य अनुरक्षण प्रगति पर है । इसके अतिरिक्त नंगल बांध की आवासीय और गैर आवासीय भवनों, गंगूवाल, कोटला, भरतगढ़, घनौली तथा रोपड़ की कैनाल कालोनियों का सामान्य अनुरक्षण ।
2. नंगल हाइडल चैनल के आर-डी-27000 से आरडी-32000 आई/एस के बीच नाली (ड्रेनेज सिस्टम) की बहाली का कार्य पूर्ण किया गया।
3. नंगल टारुनशिप में नंगल बांध कार्यालय की स्टोर शैड की छत की क्षति ग्रेस्त/पुरानी सीजीआई शीट्स को बदला गया तथा नंगल बांध मंडल के कार्यालय के फर्श की विट्रिफाइड टाइल्ज को बदलने का कार्य प्रगति पर है।
4. रिवर हैड के अपर डैक के लकड़ी के तख्तों को स्टील चैकर्ड प्लेट्स से बदला गया ।
5. नंगल बांध के आर एच आर तथा सीएचआर के सुपर स्ट्रक्चर को पेंट किया गया ।
6. नंगल हाइडल चैनल के दाएं तरफ आरडी-20000 से आरडी-27000 के बीच नाली (ड्रेनेज सिस्टम) की बहाली का कार्य पूर्ण किया गया।
7. नंगल हाइडल चैनल के दाएं तरफ आरडी-53800 से आरडी-59200 के बीच नाली (ड्रेनेज सिस्टम) की बहाली का कार्य पूर्ण किया गया।

8. नंगल हाइडल चैनल के आंशिक क्लोजर के दौरान आरडी-27000 से आरडी-32726 के बाएं तरफ हनी कॉम्बड कंक्रीट लाइनिंग स्लैब की मरम्मत 12.5 मी.मी. मोटे सीमेंट प्लास्टर 1:3 सीमेंट प्लास्टर उपलब्ध करवाकर की गई ।
9. गंगूवाल विश्राम गृह को पोलिविनायल क्लोराइड की छत उपलब्ध कराई, वायर गेज और ग्लास पेन्स की मरम्मत की गई ।
10. नंगल हाइडल चैनल की जल स्तर से ऊपर की आरडी-32726 से आरडी-37200 दाएं तरफ जल स्तर से ऊपर कंक्रीट लाइनिंग स्लैब की मरम्मत 12.5 मी.मी. सीमेंट 1:3 के साथ की गई ।
11. टी.बी. अस्पताल से आनंदपुर साहिब हाइडल चैनल तक बार्बड वायर फेंसिंग की बहाली तथा नंगल में नंगल तालाब/वीआईपी रोड के साथ-साथ किनारे कूड़े/जंगल की सफाई की गई ।
12. नंगल हाइडल चैनल के दाएं तरफ 20 मी.मी मोटे क्लोज ग्रेडिड प्रीमिक्स सरफेसिंग के साथ पैच वर्क किया गया ।
13. नंगल बांध पर 50 से 75 मी.मी. मोटा बिटुमिनियस मेकेडम पैच वर्क पूरा किया गया।
14. नंगल में विभिन्न स्थानों पर 02 नम्बर पुरानी साइन बोर्ड शीट को उच्च तीव्रता की सूक्ष्म प्रिज्मीय ग्रेड की प्रतिबिंबित शीट से बदला गया ।
15. नंगल हाइडल चैनल और नंगल बांध के डाउनस्ट्रीम के विभिन्न स्थानों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव हाइ इंटेंसिटी माइक्रो प्रिज्मीय शीट के साइन बोर्ड उपलब्ध कराए गए ।
16. गांव माजरी में खम्बें और ट्रस युक्त स्टील स्ट्रक्चर उपलब्ध करवाकर लगाना ।
17. कैनाल कालोनी गंगूवाल में रास्ते के किनारे एम-35 ग्रेड सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 स्टोन बैलेस्ट या शिंगल के साथ 60 मी.मी मोटे सीमेंट कंक्रीट इंटरलॉकिंग पेवर ब्लाक उपलब्ध कराया ।
18. गांव बीकापुर के समीप आरडी-53920 पर सुपर पैसेज पर रखी गई आरसीसी स्लैब की मरम्मत की गई ।
19. एनएचसी के किनारों तथा अन्य संबद्ध संरचनाओं पर खरपतवार/घास/जंगली घास को नियंत्रित/नष्ट करने के लिए हर्बिसाइड का छिड़काव तथा हाइडल चैनल में पेटिंग का कार्य किया गया ।
20. रोपड़-श्री आनंदपुर साहिब रोड पर भरतगढ़ में पश्चिम की ओर वर्षा शालिका उपलब्ध करवाई गई ।
21. गंगूवाल विश्राम गृह की अपेक्षित शैड की फिनिशिंग दीवार को 2 कोट @ 1.67 लीटर/10 स्कवेयर मीटर के साथ एकरेलिक स्मूथ एक्सटीरियर पेंट किया गया ।
22. गांव भल्डी में खम्बे और ट्रस से युक्त स्टील स्ट्रक्चर उपलब्ध कराया गया ।
23. नंगल बांध पर निरीक्षण दीघा तथा अन्य निर्माण संरचनाओं पर समोस्म किया गया ।



24. नंगल हाइडल चैनल के आर डी-1550 से आरडी-10000 के दोनों तरफ सफाई/पोलिथिन बैग का समाशोधन/सामग्री को क्षय का कार्य प्रगति पर है ।
25. नंगल हाइडल चैनल की दाएं तरफ आरडी-1550 से आरडी-10000 तक चैन लिंक फेसिंग लगाने का कार्य प्रगति पर है ।
26. गंगुवाल की बाएं तरफ स्लाफिंग और पहाड़ी ढलान की जांच की लिए रेटिनिंग दीवार का निर्माण प्रगति पर है ।
27. आरडी-141000 से आरडी-146000 तक अच्छी भूमि प्रदान करके डार्वेल एण्ड बैंक प्रोफाइल को बहाल किया ।
28. सिरसा (वन वे परीक्षण आधार) की नीचे की स्लैब को सीमेंट आधारित पेंट किया गया ।
29. कोटला उप मंडल, कोटला कार्यालय और एम एण्ड एम टाइप आवासों की तरफ क्षतिग्रस्त मार्ग पर सीमेंट कंक्रीट लगाया गया ।
30. वर्ष 2018-19 के लिए कोटला उप मंडल, कोटला में नंगल हाइडल चैनल यूनिट-III आरडी-62165 से आरडी-20037 ए एम एण्ड आर प्राकलन के अनुसार कोटला उप मंडल, नंगल बांध उप मंडल में एनएचसी के साथ रेत, स्विंग और स्टैकिंग, कोटला में विद्युत घर सप्लिवे के आसपास कंटीले तार, एंगल-आयरन, रेलिंग की कंक्रीट पोस्ट की मरम्मत और एलुमीनियम पेंटिंग का कार्य किया गया ।
31. 2018-19 के मानसून ऋतु से पहले नंगल हाइडल चैनल की आरडी-103006 पर चरन कमल साइफन के आसपास के डाउनस्ट्रीम सिस्टर्न हिस्से और आसपास के राष्ट्रीय राजमार्ग पुल के नीचे गाद निकालने का कार्य किया । एनआईटी नं0 27/2018/एनडी कार्य प्रभार "वर्ष 2018-19 के लिए एनएचसी के यूनिट-III के एएमएण्डआर आरडी-62165 से आरडी-200337 कोटला उप मंडल कोटला ।
32. 2018 के मानसून ऋतु से पहले नंगल हाइडल चैनल की आरडी 104148 पर कीरतपुर साहिब साइफन के आसपास के डाउनस्ट्रीम सिस्टर्न हिस्से और आसपास के राष्ट्रीय राजमार्ग पुल के नीचे गाद निकालने का कार्य किया । एनआईटी नं0 25/2018/एनडी कार्य भार "वर्ष 2018-19 के लिए एनएचसी यूनिट-III के एएमएण्डआर आरडी-62165 से आरडी-200337 कोटला उप मंडल कोटला ।
33. नंगल हाइडल चैनल की आरडी -112312 से 134000 तक नाली की (ड्रेनेज सिस्टम) बहाली ।
34. अप्रैल-2018 में भरतगढ़ खंड में इडेंट 4000 सीएस+ 500 आरटीपी के साथ नंगल हाइडल चैनल के आंशिक क्लोजर के दौरान आरडी-107800 से आरडी-137538 की दोनों तरफ की साइड ढलान पर हनी काम्बड कंक्रीट लाइनिंग स्लैब की मरम्मत 12.50 मी.मी मोटे सीमेंट शैड प्लास्टर 1:3 से की गई ।
35. अप्रैल, 2018 में भरतगढ़ खंड में नंगल हाइडल चैनल के आरडी 134150 के दोनों तरफ 1:3 सीमेंट रेत मोर्टार के साथ जोड़ो की टाइल लाइनिंग की विशेष मरम्मत की गई ।

36. अप्रैल-2018 में नंगल हाइडल चैनल के आंशिक क्लोजर के दौरान आरडी-137538 से आरडी-168318 तक की दोनों तरफ की साइड ढलान पर हनी कॉम्बड कंक्रीट लाइनिंग स्लैब की मरम्मत 12.50 मी.मी मोटे सीमेंट शैड प्लास्टर 1:3 से की गई ।
37. अप्रैल, 2018 में 4000 क्यूसेक टेल पर तथा रोपड़ थर्मल प्लांट की 500 क्यूसेक के लिए नंगल हाइडल चैनल के आंशिक क्लोजर के दौरान आरडी-168318 से आरडी-200337 तक की दोनों तरफ की साइड ढलान पर हनी कॉम्बड कंक्रीट लाइनिंग स्लैब की मरम्मत 12.50 मी.मी मोटे सीमेंट शैड प्लास्टर 1:3 से की गई ।
38. अप्रैल, 2018 में रोपड़ खंड में नंगल हाइडल चैनल के आंशिक क्लोजर के दौरान आरडी-181000 से आरडी-2000337 तक की दोनों तरफ की साइड ढलान पर 1:3 सीमेंट शैड मोर्टार के साथ जोड़ो की टाइल लाइनिंग की विशेष मरम्मत की गई ।
39. अप्रैल, 2018 में घनौली खंड में नंगल हाइडल चैनल के आंशिक क्लोजर के दौरान आरडी-151150 से आरडी-151150 तक की दोनों तरफ की साइड ढलान पर 1:3 सीमेंट शैड मोर्टार के साथ जोड़ो की टाइल लाइनिंग की विशेष मरम्मत की गई ।
40. 04/2018 के दौरान गोताखोर टीम/विभागीय मशीनरी/श्रमिकों की सहायता से नंगल हाइडल चैनल की आरडी 140000 से 141000 तक की ढही हुई स्लैब संख्या 42 से 45 तथा 51 से 63 तथा आर डी 12600 से 127000 एल/एल के बीच स्लैब संख्या 78, 79 और 80 को गोताखोर टीम/विभागीय मशीनरी/श्रमिकों की सहायता से बहाल किया गया तथा घनौली खंड की स्लैब सं.29 को विभागीय मशीनरी/श्रमिकों की सहायता से बहाल किया गया ।
41. कोटला के कोटला उपमंडल के विभिन्न स्थानों पर सफेदी, आँयल वांड स्मूथ एक्सटीरियर पेंट किया गया (कोटला में एमएण्डएम टाइप 04 नं0 आवासों पर पेंटिंग, सफेदी तथा फिनिशिंग वाल पर एकरेलिक स्मूथ एक्सटीरियर पेंट) बीबीएमबी कोटला उप मंडल की यूनिट-11 के भवनों का वार्षिक अनुरक्षण एवं मरम्मत किया गया ।
42. कोटला के कोटला उपमंडल के विभिन्न स्थानों पर सफेदी, आँयल वांड स्मूथ एक्सटीरियर पेंट किया गया (कोटला विश्राम गृह की सतह को तैयार कर पेंट सफेदी, आयल बांड) वर्ष 2018-19 के लिए कोटला विश्राम गृह का वार्षिक मरम्मत को एम एण्ड आर को प्रभार्य ।
43. कोटला के कोटला उपमंडल के विभिन्न स्थानों पर सफेदी, आँयल वांड स्मूथ एक्सटीरियर पेंट किया गया (कैनाल कालोनी कोटला में 36 नं0 एलआईजी टाइप दो मंजिल आवास पर सफेदी, आँयल बांड किया) कैनाल कालोनी कोटला के यूनिट IV-सी-वर्कस एण्ड के बिल्डिंग (आर) के 36 नं0 एलआईजी दो मंजिल आवासों के वार्षिक अनुरक्षण एवं मरम्मत को प्रभार्य ।
44. कोटला के कोटला उपमंडल के विभिन्न स्थानों पर सफेदी, आँयल वांड स्मूथ एक्सटीरियर पेंट किया गया (कोटला उपमंडल कार्यालय परिसर की सतह को खुरचने के

- उपरान्त आँयल बांडड डिस्टैंपर किया) कोटला के कोटला उपमंडल के नंगल हाइडल चैनल के यूनिट-11 के आरडी-62165 से आरडी-20037 तक के वार्षिक अनुरक्षण एवं मरम्मत को प्रभार्य ।
45. सिरसा नहर के एक्सपेंशन जोड़ के समीप तटबंध के ऊपर खराब कंक्रीट को एपोक्सी आधारित पोलीमार सीमेंट कंक्रीट के साथ मरम्मत किया गया ।
  46. नंगल हाइडल चैनल के आरडी-159958 पर तटबंध 04 सं 14 तक सिरसा नहर में तारों से चारों ओर से घेर कर अस्थाई सुरक्षा कार्य किया गया ।
  47. नंगल हाइडल चैनल से कोटला विश्राम गृह, कोटला तक प्राकृतिक पानी उठाने के लिए 03 इंच का इनर डाय जी आई पाइप और केन्द्रापसारक पंप उपलब्ध कराया गया ।
  48. पॉलीथीन फोम और हाइड्रो स्ट्रक्चर रिसाइन इंजेक्शन तकनीकों का उपयोग कर पीयर्स पर सिरसा नहर विस्तार जोड़ों के रिसाव को रोका गया ।
  49. एनडीटी तकनीकों का उपयोग कर शक्ति का आकलन और मरम्मत एवं नंगल हाइडल चैनल पर सिरसा नहर संरचनाओं के उपायों को मजबूत करने की सिफारिशों की गई।

#### ग. भाखड़ा स्पिलवे (निरीक्षण/न्यूमेटिक केसँन विधि से मरम्मत)

न्यूमेटिक केसँन विधि की सहायता से वर्ष 1983 से भाखड़ा स्पिलवे की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है । 18.12.2018 को सिकिंग सेट और फ्लोटिंग उपकरणों का संयोजन शुरू किया गया था । कार्य आदेश को विभिन्न मंडलों के साथ रखा गया था और कार्य आदेश पर श्रमिकों के शामिल होने के उपरान्त, पैटून को स्पिलवे में उतारा गया था । स्पिलवे में उतारा गया पैटून, अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता/ भाखड़ा यांत्रिक मंडल, नंगल द्वारा प्रस्तावित ईएल 1433 फीट पर 1-8 से नदी के आउटलेट गेट्स के संचालन और परीक्षण के लिए दोनों बे की निकासी के लिए नष्ट कर दिया गया था । 03.04.2019 को दोनों बे को साफ किया गया ।

#### घ) नंगल कार्यशाला

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड की सभी परियोजनाओं में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन/निर्माण/मरम्मत के लिए नंगल कार्यशाला उत्तरदायी हैं, जिसमें सिंचाई और विद्युत खंड शामिल हैं जैसे कि लौह संरचनाओं, पौटून, ड्रेजर पाइप/कचरा रैक, गाइड वेन्स, बुश होजिंग, लौह और गैर-लौह धातु की ढलाई/विभिन्न फाटकों और अन्य फाटकों की रबर सील का निर्माण/शाफ्टों की मरम्मत, बुश, स्लीव अन्य मशीनरी हिस्से तथा शीट मेटल कार्य इत्यादि ।

नंगल कार्यशाला में किए गए कुछ विविध कार्य निम्न प्रकार हैं-

- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, भाखड़ा काम्पलैक्स तथा टाउनशिप मंडल, नंगल के लिए एम.एस. चौखाटों, एस.एम. दरवाजों, ट्री गार्डस, एम.आई. रेलिंग, वाशबेसिन के ब्रेकेट्स, लकड़ी की कुर्सियां, एम. एस. ऐंगल ब्रास स्पेंडलज तथा कूड़ेदानों इत्यादि का निर्माण करना ।

- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, भाखड़ा यांत्रिक मंडल के लिए एम.एस. फलैंग्स शैडर्स, नट एण्ड बोल्ट, एम.एस पाइप रेलिंग, ब्रेक ब्लॉक, रबर सील, ट्री गार्ड, एंकर पिन, एंकर प्लेट्स, फिश प्लेट्स, पाइप रेलिंग, शाफ्ट स्लीव स्टड, ब्रेकेट्स तथा एस.एस फ्रेम इत्यादि का निर्माण करना ।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, नंगल बांध मंडल, नंगल के लिए एम.एस ऐंगल, लोकिंग प्लेट्स, रोलर पिन, बोल्ट, ट्री गार्ड, लकड़ी की कुर्सी, लौह अलमीरा, रबर सील, बुरा प्लंबर ब्लॉक, नट, टेबल ब्रेकेट्स इत्यादि का निर्माण करना ।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, भाखड़ा बांध मंडल, नंगल के लिए ट्री गार्ड, लकड़ी की कुर्सी, बैरीगेट्स, लौहे की अलमारी, एम.एस फ्रेम इत्यादि का निर्माण करना ।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, जल विनियम मंडल, नंगल के लिए लौहे अलमीरा का निर्माण करना ।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, प्रापण: केन्द्रीय/भंडार तथा निपटान मंडल, नंगल के लिए लकड़ी की कुर्सी, लौहे की अलमीरा, भार पुल का निर्माण करना ।
- मुख्य अभियंता/भाखड़ा बांध तथा अधीक्षण अभियंता/मुख्यालय, नंगल के लिए लकड़ी की कुर्सियों का निर्माण ।
- वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, नंगल टाउनशिप के लिए पदग्राही पट्ट का निर्माण करना ।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, टाउनशिप मंडल, तलवाड़ा के लिए लोहे के कूड़ेदान, एम.एस ऐंगल का निर्माण करना ।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, आर.एम.मंडल, बीबीएमबी, तलवाड़ा के लिए संकेत पट्ट का निर्माण करना ।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, यांत्रिक मंडल, बीबीएमबी तलवाड़ा के लिए रबर सील, जी.एम रोड का निर्माण करना ।
- निदेशक, अभिकल्प, बीबीएमबी, नंगल के लिए लोहे अलमारी, लकड़ी की कुर्सी का निर्माण करना ।
- उप मुख्य अभियंता, यांत्रिक मंडल, नंगल के लिए सेंटर टेबल, लकड़ी की कुर्सी का निर्माण करना ।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, इलैक्ट्रीकल एण्ड वर्कशाप मंडल, सुन्दरनगर के लिए पेंटून जी.एम बुश पाइप, वायर शीव पुली, ब्रास बुश इत्यादि का निर्माण करना ।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, इलैक्ट्रीकल मंडल, तलवाड़ा के लिए मीटर बक्से इत्यादि का निर्माण करना ।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, इलैक्ट्रीकल एण्ड वर्कशाप मंडल, बीबीएमबी, पंडोह के लिए नट एवं बोल्ट इत्यादि का निर्माण करना ।

- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, एसटीपीएण्ड मंडल, बीबीएमबी विद्युत खंड के लिए नट एवं बोल्ट, स्टील प्लेट्स, शाफ्ट शीयर पिन, एम.एस. प्लेट्स, गन मेटल सीट, एम.एस ऐंगल, ग्लैंड प्लेट्स, चैनल सहित टावर इत्यादि का निर्माण करना ।
- आवासीय अभियंता, भाखड़ा विद्युत घर के लिए कूड़ेदान, लोहे की अलमारी, एम.एस गेट तथा झुकावदार कूड़ेदान इत्यादि का निर्माण करना ।
- आवासीय अभियंता, गंगूवाल तथा कोटला विद्युत घर के लिए ड्रिलिंग प्लेट्स, लकड़ी की कुर्सियों का निर्माण करना ।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, ओ.एण्ड एम मण्डल, बीबीएमबी विद्युत खंड गंगूवाल के लिए व्हील शाफ्ट ब्रास, नट एण्ड बोल्ट, रबर सील बुश, शाफ्ट असेंबली इत्यादि का निर्माण करना ।
- आवासीय अभियंता, देहर विद्युत घर, सलापड़ के लिए गाइड वेन्स, ग्रीस अडाप्टर, ड्रिलिंग प्लेट्स, ब्रास सील, गाइड वेन्स, बुरा हाउसिंग की मरम्मत व निर्माण करना ।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, ओ.एण्ड एम मण्डल, बीबीएमबी, कुरुक्षेत्र के लिए एम.एस लेडर्ज का निर्माण करना ।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, ओ.एण्ड एम मण्डल, बीबीएमबी (विद्युत खंड), जालंधर के लिए एम.एस ऐंगल, एम.एस फ्रेम का निर्माण करना ।

#### ड. भाखड़ा यांत्रिक मंडल, नंगल

भाखड़ा यांत्रिक मंडल, नंगल मुख्य रूप से रेडियल गेट्स, रिवर आउटलेट गेट्स, ट्रेस रैक, स्पिलवे रेडियल गेट्स इत्यादि सहित स्थायी प्रतिष्ठानों के संचालन, अनुरक्षण/मरम्मत, भारी अर्थमूविंग मशीनरी सहित सभी यांत्रिक उपकरणों का अनुरक्षण तथा मरम्मत, भाखड़ा नंगल परियोजना में यातायात वाहनों और रेलवे नेटवर्क जो लोगो एवं मशीनरी को नंगल से भाखड़ा बांध के लिए ले जाने हेतु उपलब्ध है तथा ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए उत्तरदायी है ।

#### 6.2.2 ब्यास परियोजना

##### 6.2.2.1 ब्यास परियोजना यूनिट-I(बीएसएल)

क विभिन्न उपकरणों/यंत्रों से प्राप्त आंकड़ों की सहायता से पंडोह बांध, बीएसएल परियोजना के विभिन्न अन्य घटकों तथा देहर विद्युत संयंत्र के बिहेवियर की मॉनीटरिंग की गई और इन कार्यों का संरचनात्मक बिहेवियर सन्तोषजनक पाया गया।

ख पंडोह बांध में गैलरीज/सुरंगों के रिसाव जल में सल्फेट की अत्यधिक मात्रा की समस्या।

रिसाव जल में सल्फेट की मात्रा की समस्या की नियमित निगरानी की जा रही है । पंडोह बांध की डी तथा जी गैलरी के प्रमाणित रिसाव छेद में उच्च सल्फेट सामग्री का बहाव स्थिर स्थिति में है । अगस्त 2016 में सीएस एण्ड एम आर, नई दिल्ली द्वारा किए गए

अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी परीक्षण से यह पता लगा कि निगरानी की अवधि के समय कंक्रीट की गुणवत्ता में कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं हुई है। कंक्रीट की सामग्री गुणवत्ता अच्छी है।

#### ग पण्डोह स्पिलवे की मरम्मत

2017 के बाढ़ के मौसम के पश्चात् पण्डोह स्पिलवे की मरम्मत का कार्य किया गया और प्रचलित प्रथा के अनुसार 1279 वर्ग मीटर क्षेत्र की मरम्मत की गई।

#### घ पीबीटी इंटेक पॉकेट की फ्लिशिंग

गलत वस्तुओं के प्रवेश और पीबीटी में गाद के प्रवेश में कमी लाने के लिए पीबीटी इंटेक पाकेट का दिनांक 13.08.2018 से 14.08.2018 एवं 24.09.2018 से 25.09.2018 तक दो बार फ्लिशिंग ऑपरेशन किया गया जिससे पंडोह जलाशय से 1777.74 हेक्ट. मीटर गाद हटाई गई।

#### ड संतोलक जलाशय में गाद का प्रेक्षण

जुलाई, 2018 से सितम्बर, 2018 तक की अवधि के दौरान संतोलक जलाशय से 3 ड्रेजरों द्वारा 96.35 हेक्ट. मीटर गाद हटाई गई। नवीनतम गाद सर्वेक्षण के अनुसार अवधि के अंत में जमा शेष गाद 57.67 हेक्ट. मीटर के आसपास था।

#### च बग्गी नियन्त्रण वर्क्स के आपातकालीन द्वार

बग्गी कंट्रोल वर्क्स स्टिलिंग बेसिन के दाएं और बाएं किनारे बेज के वार्षिक अनुरक्षण के दौरान सभी आपातकालीन द्वारों का रिसाव सामान्य था। द्वार नं.4 की मरम्मत और अनुरक्षण किया गया। यांत्रिक कार्यों, स्टॉप लागू इत्यादि का अनुरक्षण सामान्य प्रक्रिया एवं कार्यक्रमानुसार किया गया।

#### छ पैन स्टाक हैडरस व ब्रांच

पैन स्टाक हैडरस, ब्रांच और ड्रेसर कप्लिंग का नियमित अनुरक्षण किया गया। संबंधित मशीनों के शट डाउन की उपलब्धता के अनुसार पैनस्टाक बांध सं.5 तथा 6 का आंतरिक निरीक्षण किया गया।

#### 6.2.2.2 ब्यास परियोजना यूनिट-II (पौंग बांध)

क पौंग बांध की मॉनिटरिंग के लिए पौंग बांध एवं विद्युत घर भवन के निकाय के अन्दर तथा बाहर स्थापित विभिन्न उपकरणों/यंत्रों से प्रेक्षित आंकड़े जांचे गए और यह पाया गया कि इनके कार्यों का संरचनात्मक व्यवहार संतोषजनक है।

#### ख पौंग जलाशय की परिधि में क्रस्टल डिफार्मेशन

जलाशय के बायीं और दायीं ओर की परिधि के साथ-साथ 15 कि.मी तक निर्धारित किए गए बैंच मार्कस का अक्टूबर/नवम्बर, 2017 के दौरान जलाशय के अधिकतम जल स्तर पर

मई/जून, 2018 के दौरान न्यूनतम आरडब्ल्यूएल पर फिल्ड स्टाफ द्वारा प्रेक्षण किया गया। औसत अधिकतम जलाशय जल 443.916 मीटर (1456.75 फीट) और औसत न्यूनतम जलाशय जल स्तर 473.577 मी (1553.71 फीट) में बैंच मार्क्स नं.69 पर जलाशय के बायीं ओर 5.1 एमएम अधिकतम वर्टिकल डिफार्मेशन पाई गई।

## ग पौंग जलाशय का अवसादन

वर्ष 2017-18 के दौरान कराए गए पौंग जलाशय के सर्वेक्षण से प्रतीत होता है कि वर्ष 1974 से 2018 तक (44 वर्ष) की अवधि के दौरान गाद जमा होने की औसत दर के अभिकल्पित आंकड़े 24.29 मिलियन एम<sup>3</sup> (19695 एकड़ फीट) की तुलना में 25.29 मिलियन एम<sup>3</sup> (20500 एकड़ फीट) प्राप्त हुए हैं। आवाह क्षेत्र (1974- 2018) की प्रति वर्ग मील औसत गाद प्राप्ति 5007.93 एम<sup>3</sup> (4.06 एकड़ फीट) मिलियन घन मीटर निकाली गई है। 1975-76 से 2017-18 के दौरान ट्रेप दक्षता लगभग 97.41% है। जलाशय में जमा कुल गाद की प्रतिशतता निष्क्रिय भण्डारण में 26.42 और सक्रिय भण्डारण में 73.58 है।

### 6.2.3 बांध सुरक्षा गतिविधियां

#### ब्यास बांध तथा भाखड़ा बांध

भाखड़ा ब्यास परिसर के विभिन्न संघटकों का हमारे क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा मानसून पूर्व तथा मानसून उपरांत निरीक्षण किया गया तथा कुछ भी असामान्य नहीं पाया गया।

बीबीएमबी द्वारा प्रमुख विशेषज्ञों की 5वीं बांध सुरक्षा समिति दिनांक 17.10.2017 को गठित की गई जिसने मई, 2018 और नवम्बर, 2018, दो चरणों में ब्यास सतलुज लिंक परियोजना का निरीक्षण किया ।

सामान्यतः समिति ने पाया कि परियोजना के सभी संरचनाओं की समग्र स्थिति उत्कृष्ट है। (i) भाखड़ा बांध तथा उर्जा संयंत्रों (ii) नंगल बांध, नंगल हाइडल चैनल तथा कैनाल विद्युत घरों (iii) ब्यास बांध और पौंग बांध के निरीक्षण के संबंध में 5वीं बांध सुरक्षा समिति की रिपोर्ट को प्रकाशन हेतु स्वीकृत किया और केन्द्रीय जल आयोग सहित सभी संबंधितों को परिचालित किया गया ।

निदेशक, बांध सुरक्षा, बीबीएमबी द्वारा बांध सुरक्षा समितियों की सिफारिशों/टिप्पणियों को नियमित रूप से लागू किया जा रहा है ।

### 6.2.4 बीबीएमबी चिकित्सालय

बीबीएमबी के अस्पतालों में बीबीएमबी कर्मचारियों के साथ-साथ क्षेत्र के आम लोगों को भी अंतरंग और बहिरंग दोनों चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। पर्याप्त निदानसूचक साधनों जैसे एक्स-रे, पैथोलॉजीकल इन्वेस्टीगेशन, ई.सी.जी. फिजियोथेरेपी, अल्ट्रासाउंड और

अन्य रक्त-आधान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। रिवाईजड नेशनल टी.बी. नियन्त्रण प्रोग्राम (आरएनटीसीपी), इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आदि भी चलाए जा रहे हैं। नेत्र विभाग में आई.ओ.एल. ऑपरेशन भी किए जाते हैं। अस्पतालों में जन स्वास्थ्य देख-भाल और परिवार कल्याण सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

### 6.2.5 पर्यटक

वर्ष 2018-19 के दौरान 7239 व्यक्तियों ने पोंग बांध तथा 4.84 लाख व्यक्तियों ने भाखड़ा बांध का भ्रमण किया।

### 6.3 राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड ने भाखड़ा तथा पोंग जलाशयों और नहर नैटवर्क के अधिकतम उपयोग के लिए अंतर्वाह पूर्वानुमान (अर्थात् अल्पावधि 3 दिन और मध्यावधि 7 से 15 दिन) बाद पूर्वानुमान हेतु चण्डीगढ़ में अर्थ रिसीविंग स्टेशन (ईआरएस) स्थापित किया है, बीबीएमबी विश्व बैंक वित्त पोषित हाइड्रोलॉजी चरण-II परियोजना के अन्तर्गत देश का 'प्रथम प्रवर्तक' है।

इस परियोजना के अंतर्गत, सतलुज तथा ब्यास नदियों के आवाह क्षेत्र में स्टेट ऑफ दि आर्ट प्रौद्योगिकी से नवीनतम उपकरणों/सेंसरों का प्रयोग कर भागीदार राज्यों के संपर्क विन्दुओं पर आईएमडी के साथ 6 सह-संचालक केन्द्रों तथा 10 स्वचालित स्टेज रिकार्डरों सहित, स्वचालित रेन गेज स्टेशनों, स्वचालित फुल क्लार्इमेट स्टेशनों, स्नो वाटर इक्वैलेंट, जल-स्तर रिकार्डरों, केबलवे इत्यादि को सम्मिलित करते हुए 93 रियल टाइम एक्विजीशन स्टेशन लगाए गए हैं। रियल टाइम डिजीजन सपोर्ट सिस्टम की योजनाबद्ध व्यवस्था में इनसेट-3डी के माध्यम से 1 घंटे के अन्तराल पर हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल डेटा का अर्थ रिसीविंग स्टेशन, चण्डीगढ़ को रियल टाइम पारेषण शामिल है।

रियल टाइम डेटा को एमआईकेई साफ्टवेयर के रेनफाल रनऑफ माडल, हाइड्रो डायनामिक मॉडल, फ्लड मॉडल तथा वाटर एलोकेशन मॉडल का प्रयोग करते हुए प्रोसेस किया जाता है। इसके परिणाम/उत्पन्न परिदृश्य को एनएचपी डैश बोर्ड पर शेयर किया जाता है।

भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय ने विश्व बैंक के सहयोग से नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट (एनएचपी) की शुरुआत भारत के लिए की ताकि एनएचपी के अधीन राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना के अंतर्गत हाइड्रो प्रोजेक्ट फेज़-II के कार्य तथा लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए बीबीएमबी को रु 30.00 करोड़ आबंटित किए गए जिससे कि डेटा एक्विजीशन सिस्टम (डीएस) को सुदृढ और विस्तार करना, अलटरनेट मॉडल का विकास और तकनीक की वृद्धि साथ में इस संगठन में क्षमता बढ़ोतरी जिससे की अच्छे परिणाम आर्यें।

एनएचपी के अंतर्गत, वार्षिक जल प्रबंधन सम्मेलनों की एक श्रृंखला की परिकल्पना की गई है, जिन्हें विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार का प्रथम अंतर-राष्ट्रीय सम्मेलन भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड द्वारा 10-11 दिसम्बर, 2018 की



अवधि के दौरान इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) मोहाली में आयोजित किया गया । लगभग 500 प्रतिभागियों के जल संसाधन पेशेवर, शिक्षाविदों सहित और अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञ, उद्योग और विभिन्न देशों के विदेशी विशेषज्ञ सहित (जैसे आस्ट्रेलिया, यू.के., अमेरिका, स्पेन, नीदरलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, कनाडा, जर्मनी, श्री लंका, वियतनाम के छात्र/शोध विद्वान शामिल हैं) ने इस आयोजन में भाग लिया । सम्मेलन में विचारों और अच्छी प्रथाओं का आदान-प्रदान करने, साझेदारी बनाने और मजबूत करने, उपकरणों के क्षेत्र में नए विकास के बारे में जानने और टिकाऊ जल प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करने, यानि भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता के बिना उनकी पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा जरूरतों को पूरा करना इसका मुख्य उद्देश्य था ।

**दिनांक 1.4.2018 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए भाखड़ा जलाशय के परिचालन हेतु वास्तविक जल विद्युत आंकड़े**

माह	अवधि	अंतर्वाह क्यूसेक दिन					नंगल तथा रोपड़ के बीच लाभ अथवा हानि (क्यूसेक दिन)	दिल्ली जल बोर्ड (क्यूसेक दिन)	डब्ल्यू जे. सी. अंशदान (क्यूसेक दिन)	भाखड़ा जलाशय से रिलीजेज (क्यूसेक दिन)	अंतिम जलाशय स्तर (फीट)	भाखड़ा विद्युत घरों का औसत विद्युत		गंगुवाल एवं कोटला विद्युत घरों का औसत विद्युत		भाखड़ा कॉम्प्लेक्स से उपलब्ध कुल विद्युत		देहर विद्युत से कुल उत्पादन
		सतलुज	देहर विद्युत संयंत्र	वाई पास शूट	योग कालम (4+5)	योग कालम (3+6)						एम डब्ल्यू	एलयू	एम डब्ल्यू	एलयू	एम डब्ल्यू	एलयू	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>31.03.2018 को आरंभिक जलाशय : 1550.10 फीट</b>																		
अप्रैल 2018	01-10	4302	2084	-	2084	6386	-300	496	-	12243	1544	321	77	136	33	457	110	42
	11-20	4452	2263	-	2263	6715	-300	496	-	8658	1541	225	54	99	24	324	78	46
	21-30	5488	3539	-	3539	9026	-300	248	-	12056	1536	310	74	119	29	428	103	70
मई	01-10	6788	3992	-	3992	10780	-600	496	-	22773	1519	572	137	147	35	719	173	77
	11-20	7576	3802	-	3802	11378	-600	496	-	22312	1501	540	130	145	35	685	164	74
	21-31	8902	5471	-	5471	14373	-600	496	-	20158	1491	483	116	148	36	631	151	103
जून	01-10	15805	8270	-	8270	24075	-600	496	-	18093	1506	427	103	146	35	573	138	145
	11-20	21986	8167	-	8167	30153	-600	496	-	25220	1508	604	145	146	35	750	180	143
	21-30	14301	6549	-	6549	20850	-600	496	-	32007	1493	744	179	148	36	892	214	120
जुलाई	01-10	20080	8197	-	8197	28277	1000	125	-	23532	1502	544	130	147	35	691	166	143
	11-20	26277	8460	-	8460	34737	1000	125	1670	20035	1526	493	118	145	35	638	153	145
	21-31	42049	8439	-	8439	50487	1000	125	1842	18899	1568	509	122	140	34	649	156	147
अगस्त	01-10	37468	8463	-	8463	45931	1000	125	2720	18200	1594	525	142	146	35	670	161	147
	11-20	53403	7592	-	7592	60995	1000	125	1239	16446	1625	523	142	145	35	667	160	133
	21-31	34017	8451	-	8451	42468	1000	125	2750	16938	1641	556	133	145	35	701	168	147
सितम्बर	01-10	25924	8482	-	8482	34406	-	125	2750	19640	1649	665	160	150	36	815	-	149
	11-20	17156	7854	-	7854	25010	-	125	2095	19648	1651	671	161	150	36	821	197	139
	21-30	28526	7047	-	7047	35573	-	125	16	11697	1665	396	95	115	27	511	123	126
अक्टूबर	01-10	11451	7788	-	7788	19239	-	496	16	11688	1668	410	98	132	32	542	130	136
	11-20	9125	4927	-	4927	14052	-	496	-	12243	1669	430	103	144	35	574	138	93
	21-31	6871	3745	-	3745	10616	-	496	-	12102	1608	426	102	140	34	567	136	70
नवम्बर	01-10	6357	3495	-	3495	9852	-	496	-	11837	1667	419	100	137	33	556	133	66
	11-20	5831	3051	-	3051	8882	-	496	-	9797	1667	343	82	109	26	452	109	57
	21-30	5401	2814	6	2820	8220	-	496	-	8901	1666	300	72	102	25	402	97	53
दिसम्बर	01-10	5054	2268	-	2268	7312	100	496	-	10076	1665	338	81	105	25	443	106	42
	11-20	4495	2148	-	2148	6643	100	496	-	12831	1661	440	106	129	31	568	136	40
	21-31	4309	1986	-	1986	6295	100	496	-	16092	1655	560	134	150	36	710	170	36

जनवरी 2019	01-10	4199	1814	-	1814	6014	200	496	-	14378	1651	493	118	152	36	645	155	32
	11-20	4009	1793	-	1793	5802	200	496	-	15846	1645	547	131	151	36	698	168	32
	21-31	4266	1803	-	1803	6068	200	496	-	17125	1638	579	139	150	36	729	175	33
फरवरी	01-10	5959	2032	-	2032	7991	400	496	-	13842	1635	461	111	141	34	602	145	39
	11-20	5541	2724	-	2724	8265	400	496	-	12166	1632	399	96	139	33	539	129	52
	21-28	6529	4820	-	4820	11349	400	496	-	14795	1631	493	118	148	36	641	154	89
मार्च	01-10	5755	3167	-	3167	8922	200	496	-	15337	1627	506	121	124	30	630	151	62
	11-20	4807	3106	-	3106	7913	200	496	-	17616	1620	574	138	147	35	722	173	60
	21-31	5496	4786	-	4786	10282	200	496	-	17029	1616	547	131	146	35	693	166	91

दिनांक 1.4.2018 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए पौंग जलाशय के परिचालन हेतु वास्तविक जल विद्युत आंकड़े

माह	अवधि	पौंग में अंतर्वाह (क्यूसेक)	पौंग एवं मंडी प्लेन के बीच लाभ अथवा हानि (क्यूसेक)	रावी से ब्यास को शुद्ध प्रत्यावर्तन (क्यूसेक)	पौंग जलाशय से रिलीजेज (क्यूसेक)	अंतिम जलाशय स्तर (फीट)	पौंग से उत्पादन एम डब्ल्यू एलयू	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
31.03.2017 को आरंभिक जलाशय = 1301.51 फीट								
अप्रैल 2018	01-10	1619	-	1530	1236	1293	19	4
	11-20	1941	-	1837	1277	1294	20	5
	21-30	1413	-	960	1656	1293	25	6
मई	01-10	1495	-500	2846	4610	1291	69	17
	11-20	1966	-500	3915	4146	1289	61	15
	21-31	1218	-500	3473	4505	1286	65	16
जून	01-10	3794	-500	2795	3338	1287	48	11
	11-20	3571	-500	1769	6458	1283	92	22
	21-30	5592	-500	1708	6687	1283	92	22
जुलाई	01-10	9365	1125	2708	9228	1282	129	31
	11-20	16235	1125	1943	9218	1290	129	31
	21-31	35324	1125	2834	8780	1311	135	32
अगस्त	01-10	43265	1125	1642	5971	1332	102	25
	11-20	60985	1125	478	4686	1358	88	21
	21-31	41889	1125	2247	6960	1372	140	34
सितम्बर	01-10	24098	1125	2732	12006	1376	244	59
	11-20	14629	1125	3140	11253	1377	233	56
	21-30	57708	1125	2983	11179	1393	239	57
अक्टूबर	01-10	8985	750	4505	13498	1391	293	70
	11-20	5363	750	3400	13980	1388	301	72
	21-31	4100	750	4216	13106	1385	280	67
नवम्बर	01-10	2624	375	4526	11251	1382	237	57
	11-20	2848	375	4466	10243	1379	214	51
	21-30	3093	375	2873	12804	1376	266	64
दिसम्बर	01-10	2491	375	3278	12921	1372	265	64
	11-20	2120	375	2869	13808	1367	279	67
	21-31	2402	375	2399	14130	1363	280	67
जनवरी	01-10	2368	375	2945	12459	1359	243	58
	11-20	2600	375	1886	13032	1354	250	60

2019	21-31	4497	375	928	12473	1351	236	57
फरवरी	01-10	7292	375	634	12475	1349	232	56
	11-20	6659	375	606	13106	1346	243	58
	21-28	9324	375	668	12420	1344	229	55
मार्च	01-10	5159	375	4337	10914	1342	200	48
	11-20	4342	375	5211	10832	1339	196	47
	21-31	3822	375	4971	3086	1340	55	13

## 8.1 वर्ष 2017-18 के अंतर्गत 31.03.2019 तक बीबीएमबी द्वारा जीते गए पुरस्कार:

### 1. व्यावसायिक पुरस्कार

- आईपीपीएआई द्वारा बीबीएमबी को उत्कृष्ट जल विद्युत उत्पादक के रूप में विजेता चुना गया । 24 नवम्बर, 2018 को कर्नाटक के बेलगुंडी में पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया ।
- बीबीएमबी को सीबीआईपी पुरस्कार 2019 के लिए “सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षित परियोजना (10 से अधिक वर्षों से पूरी तरह से पूर्ण और क्रियाशील)” श्रेणी में पुरस्कृत किया गया ।

बीबीएमबी को सीबीआईपी पुरस्कार 2019 के लिए ‘जल विद्युत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली इकाई की श्रेणी में भी पुरस्कृत किया गया ।

### 2. हिन्दी पुरस्कार

- भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा भाखड़ा बांध प्रशासन को ‘ख’ क्षेत्र में हिन्दी में अधिक तय कार्य करने के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।
- राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए बोर्ड/स्वायत्त निकायों की श्रेणी में ‘ख’ क्षेत्र में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के अंतर्गत भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया । यह पुरस्कार 14 सितम्बर, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में भारत सरकार के उप राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया ।
- अधीनस्थ कार्यालयों की श्रेणी में ‘ख’ क्षेत्र में राजभाषा को क्रियान्वित करने के लिए बीबीएमबी ने प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार जीत कर इतिहास रचा है। यह पुरस्कार मुख्य अभियंता, भाखड़ा बांध, नंगल, मुख्य अभियंता, पारेषण प्रणाली, चण्डीगढ़ तथा मुख्य अभियंता, प्रणाली परिचालन, चण्डीगढ़ द्वारा जीते गए।

यह पुरस्कार भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने दिनांक 19.11.2018 को चण्डीगढ़ में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में प्रदान किए।

### 3. चित्रकला प्रतियोगिता पुरस्कार

वर्ष 2018 के लिए हरियाणा तथा यूटी चण्डीगढ़ के स्कूली छात्रों की ऊर्जा संरक्षण पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा लेने हेतु उच्चतम प्रतिशतता हासिल करने के लिए बीबीएमबी को “उत्कृष्ट राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी श्रेणी” तथा “उत्कृष्ट यूटी स्तरीय नोडल अधिकारी श्रेणी” के दो राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्रदान किए गए । यह पुरस्कार 14 सितम्बर, 2018 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नई और नवीकरणीय ऊर्जा श्री आर.के सिंह की उपस्थिति में लोक सभा स्पीकर आदरणीय श्रीमति सुमित्रा महाजन द्वारा प्रदान किए गए ।

## 8.2 खेल पुरस्कार

उपरोक्त श्रेणियों के अतिरिक्त, बीबीएमबी ने खेल के क्षेत्र में समान रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और निम्नलिखित पुरस्कार जीते:

- मालथॉन टाऊनशिप, धनबाद में दामोदर घाटी कार्पोरेशन द्वारा आयोजित बालीवाल प्रतियोगिता जीती ।
- हैदराबाद में पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता जीती ।
- नंगल टाउनशिप में बीबीएमबी द्वारा आयोजित पुरुष एवं महिला एथलेटिक प्रतियोगिता जीती .
- दिल्ली में केन्द्रीय खेल नियंत्रण बोर्ड की बैठक में बीबीएमबी को एथलेटिक प्रतियोगिता करवाने के लिए सर्वश्रेष्ठ आयोजक का पुरस्कार प्रदान किया गया ।
- 19 से 21 सितम्बर, 2018 को बैंगलोर में आयोजित इंटर सेंट्रल पावर सेक्टर अंडरटेकिंग ब्रिज प्रतियोगिता में बीबीएमबी ब्रिज टीम ने व्यक्तिगत श्रेणी में कांस्य पदक प्राप्त किया ।
- इंटर पावर सेक्टर अंडरटेकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता में बीबीएमबी की पुरुष टीम को प्रथम स्थान मिला । यह प्रतियोगिता 28 से 30 नवम्बर, 2018 को चेन्नई में हुई ।
- 19 से 21 दिसम्बर, 2018 को ऋषिकेश में आयोजित इंटर सेंट्रल पावर सेक्टर अंडरटेकिंग बालीवाल प्रतियोगिता में बीबीएमबी ने स्वर्ण पदक जीता ।
- 09.02.2019 को गुरुग्राम में आयोजित सीपीएसयू क्रिकेट प्रतियोगिता में बीबीएमबी उप विजेता रहा ।

## 9.1 पर्यावरण प्रबन्ध

नदी घाटी परियोजनाओं का पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रशासनिक आवश्यकता के रूप में 1979 में आरम्भ किया गया था, परन्तु बाद में प्रभाव आकलन की अधिसूचना द्वारा इसे जनवरी, 1994 से अनिवार्य कर दिया गया। जल-विद्युत शक्ति, मुख्य सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण सहित उनके समिश्रण के लिए नई नदी घाटी परियोजनाओं के लिए गजट अधिसूचना संख्या एस.ओ. 60(ई) दिनांक 27 जनवरी, 1994 (तदनन्तर संशोधित) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। इसमें सुरक्षा तथा न्यूनीकरण दोनों उपाय कवर किए गए हैं। नदी घाटी परियोजनाओं के लिए वर्तमान पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए)/पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना (ईएमपी) में निम्नलिखित कार्रवाई योजनाएं आती हैं:-

- आवाह-क्षेत्र निरूपण योजना (सीएटी)
- वृक्षारोपण योजना
- पेड़-पौधे तथा जीव-जन्तु का सर्वेक्षण और पुनर्स्थापन के लिए कार्रवाई योजना
- पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना योजना (आर एण्ड आर), यदि कोई है;
- नियंत्रण क्षेत्र विकास योजना (सीएडी)

भाखड़ा तथा ब्यास परियोजनाओं के सम्बन्ध में आर एण्ड आर योजनाओं का प्रावधान था किन्तु सीएटी, सीएडी, वनीकरण योजनाओं, आदि जैसी अन्य योजनाओं के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था क्योंकि इन परियोजनाओं का निर्माण 1979 से पहले हुआ था। तथापि बीबीएमबी ने निर्माण के बाद की पर्यावरणीय घटकों की स्थिति तथा इनके प्रभाव का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना भी आरम्भ किया है ताकि अल्पावधि एवं दीर्घावधि न्यूनीकरण उपाय किए जा सकें।

## 9.2 बीबीएमबी में परियोजनाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

योजना स्तर पर विचार किए गए प्रभावों की तुलना में भाखड़ा एवं ब्यास परियोजनाओं के लाभकारी प्रभाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। भाखड़ा तथा ब्यास परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं होने के कारण इनमें दो बड़े भण्डारण जलाशय हैं, जिनके नाम 'गोबिंदसागर' तथा 'महाराणा प्रताप सागर' हैं। ये जलाशय पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली तथा चण्डीगढ़ को सिंचाई एवं पीने का पानी उपलब्ध कराते हैं। ये जलाशय तथा इनसे जुड़ी नहर प्रणाली उत्तरी क्षेत्र में 'हरित क्रांति' ही नहीं अपितु 'श्वेत तथा औद्योगिक क्रांति' भी लाई है।



बीबीएमबी की परियोजनाओं से रोजगार के अवसरों में वृद्धि, अच्छी ऊर्जा और सिंचाई सुविधाएँ, उन्नत औद्योगीकरण, बाढ़ों की रोकथाम के कारण बाढ़ों के डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय सुधार द्वारा क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक उन्नति हुई है।

इसके अतिरिक्त, ये जलाशय न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, बल्कि मत्स्य पालन को भी बढ़ावा देते हैं।

पौंग बांध झील (अर्थात महाराणा प्रताप सागर) को वेटलैंड पर 1971 के रामसर सम्मेलन के अंतर्गत अगस्त 2002 में “अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड” की सूची में शामिल किया गया है। प्रवासी पक्षियों की 220 प्रजातियाँ एक लाख से अधिक संख्या में प्रत्येक वर्ष महाराणा प्रताप सागर का भ्रमण करती हैं। नंगल झील को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2008 में राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

बीबीएमबी ने माह, अगस्त 2005 में नई दिल्ली में, "भाखड़ा नंगल परियोजना के प्रभाव" विषय पर केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड के सहयोग से एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कराया। बीबीएमबी ने इस कार्यशाला के माध्यम से भाखड़ा-नंगल परियोजना के सकारात्मक प्रभावों से संबंधित तथ्यों को राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया।

### 9.3 बीबीएमबी के लिए पर्यावरण प्रबन्ध कार्यक्रम

बीबीएमबी के लिए पर्यावरण प्रबन्ध योजना के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए:-

- 1999 में नीरी, नागपुर से बीबीएमबी की बीएसएल लिंक परियोजना सुन्दरनगर के संतोलक जलाशय की गाद के सही प्रबन्धन के लिए ईआईए अध्ययन करवाया गया। इनकी सिफारिशों के अनुसार पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचने के लिए गाद केवल मॉनसून के दौरान ही निकाली जा रही है।
- विशेषज्ञ समिति की अन्तिम रिपोर्ट माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की गई है जिसमें यह निष्कर्ष दिया गया है कि बीएसएल परियोजना पर, गाद के प्रबन्ध हेतु केवल मॉनसून के दौरान ड्रेजिंग की जाएगी। माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला के निर्णय के पश्चात् मामला 211वीं बैठक में बोर्ड के समक्ष रखा गया था और बोर्ड की स्वीकृति के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 14.12.2012 के अंतरिम आदेश में हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कोई कठोर कदम न उठाने का निर्देश दिया है। तत्पश्चात् मामले पर 21.01.2013 को सुनवाई हुई। माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में राहत देते हुए निर्देश दिया

है कि दिनांक 14.12.2012 के आदेश के अन्तर्गत जारी अंतरिम राहत आदेश लागू रहेंगे।

- संतोलक जलाशय से अधिकतम गाद को बाहर ड्रेज करने हेतु मॉनसून मौसम के दौरान लचीली और विश्वसनीय ड्रेजिंग क्षमता सुनिश्चित करने हेतु 3 नं. ड्रेजर लगाए गए।
- मॉनसून के दौरान सुकेती खड्ड एवं कांसा खड्ड और ब्यास नदी के विभिन्न स्थलों पर निकलने वाले फ्लो डिस्चार्ज और कुल सस्पेन्डिड सॉलिड के मापन का प्रेक्षण किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष गाद के अध्ययन हेतु, यदि कोई है तो, मॉनसून के पहले और बाद में सुकेती खड्ड के साथ-साथ एल-सेक्शन और क्रॉस-सेक्शन भी प्रेक्षित किए जा रहे हैं।
- बीएसएल परियोजना के लिए पण्डोह बांध के अप-स्ट्रीम से लारजी बांध तक ब्यास नदी एवं इसकी सहयोगी उप नदियों हेतु हिमालयन वन शोध संस्थान से कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान (सीएटी) तैयार करवाई गई है।
- भाखड़ा और ब्यास कैचमेंट में बहुत सी नई जल विद्युत परियोजनाएं आ रही हैं और सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा अपनी सीएटी योजनाएं तैयार की जानी हैं।
- अन्य न्यूनीकरण उपाय, जैसे व्यवस्थित ढंग से मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा, गाद प्रभावित कृषि भूमि पर एक मुश्त खेती प्रबन्ध, गांव की सड़कों की टैरिंग इत्यादि।
- इसके सुरक्षित एवं वैज्ञानिक तरीके से निपटान हेतु परियोजना क्षेत्रों के चारों तरफ सॉलिड मैनेजमेंट प्लान तैयार करना।
- बीबीएमबी, अपनी हाइड्रो परियोजनाओं और विद्युत उत्पादन यूनिटों के पर्यावरण प्रबन्ध प्रणाली हेतु आईएसओ 14001:2004 प्रमाणित संगठन है।
- भाखड़ा और पौंग बांधों के आर एंड आर पहलुओं को पूरा किया जा रहा है।

#### 9.4 पंडोह बांध से 15% न्यूनतम बहाव जारी करना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 16.07.2005 तथा 09.09.2005 की अधिसूचनाओं द्वारा हिमाचल प्रदेश में विद्यमान एवं आने वाली जल विद्युत परियोजनाओं की डाइवर्जन संरचनाओं के डाउनस्ट्रीम में 15% तक न्यूनतम बहाव तुरन्त छोड़ने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए हैं। बीबीएमबी का पण्डोह बांध डाइवर्जन बांध होने के कारण इस अधिसूचना की परिधि के अन्तर्गत आता है। सितम्बर, 2005 से बीबीएमबी पण्डोह बांध से 15% का न्यूनतम बहाव छोड़ता रहा है। तथापि, बीबीएमबी ने पुरानी परियोजनाएं

होने के कारण बीबीएमबी परियोजनाओं पर इसके लागू होने के संबंध में छूट देने का मामला विद्युत मंत्रालय के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) के साथ भी उठाया है।

### 9.5 वृक्षारोपण

बीबीएमबी अपनी खाली पड़ी भूमि पर प्रत्येक वर्ष नियमित वृक्षारोपण कार्यक्रम द्वारा उद्यानों, टीलों, जलाशयों के सीमावर्ती क्षेत्रों, परियोजना कॉलोणियों, कार्यालयों आदि के रख-रखाव और पारिस्थितिक सुधार द्वारा पर्यावरण में सुधार करता रहा है। वर्ष 2019-20 के दौरान जलाशय की परियोजना तथा आसपास को क्षेत्र में 06 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया।

### 9.6 तलवाड़ा में रॉक गार्डन

तलवाड़ा टाउनशिप में लगभग 20 एकड़ खाली पड़ी जमीन पर बीबीएमबी ने “चण्डीगढ़ रॉक गार्डन” के संस्थापक पद्मश्री नेक चन्द के प्रबन्ध अधीन एक आधुनिक रॉक गार्डन विकसित किया है जो इस प्रकार का पहला उद्यान है। तलवाड़ा में रॉक गार्डन का विकास, ब्यास बांध से एकत्रित बेकार और फालतू सामग्री से किया गया है। इसमें बांध निर्माण को चित्रित करते हुए इंजीनियरिंग खण्ड, पर्यावरण खण्ड और बाल उद्यान जैसी अद्वितीय विशेषताएं हैं। इस आधुनिक रॉक गार्डन का उदघाटन पद्मश्री नेक चन्द की उपस्थिति में, अध्यक्ष, बीबीएमबी, चण्डीगढ़ द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2005 को किया गया। इस गौरवशाली गार्डन में प्रतिवर्ष नए विकास कार्य किए जा रहे हैं।

### 9.7 समाज कल्याण गतिविधियाँ

बीबीएमबी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति अत्यधिक जागरूक है। प्रत्येक परियोजना स्थल पर बीबीएमबी परियोजना स्थल के आसपास रहने वाले लोगों के लिए समाज कल्याण गतिविधियों पर उदारता से खर्च कर रहा है। वर्ष के दौरान बीबीएमबी अस्पतालों द्वारा परियोजना स्थल के आसपास रहने वाले लोगों के लिए विशेष बाहरी एवं आंतरिक चिकित्सा सुविधाएं तथा एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई गईं। रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, निःशुल्क चिकित्सा शिविरों के आयोजन द्वारा ग्रामीणों को घर बैठे ही चिकित्सा सहायता एवं दवाएं उपलब्ध करवाई गईं। यह भी निर्णय लिया गया कि बीबीएमबी परियोजनाओं के आस-पास विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों/उपायुक्तों के परामर्श से बीबीएमबी द्वारा विभिन्न समाज कल्याण कार्यकलापों के लिए वार्षिक सिंचाई कार्य के बजट के 2% की दर से प्रावधान किया जाए।

## 10.1 मानव संसाधन विकास

### 10.1.1 बीबीएमबी की प्रशिक्षण नीति

क बीबीएमबी ने विद्युत मंत्रालय की “विद्युत क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण नीति-मार्च 2002” की तर्ज पर वर्ष 2003 में अपनी प्रशिक्षण नीति तैयार की और अपने कार्मिकों को व्यापक एवं नियमित प्रशिक्षण देने के लिए इसे वर्ष 2003-04 और इससे आगे कार्यान्वित किया। विद्यमान नीति की समीक्षा करने और द्विवर्षीय प्रशिक्षण योजना तैयार करने के लिए, बीबीएमबी में सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यों का मार्गदर्शन करने हेतु अक्टूबर, 2007 में वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के नेतृत्व में एक स्थाई कोर ग्रुप का गठन किया। विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/सेमिनारों/संगोष्ठी इत्यादि के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों के नामांकन हेतु कार्य प्रक्रिया तैयार की गई है, जो दिनांक 9.6.2015 से लागू है और समय-समय पर जरूरत के अनुसार संशोधित की जा रही है।

ख बीबीएमबी की प्रशिक्षण नीति का आदर्श वाक्य था “प्रत्येक कर्मचारी के लिए वर्ष में एक बार सभी के लिए प्रशिक्षण सुनिश्चित करना”। नीति के आधार पर अन्य वर्ग I, II एवं III सहित कनिष्ठ अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता स्तर के लिए 07 कार्य दिवसों के प्रशिक्षण का लक्ष्य है। वर्ग 3 तथा 4 के प्रशिक्षण के मानव दिवस स्तर को पूरा करने का प्रस्ताव है। मानवशक्ति के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन वित्तीय वर्ष की शुरुआत में किया जाता है और विभिन्न शीर्षों जैसे संस्थागत प्रशिक्षण, इन-हाउस प्रशिक्षण, आदि के अंतर्गत ‘परिलक्षित होती है तथा “प्रशिक्षण दिए जाने वाले कार्य दिवस” तैयार किए जाते हैं। तदनुसार संबंधित मुखियों द्वारा वार्षिक इन-हाउस प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया जाता है। तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विभिन्न परियोजना स्थलों पर आयोजित किया जाता है तथा प्रशिक्षण उपलब्धियों की निगरानी की जाती है। वर्ष 2018-19 हेतु संस्थागत प्रशिक्षण कैलेंडर में विभिन्न प्रकार के जैसे तकनीकी प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास, आई टी एवं कम्प्यूटर स्किल, जीवन शैली प्रबंधन, मानव संसाधन तथा वित्त, प्राथमिक उपचार सहित अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण, विविध मॉड्यूल के प्रशिक्षण सम्मिलित किए गए थे।

ग अपनी प्रचलित प्रशिक्षण नीति की समीक्षा करने के बाद, चूंकि सेवानिवृत्तियों द्वारा हुई रिक्तियों को भरने के लिए भागीदार राज्यों से आ रहे नए स्टाफ को केन्द्रित तथा व्यापक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता महसूस की गई। कर्मचारियों के विभिन्न विभागों और विभिन्न कार्य संस्कृति के होने के कारण उन्हें प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बीबीएमबी की जरूरतों तथा कार्य संस्कृति के अनुसार प्रशिक्षित करना अनिवार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त, स्टाफ के उनके मूल विभाग से बार-बार स्थानांतरण/विभाग को प्रत्यावर्तन के कारण यह भी अनिवार्य हो जाता है कि नियमित

आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि सभी नवागंतुकों को बीबीएमबी की कार्य अपेक्षाओं एवं संस्कृति की जानकारी दी जा सके। अतः यह आवश्यक है कि सभी श्रेणियों के कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाए ताकि उनकी तकनीकी/प्रबंधकीय कुशलता में सुधार हो और उन्हें नवीनतम जानकारी एवं अभिनव प्रौद्योगिकियों से लैस किया जा सके।

घ बीबीएमबी द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण निम्नानुसार है:-

- i. संस्थागत प्रशिक्षण जिसमें बीबीएमबी के विभिन्न केन्द्रों पर स्थित भिन्न-भिन्न संस्थानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनारों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भाग लेने हेतु कर्मिकों को नामित किया जाता है अथवा बीबीएमबी कर्मिकों के लिए बाह्य विशेषज्ञों/शिक्षा संकायों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं।
- ii. बीबीएमबी के अपने विशेषज्ञों द्वारा इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम
- iii. नई भर्ती द्वारा अथवा भागीदार राज्यों से बीबीएमबी में कार्य ग्रहण करने वाले कर्मिकों को प्रवेश प्रशिक्षण
- iv. विद्युत यूटिलिटीज़/भागीदार राज्यों के डिस्कॉम के वितरण सुधारों पर डीआरयूएम प्रशिक्षण
- v. दूसरे संगठनों के इंजीनियरों जैसे; हरियाणा सिंचाई से एचसीएस परिवीक्षार्थी, एनपीटीआई, पीएसपीसीएल इत्यादि को ऑन-जॉब साइट प्रशिक्षण ।
- vi. भारत के विभिन्न इंजीनियरी कोर्सिज़ के अंडर-ग्रेजुएट/स्नातकोत्तर छात्रों का व्यावहारिक प्रशिक्षण/प्रशिक्षण दौरा।

बीबीएमबी में उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों यथा इंजीनियरों, अनुसचिवीय स्टाफ, अधीक्षक/सहायकों, आदि (गैर-तकनीकी श्रेणी) और कामगार श्रेणी को प्रशिक्षण देने के लिए संचालित किए जा रहे हैं।

कामगार श्रेणी/अनुसचिवीय स्टाफ श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए संस्थागत प्रशिक्षण सस्ता नहीं पड़ता है इसलिए प्रबन्धन ने सभी परियोजना केन्द्रों/कार्य स्थलों पर गहन इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का निर्णय लिया है। सभी परियोजना केन्द्रों/कार्य स्थलों पर तकनीकी प्रबंधन, प्रेरणा, स्वास्थ्य, वित्त, आदि जैसे विविध विषयों पर बड़े पैमाने पर पारस्परिक कार्यशालाएं/सेमिनार आदि आयोजित किए जा रहे हैं।

बीबीएमबी ने अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपना मूलढांचा तैयार किया है। वर्ष 2003 में एसएलडीसी कॉम्प्लैक्स, चण्डीगढ़ में इन हाउस व्याख्यान/कार्यशालाएं/सेमिनारों के आयोजन हेतु व्याख्यान कक्ष स्थापित किया गया है। मार्च, 2005 से नंगल में, प्रशिक्षण केन्द्र के नाम से "भाखड़ा ब्यास प्रशिक्षण केन्द्र" काम

कर रहा है जिसमें, अध्ययन के सभी नवीनतम साधन, सिंचाई एवं विद्युत खण्डों के लिए दो भिन्न मॉडल-कक्ष और बीबीएमबी एवं अन्य विद्युत यूटिलिटीज के विद्युत क्षेत्र के इंजीनियरों एवं टेक्निशियनों को संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक परिचर्चा कक्ष मौजूद है।

इस केन्द्र पर वर्ष 2005-06 से वितरण सुधार, उन्नयन एवं प्रबन्धन (डीआरयूएम) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है और प्रत्येक माह "डीआरयूएम" पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिसमें भागीदार राज्यों/विद्युत यूटिलिटीज के इंजीनियर भी भाग लेते हैं। वर्ष 2018-2019 से बीबीएमबी बिना लाभ-हानि स्वपोषित आधार पर लगातार डीआरयूएम प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहा है ।

बीबीएमबी विद्यालयों के शिक्षण स्टाफ को सीबीएसई द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए नामित किया जाता है ताकि उन्हें शिक्षा प्रणाली में नई तकनीक के साथ अपडेट किया जा सके ।

### 10.1.2 वर्ष 2017-18 के दौरान प्रशिक्षण की उपलब्धियां

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में बीबीएमबी में प्रयुक्त मानव-दिवसों के संबंध में उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

#### प्रशिक्षित मानव दिवस

वर्ष	मानव दिवस का लक्ष्य	प्रशिक्षित मानव दिवस				
		कार्यपालक		अकार्यपालक		योग
		संस्थागत प्रशिक्षण	इन-हाउस प्रशिक्षण	संस्थागत प्रशिक्षण	इन-हाउस प्रशिक्षण	
2017-18	16000	1822	2174	352	13497	17845
2018-19	16000	2299	2136	811	13113	18359

### 10.2 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

बीबीएमबी, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 79(1) में निर्धारित अपने कार्यों का निर्वहन करता है जिसके लिए कार्यों के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु भागीदार राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा स्थानान्तरण आधार पर स्टाफ की व्यवस्था की जाती है। तथापि भागीदार राज्यों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा स्टाफ उपलब्ध कराने में असमर्थ होने की स्थिति में बीबीएमबी केवल समूह 'ग' एवं 'घ' के कर्मचारियों से सम्बन्धित सीधी भर्ती एवं पदोन्नति करता है।

बीबीएमबी में स्टाफ पदों के आबंटित हिस्से के अनुसार भागीदार राज्यों से लिया जात है। ऐसे कर्मचारियों को उनके मूल विभाग से बोर्ड को स्थानांतरित माना जाता है और उनके मूल विभाग में उनके लिए लागू निबंधन एवं शर्तों द्वारा वे शासित होते हैं। इस श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के लिए आरक्षण की निगरानी राज्य सरकार के मूल विभाग द्वारा अपनी नीतियों/नियमों/विनियमों के अनुसार की जाती है। बीबीएमबी में अपने भर्ती किए गए कर्मचारी बीबीएमबी श्रेणी-III एवं IV कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) विनियम, 1994 और बीबीएमबी श्रेणी-I एवं II अधिकारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) विनियम, 2015 द्वारा शासित होते हैं। बीबीएमबी श्रेणी-III एवं IV कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) विनियम, 1994 और बीबीएमबी श्रेणी-I एवं II अधिकारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत बीबीएमबी में अप्रैल, 2017 से बीबीएमबी में केन्द्र सरकार की आरक्षण नीति लागू थी। अब भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार मई, 2017 से बीबीएमबी में केन्द्र सरकार की आरक्षण नीति का अनुसरण किया जा रहा है। इन विनियमों की संशोधित धारा II में निर्दिष्ट है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों तथा सेवा में मृतक कर्मचारी के आश्रितों को केन्द्र सरकार की नीति के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर यथानिर्धारित सेवा में आरक्षण तथा सभी अन्य रियायतें प्राप्त होगी। बीबीएमबी के संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा रोस्टर रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाता है।

01.01.2019 को बीबीएमबी के श्रेणी 'ग' और 'घ' के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की विद्यमान संख्या/प्रतिशतता निम्नानुसार है:-

श्रेणी	बीबीएमबी द्वारा स्वयं भर्ती किए गए कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति	प्रतिशतता
क	80	18	22.5%
ख	464	99	21.3%
ग	2328	626	26.80%
घ	2484	796	32.04%
योग	5356	1539	28.73%

अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए सामान्य कल्याण के उपाय करने हेतु सभी कार्यालयों को निर्देश दिये गए हैं कि डॉ.बी.आर.अम्बेदकर, महर्षि वाल्मीकि जी और गुरु रवि दास जी के जन्म दिवस के अवसर पर यदि अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा मांग की जाए तो निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं:-

- i) 1 रूपया प्रति कि.मी. के टोकन शुल्क पर शोभा यात्रा के लिए बस सुविधाएं।
- ii) उपरोक्त अवसरों पर समारोह हेतु निःशुल्क सभा भवन।

बीबीएमबी के सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि समस्त संगठन प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी , विशेषकर डॉ.बी.आर.अम्बेदकर जयन्ती, महर्षि वाल्मीकि जी जयन्ती आदि के अवसर पर अपने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों/स्टाफ से मुलाकात किया करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त, बीबीएमबी ने सभी चयन समितियों में अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता/वरिष्ठ कार्यकारी अभियन्ता के स्तर का अनुसूचित जाति का एक सदस्य नामित करके अनुसूचित जाति के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया है।

### 10.3 प्रबंधन-कर्मचारी संबंध

स्टाफ/यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ प्रबंधन की बैठकों का समय-समय पर आयोजन किया जाता है और यूनियनों द्वारा उठाई गई मांगों और उनकी शिकायतों का मित्र भाव से निपटारा किया जाता है।

### 10.4 सतर्कता संगठन की ध्येय : सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड के सतर्कता संगठन में एक अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) है और मुख्य सतर्कता अधिकारी के अधीन सतर्कता कार्य के लिए छः सतर्कता अधिकारी एक उप निदेशक, तीन सहायक निदेशक, एक लेखा अधिकारी, नियुक्त किए गए हैं। कोई भी शिकायत (शिकायतें) मिलने पर सतर्कता अधिकारी द्वारा जांच की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

बीबीएमबी में सतर्कता संगठन, सुरक्षात्मक सतर्कता के उपाय के रूप में बीबीएमबी के सभी कर्मचारियों के मन में निम्नलिखित बातें बैठाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है:-

- (i) मामलों में किसी की भी ओर से देरी की प्रवृत्ति की जांच और नियन्त्रण करना।
- (ii) आदेशों के गुण दोषों का उल्लेख करते हुए फाइलों पर स्व-स्पष्ट आदेश स्पष्ट शब्दों में रिकार्ड करना।
- (iii) ताकत के बल पर लिए गए निर्णयों से दूर रहना।
- (iv) किसी सहयोगी, वरिष्ठ अथवा अधीनस्थ द्वारा दिए गए किसी भी ऐसे सुझाव को हमेशा ग्रहण करना जिसके परिणामस्वरूप राजकोष में बचत हो।



- (v) सत्यनिष्ठा की सुरक्षा हेतु दृढ़ प्रतिज्ञा रहना चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।
- (vi) संवेदनशील स्थानों की पहचान तथा केन्द्रित करना, ऐसे संस्थानों की नियमित तथा औचक जाँच/निरीक्षण करना ।
- (vii) भ्रष्टाचार के संदिग्ध कार्मिकों की पहचान, पब्लिक डीलिंग, स्थापना तथा परचेज संबंधित कार्य में संलिप्त, संवेदनशील पदों पर तैनात कार्मिकों की उचित छटनी तथा सीवीसी दिशा-निर्देशों के अनुरूप उनकी प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात रोटेशन करना।
- (viii) भ्रष्टाचार के पनपने वाले सभी स्थानों पर नज़र रखना।
- (ix) स्वयं तुष्टिकरण के कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों का निर्भयता से विरोध करना।
- (x) सादा जीवन व्यतीत करना और ईमानदारी के कार्य करने में गर्व अनुभव करना।
- (xi) नियमों, प्रक्रियाओं, हिदायतों, नियम-पुस्तिकाओं आदि का सावधानीपूर्वक अनुसरण करना।
- (xii) नियमों में कोई अस्पष्टता होने की स्थिति में अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से अतार्किक एवं विवादास्पद निष्कर्ष निकालने से बचना।
- (xiii) ईमानदार सूची तथा संदिग्ध अखंडता की सूची तैयार की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि संदिग्ध अखंडता वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को संवेदनशील पदों पर तैनात नहीं किया जाए।
- (xiv) मूल राज्यों/राज्य बिजली बोर्डों से जाँच और निर्णय प्राप्त करने के लिए उन पर अनुवर्ती कार्रवाई शीघ्र पूरी करना।
- (xv) जहां कहीं बीबीएमबी स्वयं कार्रवाई करने में सक्षम हो, बिना किसी देरी के अनुशासनात्मक कार्रवाई का क्रियान्वयन करना।
- (xvi) बीबीएमबी में प्रणाली सुधार हेतु कई परामर्श जारी किए गए ।
- (xvii) बीबीएमबी में सतर्कता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सतर्कता संबंधी उपाय परिपत्र करने के साथ-साथ बीबीएमबी में समय-समय पर कार्य प्रणाली के सुधार के लिए कार्य किए जाते हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान (01.04.2018 से 31.03.2019 तक) 20 शिकायतें प्राप्त हुईं । 15 नं० शिकायतों का निपटान किया गया एवं 5 शिकायतों की जांच जारी की गई ।

उपरोक्त के अतिरिक्त, दिनांक 29.10.2018 से 03.11.2018 तक बीबीएमबी कार्यालय चण्डीगढ़ के साथ-साथ परियोजना स्थलों पर भी सतर्कता जागरूकता

सप्ताह-2018 मनाया गया। एक परस्पर संवादात्मक सत्र “भ्रष्टाचार मिटाओ नया भारत बनाओ” का आयोजन दिनांक 01.11.2018 को चण्डीगढ़ तथा नंगल में आयोजित किया गया ।

### 10.5 बीबीएमबी में संघ की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड में अधिकारियों की नियुक्ति मुख्यतः इसके भागीदार राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से स्थानान्तरण आधार पर की जाती है। इनमें से 60% स्टाफ पंजाब राज्य/पंजाब राज्य पावर निगम लिमिटेड से है, जिनकी मातृ-भाषा पंजाबी है और जो अपना समस्त सरकारी काम-काज मुख्यतः पंजाबी अथवा अंग्रेजी में ही करते हैं। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत बीबीएमबी में भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन अत्यन्त कठिन कार्य रहा है। एक समय था बोर्ड में केवल 4-5% कार्य ही हिंदी में किया जाता था। उच्च अधिकारियों की वचनबद्धता और विशेषज्ञ मार्गदर्शन के कारण बोर्ड के सरकारी कार्य में हिन्दी का प्रयोग तीव्र गति से बढ़ा है।

राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। बोर्ड द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हर संभव प्रयास किए गए हैं और निर्धारित लक्ष्य की तुलना में बोर्ड द्वारा अर्जित हिन्दी प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

#### राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत बोर्ड सचिवालय तथा सम्पूर्ण बोर्ड द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान जारी किए गए कागजातों का विवरण निम्नलिखित है:-

	धारा 3 (3) के अन्तर्गत जारी कुल कागजात	केवल अंग्रेजी में जारी कागजात
बोर्ड सचिवालय	408	शून्य
सम्पूर्ण बोर्ड	5015	शून्य

#### हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर

बोर्ड सचिवालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर की स्थिति निम्नलिखित है-

	हिंदी में प्राप्त कुल पत्र	हिंदी में उत्तर	अंग्रेजी में उत्तर
बोर्ड सचिवालय	16,652	11,267	शून्य
सम्पूर्ण बोर्ड	5,00,058	4,03,128	शून्य

नोट : शेष पत्र फाइल किए गए।

## हिंदी में पत्राचार

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के लिए बीबीएमबी के अधिकारियों/कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों के दौरान बोर्ड सचिवालय एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा हिंदी में भेजे गए पत्रों में अत्यधिक वृद्धि हुई है और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड सचिवालय द्वारा औसतन 98% तथा सम्पूर्ण बोर्ड द्वारा 92% पत्र हिंदी में भेजे गए हैं, जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

	कुल पत्र	हिंदी में भेजे गए	अंग्रेजी में भेजे गए
बोर्ड सचिवालय	42,723	41,950	733
सम्पूर्ण बोर्ड	7,99,624	7,38,562	61,062

## हिंदी में टिप्पणी

लगभग 91% टिप्पणियां हिंदी में लिखी जाती हैं।

## हिंदी में श्रुतलेख

अधिकारियों द्वारा 75% श्रुतलेख हिंदी में दिए गए।

## हिंदी टंककों/आशुलिपिकों की भर्ती

बीबीएमबी में केवल हिंदी/द्विभाषी टंककों/आशुलिपिकों की ही भर्ती की जाती है।

## पुस्तकालय के लिए हिंदी पुस्तकों की खरीद

वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड सचिवालय के पुस्तकालय के लिए खरीदी गई हिंदी पुस्तकों पर खर्च की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:

पुस्तकों की खरीद पर कुल व्यय	हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय
रु 55,332/-	रु 28,085/- (51%)

## कम्प्यूटर

बोर्ड में अभी तक 540 कम्प्यूटर और 16 लैपटॉप उपलब्ध हैं, सभी कम्प्यूटरों/लैपटॉप पर द्विभाषी (हिंदी/अंग्रेजी) सुविधा उपलब्ध है।

## वेबसाइट

बीबीएमबी की वेबसाइट द्विभाषी अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में है। वेबसाइट पर दोनों ही भाषाओं में दी गई जानकारी नियमित रूप से अद्यतन की जाती है।

## राजभाषा कार्यान्वयन समिति

बीबीएमबी के सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है और इस समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है।

वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड सचिवालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:-

तिमाही	बैठक की तिथि
अप्रैल-जून	26 जून, 2018
जुलाई-सितम्बर	07 सितम्बर, 2018
अक्तूबर-दिसम्बर	02 जनवरी, 2019
जनवरी-मार्च	26 मार्च, 2019

#### हिंदी कार्यशाला:

वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड सचिवालय में निम्नलिखित कार्यशालाएं/राजभाषा सेमिनार आयोजित की गई:-

तिमाही	कार्यशाला की तिथि
अप्रैल-जून	27 जून, 2018
जुलाई-सितम्बर	12 सितम्बर, 2018
अक्तूबर-दिसम्बर	23 दिसम्बर, 2018
जनवरी-मार्च	29 मार्च, 2019

#### हिंदी पखवाड़ा

बोर्ड सचिवालय तथा सभी अधीनस्थ कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष सितम्बर, माह में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड सचिवालय में दिनांक 01 सितम्बर, 2018 से 15 सितम्बर, 2018 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

हिंदी पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई:-

1. हिंदी शब्द-ज्ञान प्रतियोगिता,
2. कम्प्यूटर पर हिंदी टंकण प्रतियोगिता,
3. हिंदी निबंध एवं अनुवाद प्रतियोगिता,
4. हिंदी नोटिंग व ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता,
5. श्रुत लेख प्रतियोगिता।

इन प्रतियोगिताओं में अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बढ-चढ कर हिस्सा लिया। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः रु 3,000/-, रु 2,500/-, तथा रु 2,000/- के नकद पुरस्कार दिए गए। प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत

अपना ज्यादा से ज्यादा सरकारी काम-काज हिंदी में करने वाले 40 कर्मचारियों को भी नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

पखवाड़े के अंत में दिनांक 02 नवम्बर, 2018 को पुरस्कार विरतण के दौरान एक "हास्य कवि सम्मेलन" भी आयोजित किया गया। चण्डीगढ़ स्थित बीबीएमबी कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस आयोजन में बहुत उत्साह के साथ भाग लिया ।

इसके अतिरिक्त बीबीएमबी नें दिनांक 05 सितम्बर 2018 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति चण्डीगढ़ के तत्वावधान में एक "देश भक्ति गीत गायन प्रतियोगिता" भी आयोजित की गई और इसमें केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों के कार्मिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

### द्विभाषी/हिंदी प्रकाशन

बीबीएमबी द्वारा निम्नलिखित सामग्री/पुस्तकें द्विभाषी हिन्दी में प्रकाशित की गई हैं :-

- वार्षिक रिपोर्ट
- बीबीएमबी समाचार (गृह पत्रिका)
- समाचार पत्रों में प्रकाशित समस्त सामग्री
- बीबीएमबी जनता कॉरपोरेट ब्रोशर
- "जीवन धारा" पत्रिका
- बेहतर सतर्कता अनुपालन के लिए मार्ग-निर्देश।
- बोर्ड की डायरी ओर केलेण्डर।
- टेलीफोन डायरेक्टरी।

उक्त के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अब तक निम्नलिखित अन्य पुस्तकों का भी प्रकाशन किया गया है:-

- प्रशासनिक शब्दावली
- राजभाषा सहायक पुस्तक
- तकनीकी शब्दावली
- भाखड़ा ब्यास की कहानी
- ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना

### दो शब्द

कर्मचारियों को दिन प्रतिदिन का सरकारी कार्य हिन्दी में करने हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए एक श्वेत पट्ट पर दो शब्द अंग्रेजी के और उनके हिन्दी पर्याय रोजाना प्रदर्शित किए जाते हैं।

## 11.1 परामर्शी सेवाएं

भारत सरकार ने बीबीएमबी को वर्ष 1999 में जल विद्युत परियोजनाओं तथा सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्र में इंजीनियरी और सम्बद्ध तकनीकी परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त कार्य सौंपे हैं।

## 11.2 परामर्शी निदेशालय की गतिविधियां

### (i) एकीकृत प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन

प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बीबीएमबी को 07 केन्द्रों यानि 06 मुख्य अभियंताओं तथा बोर्ड सचिवालय में विभाजित किया गया है। पहले से अधिग्रहित क्युएमएस 9001 एवं ईएमएस: 14001 के अतिरिक्त 14 प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन के साथ अपने कर्मचारियों सहित अपने पणधारियों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता में बीबीएमबी ने सभी के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस: 18001) को इसके सात केन्द्रों और एक साथ एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) जिसमें ईएमएस, क्यु एमएम और ओएचएसएमएस शामिल है, को बढ़ाने और लागू करने का प्रयास किया है।

31 मार्च, 2019 तक बीबीएमबी पहले ही ओएचएसएमएस और बाद में मुख्य अभियंता, प्रणाली परिचालन तथा बोर्ड सचिवालय, चण्डीगढ़ के लिए आईएमएस का कार्यान्वयन कर चुका है।

नवीनतम क्युएमएस (9001:2015) ईएमएस (14001:2015) तथा ओएचएसएमएस (18001:2007) के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया एमआरज के शेष हिस्सों के लिए प्रगति पर है और समय रहते इसे पूरा कर लिया जाएगा।

### (ii) ऊर्जा संरक्षण पर पेटिंग प्रतियोगिता

भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय (बीईई) द्वारा शुरू की गई ऊर्जा संरक्षण योजना 2018 पर बीबीएमबी को चित्रकला प्रतियोगिता को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। चित्रकला प्रतियोगिता में स्कूल स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता शामिल हैं। बीबीएमबी की टीम में पंजाब हरियाणा तथा यूटी चण्डीगढ़ के लिए वर्ग ए की चौथी, पांचवी और छठी तथा गुप बी में सातवीं, आठवीं एवं नौवीं कक्षा के छात्रों के लिए ऊर्जा संरक्षण 2018 के लिए स्पॉट स्टेट स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 14.11.2018 को पंचकुला के इन्द्रधनुष ऑडिटोरियम में किया गया।

2005 से ऊर्जा संरक्षण पर चित्रकला प्रतियोगिता के आयोजन के इतिहास में हरियाण, पंजाब और यूटी चण्डीगढ़ के शिक्षा विभाग की भागीदारी के साथ बीबीएमबी ने 25 लाख से अधिक छात्रों को चित्रकला प्रतियोगिता से जोड़ा जोकि सम्पूर्ण भारत में वर्ष 2018 के स्कूल स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले लगभग 88.39 प्रतियोगियों के 1/3 से भी अधिक है ।

वर्ष 2018 के लिए हरियाणा राज्य ने 19 लाख से अधिक छात्रों तथा यूटी चण्डीगढ़ ने 51486 छात्रों की भागीदारी दर्ज की गई । इन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के विभागों को ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा विभाग के रूप में चुना गया । बीबीएमबी के अब तक के इतिहास में यह उपलब्धि अद्वितीय थी।

दिन रात के अथक प्रयासों से और बीबीएमबी टीम को सक्रिय समर्थन के साथ स्कूल स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर के सभी कार्यक्रमों का सफलातापूर्वक आयोजन किया गया । बीईई, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बीबीएमबी के नोडल अधिकारी इंजी० बलवीर सिंह सिंहमार, निदेशक/एचआरडी को दोनों राष्ट्र प्रदर्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया यानि:

क) हरियाणा राज्य से अधिकतम स्कूल स्तर की भागीदारी के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ नोडल अधिकारी की श्रेणी में ।

ख) और यूटी चण्डीगढ़ से अधिकतम स्कूल स्तर की भागीदारी के लिए यूटी के सर्वश्रेष्ठ नोडल अधिकारी की श्रेणी में ।



## 12. जन शिकायते/आर.टी.आई

सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 को 12 अक्टूबर, 2005 से प्रदर्शित कर पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया गया है। यह अधिनियम सरकारी कार्यालयों में प्राक्टिस पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सूचना के अधिकार के व्यवहारिक शासन को स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। बीबीएमबी ने अक्षरशः अधिनियम को अपनाया तथा लागू किया। अधिनियम के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया गया। बीबीएमबी ने भिन्न-भिन्न प्रशासनों/स्थानों पर नौ सहायक जन सूचना अधिकारियों (एपीआईओज़) एवं आठ जन सूचना अधिकारियों (पीआईओज़) को नामित किया है। अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार आठ अपीलीय प्राधिकारियों को भी नामित किया गया है। बीबीएमबी की कार्यालयीन वेबसाइट ([www.bbmb.gov.in](http://www.bbmb.gov.in)) इन अधिकारियों के कार्यालयीन पदनाम, पते और दूरभाष नं. दर्शाती है। सूचना हेतु आवेदन करने संबंधी प्रक्रिया का विस्तृत विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैनुअल नं.17 के बारे में जानकारी जोकि आरटीआई अधिनियम की धारा 4 (2) के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई है, वेबसाइट पर उपलब्ध है। सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर सूचना का अद्यतन किया जाता है। अपील अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की मांग तथा अन्य संबंधित विवरण नीचे दिए गए अनुबन्ध-1 में दर्शाए गए हैं:

वर्ष 2018-19 के लिए आर.टी.आई अधिनियम से सम्बन्धित विवरण ( 31.03.2019 तक)

अनुबन्ध-I

क्र.स.	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निर्णय की संख्या	निर्णय, जहां सूचना के आवेदनों को अस्वीकार किया										इस अधिनियम के अंतर्गत प्रशासन के सम्बन्ध में ऐसे कितने मामले हैं जहाँ अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की गई	कितनी प्रभार राशि एकत्रित की (₹)				
			कितनी बार विभिन्न प्रावधानों को लागू किया गया															
			धारा 8 (1)							अन्य धाराएं								
			क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	9	11	24	अन्य		
1-	477	477	शून्य										शून्य				शून्य	13589/-

# प्रसारण नेटवर्क

